# हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 27 अगस्त, 2024 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरंभ हुई।

## शोकोद्गार

27.08.2024/1100/RKS/AG-1

**अध्यक्षः** आज मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और इस मानसून सत्र में भाग लेने के लिए मैं इस माननीय सदन के सभी सदस्यों का अभिनंदन करता हूं। मैं विशेष तौर पर सदन के नेता, श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खु, उप-मुख्य मंत्री, श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष, श्री जय राम ठाकुर, संसदीय कार्य मंत्री, श्री हर्षवर्धन चौहान और सभी सम्माननीय मंत्रीगण, मुख्य संसदीय सचिव एवं विधायकगण का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। इस सत्र में उप-चुनावों के माध्यम से प्रथम बार निर्वाचित सदस्यों में श्रीमती कमलेश ठाकुर, सुश्री अनुराधा राणा,कैप्टन रणजीत सिंह राणा, श्री विवेक शर्मा व श्री हरदीप सिंह बाबा जी का भी मैं स्वागत करता हूं। यह सत्र चौदहवीं विधान सभा का 6वां सत्र है। मैं आशा करता हूं कि 10 दिन चलने वाले इस मानसून सत्र में हमें सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से सहयोग मिलता रहेगा। आप जनहित से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाएंगे तथा हिमाचल प्रदेश विधान सभा की परंपराओं एवं गरिमा का सम्मान करते हुए नियमों की परिधि में रह कर जनहित से संबंधित विषयों पर सदन में सार्थक चर्चा करते हुए सत्र के संचालन में अपना रचनात्मक सहयोग देंगे। इससे पूर्व आज की कार्रवाई आरंभ हो मेरा सभा मंडप में उपस्थित सभी से निवेदन है कि आप राष्ट्र गान के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

**(सभा मंडप में उपस्थित सभी अपने-अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हुए।)**

अब शोकोद्गार होंगे। इस माननीय सदन के पूर्व सदस्य, स्वर्गीय श्री टेक चन्द डोगरा, नारायण सिंह स्वामी और दौलत राम चौधरी हमारे बीच में नहीं रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इन दिवंगत आत्माओं के लिए अपने शोकोद्गार प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व सदस्य स्वर्गीय श्री टेक चन्द डोगरा, स्वर्गीय श्री नारायण चन्द स्वामी और स्वर्गीय श्री दौलत राम चौधरी इस सदन को सुशोभित करते रहे हैं लेकिन वे आज हम सभी लोगों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं। मैं उनसे संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

**श्री बी.एस.द्वारा...जारी**

27.08.2024/1105/बी.एस./ए.जी.-1

**मुख्य मंत्री जारी...:**

अध्यक्ष महोदय, श्री टेक चन्द जी जोकि कांग्रेस पार्टी के विधायक थे उनका 30 मार्च, 2024 को निधन हो गया। यह माननीय सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। स्वर्गीय श्री टेक जी का जन्म 16 अगस्त, 1945 को गांव छतर, डा0 घर, ठुगाण, तहसील जोगिन्दर नगर जिला मण्डी में हुआ। उन्होंने बी.ए. प्रथम तथा कला में दो वर्ष का डिप्लोमा तक की शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने वर्ष 1973-81 तक कला अध्यापक के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दीं। स्वर्गीय श्री टेक चन्द जी वर्ष 1987-1993 तक जिला कांग्रेस समिति, मण्डी के महासचिव रहे। वर्ष 1993 में नाचन विधान सभा क्षेत्र से विधायक चुने गए तथा वर्ष 1998-2003 में भी हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य चुने गए तथा प्रदेश सरकार में संसदीय सचिव भी रहे। सामाजिक कार्यों एवं गरीब लोगों की सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। यह माननीय सदन स्वर्गीय श्री टेक चन्द जी द्वारा प्रदेश तथा समाज की की गई सेवाओं की भूरि-भुरि पशंसा करता है। हम उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए माननीय सदन ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा उनके परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थान करता है।

अध्यक्ष महोदय, हम पहली बार वर्ष 2003 में चुन करके आए, उस समय आदरणीय टेक चन्द जी इस सदन के सदस्य बने और जब भी उन से बात करते थे उनका हमेशा मृदु स्वभाव रहता था। उन्होंने काफी सालों तक इस माननीय सदन को सुशोभित किया है। मेरा यह मानना है कि वे एक सेवा निवृत्त अध्यापक थे। वे किसी भी मुद्दे पर बड़े प्यार से बात किया करते थे। उनके द्वारा जो भी मुद्दे यहां पर उठाए जाते थे, उन्हें वे तर्कों के साथ उठाते थे। आज वे हमारे बीच नहीं रहे, मैं चाहूंगा कि आप के माध्यम से उनके परिवार तक यह शोकोद्गार प्रस्ताव पहुंचा दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, पूर्व विधायक नारायण सिंह स्वामी जी का 16 मई, 2024 को शिमला में निधन हो गया। यह माननीय सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। स्वर्गीय

श्री नारायण सिंह स्वामी जी का जन्म गांव लज्जता, डा0 लहरी सरेल, जिला बिलासपुर में 10 अप्रैल, 1933 को हुआ था उन्होंने बी.ए. बी.एड. तक शिक्षा ग्रहण की थी तथा अध्यापक

27.08.2024/1105/बी.एस./ए.जी.-2

के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं। वे अध्यापक संघ जिला, बिलासपुर के प्रधान भी रहे। स्वर्गीय श्री नारायण सिंह स्वामी जी वर्ष 1977 व 1083 में घुमारवीं विधान सभा चुनाव क्षेत्र से विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। उनकी समाज कल्याण कार्यों में विशेष रुचि थी। उनके द्वारा दिए गए योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। यह माननीय सदन स्वर्गीय नारायण सिंह स्वामी जी द्वारा प्रदेश तथा समाज के लिए की गई सेवाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है। उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए यह माननीय सदन ईश्वर से दिवंगत आत्मका की शांति तथा उनके परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता है।

अध्यक्ष महोदय तीसरे माननीय सदस्य जिन्होंने इस सदन को सुशोभित किया है, स्वर्गीय दौलत राम चौधरी जी का 6 जून, 2024 को 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह माननीय सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। स्वर्गीय दौलत राम चौधरी का जन्म पुराना कांगड़ा, तहसील, मौजा उज्जैन, जिला कांगड़ा में 29 मार्च, 1946 को हुआ था। उन्होंने एम.एससी. तक की शिक्षा प्राप्त की थी। स्वर्गीय श्री दौलत राम जी वर्ष 1993- 98 तक कांगड़ा विधान सभा से विधायक रहे।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

**27.08.2024/1110/डी0टी0/ए0एस0-1**

**शोकोद्गार जारी....**

उन्होंने MSc. तक की शिक्षा प्राप्त की थी। स्वर्गीय श्री दौलत राम चौधरी वर्ष 1993 से वर्ष 1998 तक कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र से विधायक रहे। इसके साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल में सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से सम्मानित होने का विशिष्ठ सम्मान अर्जित किया। उन्होंने महा सचिव के रूप में जिला कांग्रेस समिति में अपनी सेवाएं प्रदान कीं। उनकी समाज कल्याण कार्यक्रमों में विशेष रुचि थी। ये माननीय सदन स्वर्गीय श्री दौलत राम चौधरी जी द्वारा प्रदेश तथा समाज के लिए की गई सेवाओं की भूरी-भूरी प्रशंसा करता है; उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए ये माननीय सदन ईश्वर से दिवंगत की आत्मा की शांति तथा उनके परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब अभी मैं इनका व्याख्यान कर रहा था, हमें खुशी इस बात की होती है कि जब भी इस विधान सभा को किसी ने सुशोभित किया तो उस समय के बहुत पढ़े-लिखे, जिनमें कोई MSc. कोई बी0ए0, ऐसे पढ़े-लिखे लोग जो थे, ऐसे लोगों के द्वारा ये विधान सभा सुशोभित हुई। संसार में आना-जाना चला रहता है। एक दिन तो इस संसार से सभी को जाना है। लेकिन इस विधान सभा की परंपरा के अनुसार व इस सदन का नेता होने के नाते, मैं चाहूंगा कि सदन की ओर से आप तीनों स्वर्गीय माननीय सदस्यों के परिवारों को शोकोद्गार प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जाए।

**समाप्त**

**27.08.2024/1110/डी0टी0/ए0एस0-2**

**अध्यक्षः** माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री जय राम ठाकुर जी।

**श्री जय राम ठाकुरः** माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र और इस सत्र, यानि के बजट सत्र व मानसून सत्र के बीच में, इस सदन के सदस्य रह चुके स्वर्गीय श्री टेक चन्द डोगरा जी, स्वर्गीय श्री नारायण सिंह स्वामी जी व स्वर्गीय श्री दौलत राम चौधरी जी ; हमने इन तीन सदस्यों को खोया है। स्वर्गीय श्री टेक चन्द जी मंडी जिला के रहने वाले थे और लंबे समय तक वो अध्यापक के रूप में कार्यरत रहे। लेकिन बाद में उन्होंने अध्यापक के पद से

त्यागपत्र देकर वर्ष 1982 में चुनाव लड़ने का फैसला किया। चुनाव लड़ा लेकिन वह चुनाव वे जीत नहीं पाए। उसके पश्चात कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के नाते वर्ष 1985 में, वर्ष 1993 में, वर्ष 1998 में व वर्ष 2003 में, वो नाचन विधान सभा क्षेत्र, जो मेरे पड़ोस का विधान सभा क्षेत्र है, वहां से विधायक बन कर इस माननीय सदन में पहुंचे। थोड़ी समय के लिए वह मुख्य संसदीय सचिव भी रहे। वर्ष 1993 का चुनाव उनके लिए इस प्रकार का चुनाव रहा जहां मंडी जिला में दस विधान सभा क्षेत्रों में से नौ विधान सभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और स्वर्गीय श्री टेक चन्द जी का कांग्रेस ने उस समय टिकट काटा था, उन्हे कांग्रेस का टिकट नहीं मिला था। लेकिन टिकट कटने के बावजूद उन्होंने आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और उन्होंने बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत भी हासिल की और उनके विरूद्ध जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनकी ज़मानत भी जब्त हुई।

स्वर्गीय श्री टेक चन्द डोगरा जी बहुत मृदुभाषी और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। विधान सभा के अंदर भी बड़ी सहजता और बड़ी धिरे -धिरे से अपनी बात कहना, ये

**27.08.2024/1110/डी0टी0/ए0एस0-3**

उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। मेरे राजनीतिक जीवन में मेरा जितना भी संबंध उनके साथ रहा, मैंने कभी भी उनको अपनी बात गुस्से में कहते नहीं सुना। स्वर्गीय श्री टेक चन्द डोगरा जी को डोगरा जी के नाम से ज्यादा जाना जाता था। वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। एक चुने हुए प्रतिनिधि के नाते उनका बहुमूल्य योगदान विधान सभा के भीतर भी रहा और अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए भी रहा। मैं स्वर्गीय श्री टेक चन्द डोगरा जी के निधन पर उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उनके परिवार को शक्ति दे।

**श्री एन0जी0 द्वारा ... जारी**

**27-08-2024/1115/ए.एस.-एन.जी/1**

**श्री जय राम ठाकुर.....जारी**

ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। इसी प्रकार श्री नारायण सिंह स्वामी जी एक झुझारू प्रवृति के नेता के रूप में जाने जाते थे। उनका ताल्लुक जिला बिलासपुर के घुमारवीं विधान सभा क्षेत्र से रहा है। वर्ष 1975 में जब आपातकाल लगा था तब वे लम्बे समय तक जेल में भी रहे थे। उस दौरान उनकी धर्मपत्नी अस्वस्थ हुई थीं जिस कारण उन्हें कुछ समय के लिए पैरोल पर जेल से छोड़ा गया था। वे बहुत ही संत प्रवृति के व्यक्ति थे। विधायक रहने के बाद उन्होंने अपने जीवन में ऐसा दौर भी जिया है जिसे हम सामान्य तौर पर नहीं देखते हैं। वे अपना घर-परिवार छोड़ कर एक मंदिर में शरण लेकर रहने लग गए थे। वे एक प्रकार से सन्यास लेकर ही चले गए थे और वे उस मंदिर में काफी लम्बे समय तक रहे। उसके बाद परिवार व क्षेत्र के लोगों ने उनसे वापिस आने का आग्रह किया क्योंकि वे कुछ अस्वस्थ रहने लगे थे इसलिए वे वापिस अपने घर आ गए। उनकी दुःखद मृत्यु हो जाने के कारण हमने निश्चित रूप से एक बहुत ईमानदार छवि के नेता को खो दिया है। मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। वे इस विधान सभा के दो बार सदस्य रहे हैं। वे खासतौर पर दर्शन पर आधारित पुस्तकें पढ़ना और उस पर अपनी बात कहना, ये उनकी बहुत ज्यादा रूचि का विषय रहा है। अध्यक्ष महोदय, हम उनके योगदान को स्मरण करते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं।

इसी प्रकार श्री दौलत राम चौधरी जी का जन्म दिनांक 29-03-1946 को हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत Punjab University, Chandigarh से M.Sc. Business Management में डिपलोमा किया। वर्ष 1993 में वे हिमाचल प्रदेश विधान सभा में एक विधायक के रूप में चुन कर आए।

हमारे साथ उनका बहुत ज्यादा संबंध व परिचय नहीं रहा है लेकिन उसके बावजूद उनका भी बहुत बहुमुल्य योगदान इस माननीय सदन में रहा है। इसके अलावा अपने क्षेत्र के

**27-08-2024/1115/ए.एस.-एन.जी/2**

विकास के लिए भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं पूर्व में रहे तीनों माननीय सदस्यों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि जब इस प्रस्ताव के माध्यम से हमारी संवेदनाओं को उनके परिवारजनों तक पहुंचाया जाए तो विपक्ष के माननीय सदस्यों की भावनाओं को भी उसमें जोड़ा जाए।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी हाल ही में भारी बरसात के कारण बहुत सारे लोगों की दुःखद मृत्यु हुई है। स्वभाविक रूप से यह बहुत पीड़ाजनक है। मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक लगभग 70 लोगों की दुःखद मृत्यु हो चुकी है। इस वर्ष सामान्य से कम वर्षा हुई लेकिन उसके बाद भी मानव जीवन की क्षति बहुत ज्यादा हुई है। मैं उन सभी दिवंगतों के प्रति भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवारजनों को इस दुःख को सहन करने शक्ति प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**अध्यक्ष :** अब माननीय नगर एवं ग्राम योजना मंत्री जी शोकोद्गार में भाग लेंगे।

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री.....श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

**27-08-2024/1120/केएस/डीसी/1**

**नगर एवं ग्राम योजना मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता ने जो प्रस्ताव यहां पर रखा, उस पर विपक्ष के नेता श्री जय राम ठाकुर जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस संदर्भ में मेरे से पूर्व माननीय नेताओं ने जो विचार रखे, उसमें मैं भी अपने आप को शामिल करता हूं। श्री टेक चंद डोगरा जी नाचन विधान सभा क्षेत्र से विधायक रहे और श्री

दौलत राम चौधरी जी कांगड़ा से विधायक रहे। इनसे जब भी मिलना हुआ, जब हम युवा कांग्रेस के पदाधिकारी होते थे तो वे हमेशा हमें प्रेरित करते थे, हमें उनका मागदर्शन मिलता था।

इसके अतिरिक्त तीसरे माननीय सदस्य श्री नारायण स्वामी जी पूर्व में इस माननीय सदन की शोभा बढ़ा चुके हैं, वे वर्ष 1977 और 1982 में मेरे विधान सभा क्षेत्र से दो बार सदस्य निर्वाचित हुए। वे बहुत सिद्धांतवादी थे और उनकी सादगी और सिद्धांतों के कई किस्से हमें सुनने को मिलते हैं। एक बार एक चुनाव के बारे में मुझे वहां के जो पूर्व विधायक श्री सीता राम जी थे, उन्होंने ज़िक्र किया कि पंडित सीता राम शर्मा जी और श्री नारायण सिंह स्वामी जी चुनाव में एक-दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे थे। उस समय सड़कें कम थीं और गाड़ियों का इस्तेमाल भी बहुत कम होता था। ज्यादातर पैदल ही चलना होता था। पंडित सीता राम जी ने बताया कि मैं अपने चुनाव केंपेन से रात को लगभग साढ़े बारह बजे घर पहुंचा। खाना खाकर अभी हम सोये ही थे, 15 मिनट में ही मेरी आंख लग गई। दरवाजे में नॉक सुनी लेकिन मेरी नींद इतनी गहरी थी कि मेरी उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उन्होंने दूसरी बार दरवाजा खटखटाया तो मैं उठ गया। मैंने देखा कि आधी रात को नारायण सिंह स्वामी जी दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने कहा कि पंडित जी बाहर बरसात हो रही है, रास्ते में बहुत ज्यादा कीचड़ है इसलिए मैं यहां आपके पास ही विश्राम करुंगा। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, आपका स्वागत है। वे वहीं सो गए और सुबह कहने लगे कि अब हम अपने-अपने रास्ते केंपेन के लिए निकलते हैं। उनके इस तरह के विचार थे। राजनीतिक विरोधियों के प्रति भी वे कोई द्वेष की भावना नहीं रखते थे। ऐसे अनूठे उदाहरण हमारे से पूर्व रहे नेताओं ने प्रस्तुत किए हैं। बाकी तो सब कुछ उनके बारे में बोल ही दिया है। मैं एक बात कहूंगा कि अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में वे बीमार होने से पहले नंगल के पास एक गांव में अध्यात्मिक प्रशिक्षण केंद्र में रहते थे। बाकी लोगों को भी वे इस बारे में प्रेरित करते थे। एक बार पूर्व विधायक स्वर्गीय कर्म देव धर्माणी

जी ने बताया था कि वे एक बार मेरे घर में आए और मुझे प्रेरित किया कि दुनियादारी छोड़कर उस अध्यात्मिक केंद्र में चलो क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने का एक वही असली रास्ता है। तो इस तरह के विचार वे रखते थे।

अंत में मैं इन तीनों दिवंगत नेताओं को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा उनके परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले, इसकी भगवान से कामना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**27-08-2024/1120/केएस/डीसी/3**

**श्री विनोद कुमार :** आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्री टेक चंद डोगरा जी मेरे निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्ध रखते थे। उनका जन्म नाचन विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत छात्र में सन् 1945 में हुआ था। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा गवर्नमैंट सीनियर सैकंडरी स्कूल कनैड़ में हुई। उन्होंने कला एवं शिल्प का दो वर्ष का डिप्लोमा सोलन युनिवर्सिटी से प्राप्त किया। तत्पश्चात् उन्होंने कला अध्यापक के तौर पर काफी लम्बी सेवाएं दीं। श्री टेक चंद डोगरा जी की समाज सेवा में विशेष रुचि थी। वर्ष 1985 में उन्होंने सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली।

श्रीमी अ0व0 द्वारा जारी---

**27.08.2024/1125/av/dc/1**

**शोकोद्गार क्रमागत** ----------

**श्री विनोद कुमार**---------- **जारी**

उन्होंने पहली बार वर्ष 1985 में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और निश्चित तौर पर उस चुनाव में भारी मतों से जीते थे। उन्होंने दूसरा चुनाव वर्ष 1990 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर ही लड़ा परंतु उस चुनाव में वे नहीं जीत पाए। वर्ष 1993 में

उन्होंने तीसरा चुनाव लड़ा लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और मैं समझता हूं कि उस टाइम वे अपने जीवन में लड़े गए सभी चुनावों में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीते थे। वर्ष 1998 और वर्ष 2003 में भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था और वे दोनों चुनाव जीते थे। उसके पश्चात वर्ष 2007 में उन्होंने दोबारा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर टिकट लड़ा परंतु उसमें उनको जीत हासिल नहीं हो सकी थी। वर्ष 2012 में उन्होंने दोबारा से मेरे विरुद्ध चुनाव लड़ा और उसमें भी वे नहीं जीत पाए। वर्ष 2014 में उन्हें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति निगम के उपाध्यक्ष के पद से भी नवाजा गया। श्री टेक चन्द डोगरा जी ने अपने जीवन में कुल मिलाकर 7 बार चुनाव लड़े थे जिसमें से उन्होंने 4 चुनाव जीते और 3 चुनाव हारे थे। अगर मैं श्री टेक चन्द डोगरा के बारे में कुछ कहूं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि नाचन विधान सभा क्षेत्र में उन्होंने काफी लंबे समय तक राजनीति की थी। मैं समझता हूं कि नाचन विधान सभा क्षेत्र के विकास में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुझे याद है, हमारे वहां खेवड़ में जिला स्तरीय नलवाड़ मेला होता है और नाचन व सिराज़ की उस मेले को लेकर के काफी राजनीति होती है। उस दौरान स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री थे जोकि उस मेले के समापन समारोह पर वहां आए थे। स्वर्गीय श्री टेक चन्द डोगरा जी ने बाशा में डिग्री कॉलेज की डिमाण्ड की थी। उस वक्त चच्योट से शायद श्री मोती राम जी विधायक हुआ करते थे। हालांकि स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी का उस वक्त पूरा मूड था कि बाशा में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। परंतु श्री मोती राम जी द्वारा उस वक्त उनको कंवींस करने पर वे उस कॉलेज की घोषणा नहीं कर पाए। जब उस कॉलेज की

**27.08.2024/1125/av/dc/2**

घोषणा नहीं हुई तो स्वर्गीय श्री टेक चन्द डोगरा जी ने सरकार के पास अपनी इतनी ज्यादा नाराज़गी जाहिर की कि स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी को बाद में आनन-फानन में उस कॉलेज की घोषणा करनी पड़ी। नाचन विधान सभा क्षेत्र के लिए उनकी तरफ से यह एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वे बहुत ही

मृदुभाषी थे और सबके बीच में जाना व बातचीत करना उनके स्वभाव में था। अपने इस स्वभाव के कारण ही वे इतने लंबे समय तक राजनीति के क्षेत्र में बने रहें। दिनांक 30 मार्च, 2024 को 89 वर्ष की आयु में लम्बी बीमारी के कारण उनका अपने घर में ही निधन हो गया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस शोकोद्गार प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

इसके अतिरिक्त इस बार की भारी बरसात में लगभग 70 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। मेरा अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन रहेगा कि जिन 70 लोगों ने इस भारी बरसात में अपनी जानों को गंवाया हैं, उसको लेकर भी सरकार चिंतन करे। इस भारी बरसात में जिन लोगों की मृत्यु हुई है हम उनके प्रति भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और ईश्वर से यह प्रार्थना भी करते हैं कि उनके परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

समाप्त

**अध्यक्ष :** अब माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी शोकोद्गार प्रस्ताव पर बोलेंगे।

टी सी द्वारा जारी

**27.08.2024/1130/टी0सी0वी0/एच0के0-1**

**शोकोद्गार जारी ...**

**श्री रणधीर शर्मा (श्री नैना देवीजी) :** अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने सदन में तीन पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री टेक चन्द डोगरा जी, नारायण सिंह स्वामी जी और श्री दौलत राम चौधरी जी के निधन पर शोक प्रस्ताव रखा है, आपने मुझे इसमें शामिल होने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री टेक चन्द डोगरा और श्री दौलत राम चौधरी जी से मेरा कोई परिचय नहीं था। परंतु श्री नारायण सिंह स्वामी जी से हमारे पारिवारिक संबंध थे।

वे घुमारवीं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे। वे अध्यापक थे और मेरे पिता जी भी अध्यापक थे। उन्होंने टीचर यूनियन में एक साथ काम किया, इस नाते उनके साथ पारिवारिक संबंध थे। अध्यक्ष महोदय, श्री नारायण सिंह स्वामी जी के बारे में नेता प्रतिपक्ष और माननीय मंत्री, श्री राजेश धर्माणी जी ने बहुत सी बातें कही। परंतु मुझे लगता है कि उनके बारे में और भी बहुत-सी बातें जानने की आवश्कयता है। उनका जीवन आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी है। वे बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी थे। राजनैतिक इच्छाशक्ति इतनी नहीं थी जितनी राष्ट्रभक्ति उनमें थी। उनमें अपनी विरासत, सभ्यता और संस्कृति के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास था। वे स्वभाव से संघर्षशील, ईमानदार, जुझारू थे और जब राजनीति में आए तो ये सारे गुण उन्होंने दो बार विधायक रहते हुए भी अपने जीवन में कायम रखे जो उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अगर उनमें अपने देश की सभ्यता, संस्कृति और विश्वास की बात देखनी हो तो जब वे छठी कक्षा में पढ़ते थे, राजाओं के समय में वे चाहते थे कि दीपावली पर छुट्टी हो, इस बात को लेकर भी उन्होंने उस समय संघर्ष किया था। वर्ष 1948 में कहलूर रियासत का भारत में विलय हुआ और उस समय राजाओं ने निःशुल्क शिक्षा को बंद कर दिया था। जब वे मात्र 16-17 वर्ष के थे तो उसके खिलाफ भी उन्होंने सफल संघर्ष किया था। वे राष्ट्रभक्ति की भावना के कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। इस नाते जब उनकी आयु 18 वर्ष थी और संघ पर प्रतिबंध लगा तब भी उनको जेल जाना पड़ा। परंतु उन्होंने किसी के साथ समझौता नहीं किया। उन पर अनेक दबाव पड़ने

**27.08.2024/1130/टी0सी0वी0/एच0के0-2**

के बावजूद भी उन्होंने अपनी विचारधारा नहीं बदली, अपने सिद्धांत नहीं बदले और उन पर वे हमेशा अडिग रहे। अध्यापक बनने के बाद वे बिलासपुर में टीचर युनियन के अध्यक्ष बने और कई सफल आंदोलन किए। कोठारी कमिशन की रिपोर्ट व पंजाब के वेतनमान को लागू करने के लिए 1600 अध्यापकों को लेकर शिमला आए और उस आंदोलन को उन्होंने सफल किया था यानी उनका इतना संघर्षशील व्यक्तित्व था। वे नौकरी के साथ-साथ

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य भी करते रहे जिसके कारण जब वर्ष 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो उस समय उनको जेल भी जाना पड़ा था। वे जेल में मीसा के अंदर रहे। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी बीमार होने के बावजूद भी पेरोल की मांग नहीं की। जेल के अधिकारियों ने मानवता के आधार पर उनको घर भेजा की आप अपनी पत्नी का हालचाल पूछ कर आओ, वे सिद्धांतों के इतने पक्के थे। जब वे इमरजेंसी हटने के बाद वापिस आए तो जनता पार्टी ने तय किया कि सभी राजनैतिक दलों ने मिलकर चुनाव लड़ना है तो उसके लिए उनको टिकट दिया गया लेकिन उन्होंने टिकट मांगा नहीं। जब सर्वे की रिपोर्ट गई कि वे वहां से चुनाव जीत सकते हैं तो आदरणीय शांता कुमार जी उनको मनवाने के लिए घर आए थे और तब जाकर उन्होंने चुनाव लड़ा था। वे वर्ष 1982 में भी दोबारा विधायक बनें और उन्होंने न तो विधायक बनने का लाभ स्वयं लिया और न ही अपने परिवार को दिया। उन्होंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ जनता की सेवा की। वे विधायक न रहने के बावजूद भी जनता की समस्याओं के लिए संघर्ष करते रहे।

श्री आर0के0एस0 ... जारी

27.08.2024/1135/RKS/HK-1

श्री रणधीर शर्मा... जारी

और जैसे यहां कहां गया कि उनकी पत्नी की मृत्यु होने के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया था। वे नंगल के पास माणकपुर गांव में आध्यात्मिक प्रशिक्षण केंद्र में चले गए और 15 वर्षों तक वहीं साधना करते रहे। हालांकि उन्हें घर में कोई दिक्कत नहीं थी। उनका एक बेटा माननीय हाई कोर्ट में जज है, छोटा बेटा एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है और उससे छोटा बेटा बिलासपुर में पत्रकार व ठेकेदारी का काम करता है। आध्यात्मिक सोच के कारण हमारी जो व्यवस्था है उसमें इंसान को ध्यान लगाकर ही सुख मिलता है। योग के प्रति उनका काफी समर्पण था इसलिए उन्होंने 15 साल आध्यात्मिक केंद्र में बिताए। मैं वहां जाकर उनसे मिला हूं। उन्होंने उस प्रशिक्षण केंद्र में पूरी निष्ठा के साथ ध्यान लगाकर अपनी साधना की। यह ठीक है कि वर्ष 2016 में उनकी तबीयत खराब हुई जिसके कारण उनको वहां से उनके बेटे घर लेकर आए। उनके बेटों ने

उनकी काफी सेवा की और पी.जी.आई., चंडीगढ़ और आई.जी.एम.सी., शिमला में उनका इलाज करवाया। लेकिने वे बीमारी से उभर नहीं पाए और 16 मई, 2024 को उनका निधन हो गया। मैं अपनी ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं परम पिता परमात्मा से कामना करता हूं कि ईश्वर उनके परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति दें। मैं दो पूर्व विधायकों के निधन पर भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि वे उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें।

अध्यक्ष जी आपने मुझे इन शोकोद्गार में शामिल होने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

27.08.2024/1135/RKS/HK-2

**अध्यक्ष :** अब माननीय सदस्य, श्री चंद्र शेखर जी शोकोद्गार में भाग लेंगे।

**श्री चंद्र शेखर :** माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा जो शोकोद्गार प्रस्ताव लाया गया है, उसमें मैं भी तीनों सम्मानित सदस्यों के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मेरी निजी तौर पर दो वरिष्ठ सदस्यों से कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं थी। लेकिन मण्डी जिला के हमारे वरिष्ठ नेता व चार बार के विधायक स्वर्गीय श्री टेक चन्द डोगरा जी को लेकर मेरे दिल में बड़ी पीड़ा है। उनके साथ मुझे 20 सालों तक काम करने व उनसे सीखने का मौका मिला है। जिला मंडी में उनकी एक अलग पहचान थी। उनकी प्रशासनिक स्तर में काफी पकड़ थी और वे अपने क्षेत्र से संबंधित विकासात्मक कार्यों के लिए हमेशा सरकार के समक्ष अपना पक्ष मजबूती से रखते थे। वे एक संवेदनशील और मृदुभाषी व्यक्तित्व के स्वामी थे। वे आम जनता से जुड़े हुए नेता थे और विशेष कर अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के प्रति काफी चिंता करते थे। उनका शिक्षा के प्रति बेहतरीन योगदान रहा है। जैसा भाई विनोद जी ने कहा कि उन्होंने नाचन विधान सभा चुनाव क्षेत्र में काफी कॉलेजिज और स्कूलों को खोलने में योगदान दिया है। उन्होंने बहुत सी प्रशासनिक इकाइयों को खुलवाने में भी अपना विशेष योगदान दिया है। मैं समझता हूं कि पूरे मंडी जिला के विकास के लिए उनका विशेष योगदान रहा है। उनके शासन के समय स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री थे। उन्होंने स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया और मण्डी जिला के लिए अनेकों

योजनाओं/ परियोजनाओं को लागू करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माननीय मुख्य मंत्री व श्री जय राम ठाकुर एवं श्री विनोद कुमार जी ने जो अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं, मैं भी उनके साथ अपने को शामिल करता हूं। मैं उनके परिवार में उनके बेटे-बेटियों और खासतौर पर उनकी धर्मपत्नी के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। हमारे प्रदेश में भारी बरसात के कारण जो जान-माल का काफी नुकसान हुआ है, मैं उन परिवारों के प्रति भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत आभार।

**अध्यक्ष :** अब माननीय सदस्य, श्री राकेश जम्वाल जी शोकोद्गार में भाग लेंगे।

**श्री राकेश जम्वाल :** अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने तीन पूर्व विधायकों स्वर्गीय श्री टेक चन्द डोगरा, श्री नारायण सिंह स्वामी और स्वर्गीय श्री दौलत राम चौधरी जी के निधन पर शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मेरा स्वर्गीय श्री टेक चन्द डोगरा जी से बहुत अच्छा परिचय था। **श्री बी.एस.द्वारा ... जारी**

27.08.2024/1140/बी.एस./वाई.के.-1

**श्री राकेश जम्वाल जारी...**

मेरे ननिहाल इनके गांव के पास थे और आदरणीय गोगरा जी मुझे भानजा कह कर बुलाते थे। वे बड़े मृदु भाषी थे और जब भी मेरा ननिहाल में जाना होता था तो गाड़ी इनके घर तक ही जाती थी, मैं वहीं पर गाड़ी से उतरता था और इनसे जरूर मिलता था। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब भी वे मुझे बुला कर वहां पर बिठाते थे क्योंकि मेरी माता जी ने 10वीं तक की शिक्षा इन्हीं के साथ ग्रहण की थी और वे कहते थे कि आपकी माता जी पढ़ई में बहुत अच्छी थीं और 10वीं कक्षा में हमारे स्कूल में उन्होंने टोप भी किया था। मैंने वर्ष 2012 का पहला चुनाव लड़ा था और उनका वह अंतिम चुनाव था। वे भी चुनाव हारे और मैं भी चुनाव हार गया। चुनाव हारने के बाद स्वर्गीय टेक चन्द जी ने बुझे अपने घर बुलाया और घर बुला कर कहा कि आप चुनाव हार गए, लेकिन चिंता मत करिए मैंने जीवन में बड़े उतार-चढ़ाव देखे हैं। आप शायद यह चुनाव जीत जाते परंतु आपके ही पार्टी के वरिष्ठ नेता जिनका टिकट काट करके आपको टिकट दिया गया उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा है। उन्होंने कहा कि आप हिम्मत से आगे बढ़ो आप निश्चित ही चुनाव जीतेंगे। उन्होंने अपने चुनाव का उदाहरण दिया। वे इतने लोक प्रिय थे कि वर्ष 1993 में जैसा आदरणीय जय राम ठाकुर जी

ने कहा कि उनका पार्टी ने टिकट काट दिया लेकिन उसके बावजूद भी वे चुनाव जीते और अपने चुनावों में से सबसे ज्यादा वोटों से वे उस चुनाव को जीतने में कामयाब रहे। स्वर्गीय टेक चन्द जी बड़े मृदु भाषी थे और उनके काम करने का जो तरीका था वह बड़ा सराहनीय था। मैं भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हूं लेकिन मेरे ननिहाल के परिवार को उन्होंने कभी भी स्थानांतरित नहीं किया। उनके कुछ कार्यकर्ता भी आ करके कहते थे कि आप इनका स्थानांतरण करो लेकिन टेक चन्द डोगरा जी कहते थे कि ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे घर के सदस्य हैं और कहते थे कि हमें यहीं मरना और जीना है। मुझे उनके जीवन का एक प्रसंग याद है कि मेरे घर के पास एक पंचात है। पहले वह नाचन चुनाव क्षेत्र में थी बाद में डीलिमिटेशन में वह पंचायत सुन्दरनगर में आ गई। वह भारतीय जनता पार्टी बहूल पंचायत थी। उसमें पानी की बड़ी समस्या को ले करके लोगों में नाराजगी थी। वहां पर टेक चन्द जी ने अपना कार्यक्रम रख दिया। वहां भरतीय जानता पार्टी के प्रमुख कर्यकर्ता ने निर्णय लिया कि आज वहां पर विधायक जी आएंगे तो मैं ऐसी जुते की माला पहना करके आऊंगा या उन्हें वहां पर आने नहीं



दूंगा। जब उन्हें यह पता चला तो वे कार्यक्रम में जाने से पहले ही उस व्यक्ति के घर पर चले गए और घर में जा करके कहा कि मैं आपके घर में विशेष रूप से चाय पीने के लिए आया हूं। वह व्यक्ति बहुत शर्मिंदा हुआ और उस व्यक्ति ने उन्हें चाय पिलाई और फिर उन्होंने कहा कि आपकी समस्या क्या है? उन्होंने अपनी पानी की समस्या का जिक्र किया और टेक चन्द डोगरा जी ने वहीं पर बैठ करके उस समस्या का समाधान भी किया। ऐसे उनके जीवन के कई उदाहरण हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। लेकिन मेरा उनके प्रति बड़ा सम्मान हैं। वे मुझे सदैव भानजे की तरह ट्रीट किया करते थे। बहुत सी चीजें हमने उनके जीवन से सीखी हैं। आज आदरणीय टेक चन्द डोगरा जी हमारे बीच में नहीं हैं, मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें इस दुःख को सहन करने की शक्ति दे।

उसके साथ ही स्वर्गीय नारायण सिंह स्वामी जी जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते थे, उनके साथ मेरा परिचय था परंतु उनके बेटों से मेरा परिचय नहीं था। वे भी आज हमारे बीच में नहीं है। इसके बाद आदरणीय दौलत राम चौधरी जी से भी हमारा परचिय नहीं था फिर भी उनके परिवार को भगवान इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अध्यक्ष महोदय, जो शोक प्रस्ताव मुख्य मंत्री जी ने यहां पर प्रस्तुत किया है, उस पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

**27.08.2024/1145/डी0टी0/वाई0के0-1**

**अध्यक्षः** अब मैं भी अपने आपको जो शोकोद्गार यहां पर प्रस्तुत हुए, उनमें शामिल करता हूं और जैसा सदन के नेता एवं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा कहा गया कि स्वर्गीय श्री टेक चन्द डोगरा जी, स्वर्गीय श्री नारायण सिंह स्वामी जी व स्वर्गीय श्री दौलत राम चौधरी जी, जो इस मान्य सदन के पूर्व सदस्य रहे उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लाए गए इस प्रस्ताव में मैं अपने आप को शामिल कर रहा हूं।

स्वर्गीय टेक चन्द डोगरा जी का जन्म 16 अगस्त, 1945 को स्वर्गीय श्री दास जी के घर, गांव छातर, डाकखाना जुगहान, तहसील सुंदरनगर, जिला मंडी में हुआ। श्री टेक चन्द डोगरा जी वर्ष 1985 में पहली बार विधायक चुने गए। वर्ष 1993, 1998 और 2003 में वह पुनः विधायक चुने गए। वह वर्ष 1987 से लेकर वर्ष 1993 तक कांग्रेस समिति के माहसचिव भी रहे। उन्होंने वर्ष 1973 से 1981 तक कला अध्यापक के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी। इनका निधन 79 वर्ष की आयु में हुआ। इनकी विशेष रुचि सामाजिक कार्यों, बेरोजगारी व ग्रामीण निर्धनता को दूर करने में तथा समाज में महिलाओं की प्रतिष्ठता उभारने के लिए विशेषतौर पर रही। स्वर्गीय श्री टेक चन्द डोगरा जी और मैं, एक साथ वर्ष 1985 में, वर्ष 1993 में व वर्ष 2003 में इस मान्य सदन के सदस्य रहे। वह बहुत ही मृदुभाषी थे। वह अपनी बात को तर्कों के साथ रखते थे और जब विषय गंभीर होता था तो शब्द तो उनके शोफ्ट होते थे लेकिन उन शब्दों के पीछे बहुत गंभीरता होती थी और वह अपने शब्दों के माध्यम से अपनी बात मनवाने में वह सक्षम थे।

स्वर्गीय श्री नारायण सिंह स्वामी जी वर्ष 1977 से 1982 तक इस मान्य सदन के सदस्य रहे। 10 अप्रैल, 1933 में अनका जन्म गांव लंजता, डाकघर लेहरी-सरल, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में स्वर्गीय श्री हरि राम ठाकुर जी के घर में इनका जन्म हुआ। वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी के ज़िला अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया। उनका निधन 91 वर्ष की आयु में हुआ। उनकी विशेष रुचि भी सामाजिक कार्यों, बेरोजगारी, ग्रामीण निर्धनता को दूर करने में रही। उन्हें राजकीय अध्यपाक संघ, ज़िला बिलासपुर के प्रधान के तौर पर भी उन्होंने कार्य किया।

**27.08.2024/1145/डी0टी0/वाई0के0-2**

स्वर्गीय श्री दौलत राम चौधरी जी का जन्म दिनांक 29 मार्च, 1946 को स्वर्गीय श्री नन्द लाल चौधरी जी के घर उप-माहल पुराना कांगड़ा, मौजा उज्जैन, तहसील व ज़िला कांगड़ा में हुआ। स्वर्गीय श्री चौधरी जी वर्ष 1993 से 1998 तक इस मान्य सदन के हमारे साथ सदस्य रहे। विधान सभा के द्वारा भी वर्ष 1993-1998 में जब उस समय सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में जो सम्मान विधान सभा के द्वारा रखे गए थे, उस विशिष्ठ सम्मान के द्वारा उनको सुशोभित किया गया। उन्होंने ज़िला कांग्रेस समिति में बतौर महासचिव के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कीं। उनकी विशेष रुचि समाजिक कार्यों के प्रति थी। उनका निधन दिनांक 6 जून, 2024 को आस्ट्रलिया में 78 वर्ष की आयु में हुआ। वह भी मेरे साथ इस मान्य सदन के सदस्य रहे हैं।

हाल ही में प्रदेश में हुई भारी वर्षा से प्रदेश को भारी जान-माल का नुकसान हुआ और सारा जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। इसमें कई लोगों ने अपनो को खो दिया, जिसकी भरपाई करना मुश्किल है। मैं इन सभी परिवारों के प्रति भी अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। मैं उन सभी दिवंगत आत्माओं के लिए माननीय सदन की ओर से भी शांति की कामना करता हूं।

**श्री एन0जी0 द्वारा ... जारी**

**27-08-2024/1150/ए.जी.-एन.जी/1**

**अध्यक्ष.....जारी**

माननीय सदन की भावनाओं को स्वर्गीय श्री टेक चन्द डोगरा जी, श्री नारायण सिंह स्वामी जी व श्री दौलत राम चौधरी जी, पूर्व सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के शोक् संतप्त परिवारों तक पहुंचा दिया जाएगा।

अब मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि दिवंगत आत्माओं को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए अपने-अपने स्थान पर कुछ क्षण के लिए मौन खड़े हो जाएं।

**(सभामण्डप में उपस्थित सभी अपने-अपने स्थान पर कुछ क्षण के लिए मौन खड़े हुए।)**

अब मैं इस माननीय सदन को उपचुनावों के माध्यम से निवार्चित हुए सदस्यों का विधिवत परिचय करवाता हूं। जोकि इस प्रकार है :-

1. श्री सुधीर शर्मा,
2. श्री राकेश कालिया,
3. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल,
4. श्री आशीष शर्मा,
5. श्रीमती कमलेश ठाकुर,
6. कुमारी अनुराधा राणा,
7. कैप्टन रणजीत सिंह राणा,
8. श्री विवेक शर्मा (विक्कू) और
9. श्री हरदीप सिंह बावा।

थोड़ा सा समय बचा है तो अब प्रश्न काल आरम्भ होगा।...(व्यवधान) श्री जय राम ठाकुर जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

**27-08-2024/1150/ए.जी.-एन.जी/2**

**व्यवस्था का प्रश्न**

**श्री जय राम ठाकुर** : अध्यक्ष महोदय, आज हमने नियम-67 के तहत एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है। हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था हर रोज बिगड़ती जा रही है। पिछले कल की घटना जोकि बद्दी में घटित हुई वह तो बहुत ही ह्रदय विदारक घटना है। उसमें ट्रक यूनियन के दो गुटों का आपस में झगड़ा हुआ है और यह भी बताया जा रहा है कि दोनों गुट ड्रग की तस्करी में भी संलिप्त हैं। उनके लेन-देन में कुछ कमी रह गई यानि के उनका हिसाब नहीं मिला तो उस बात को झगड़े में तब्दील होने में थोड़ा ही वक्त लगा। उसके बाद तो यह स्थिति बन गई कि 14-15 लोग डण्डे लेकर पहुंच गए और वहां पर एक प्रकार की मॉब लिंचिंग की गई। वहां पर तीन युवकों की बुरी तरह से पिटाई की गई जिस कारण एक युवक की तो मौके पर ही मृत्यु हो गई। एक को पी.जी.आई., चण्डीगढ़ में भेजा गया है और उसके जीने की सम्भावाएं कितनी हैं, यह भी एक चिंता का विषय है क्योंकि वह गम्भीर रूप से घायल है। एक युवक पंचकुला के अस्पताल में दाखिल है। हरियाणा के राहुल राय नाम के युवक की मृत्यु हुई है और उसे वहां पर जिस प्रकार से कीचड़ में घसीट-घसीट कर पीटा गया, मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में इस प्रकार का दृश्य पहले कभी देखने को नहीं मिला है। उस घटना के वीडियोज़ सोशल मीडिया में देखने को मिल रहे हैं जोकि बहुत बड़ी चिंता का विषय है।

अध्यक्ष महोदय, हमने और हमारे

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

**27-08-2024/1155/केएस/एजी/1**

**श्री जय राम ठाकुर जारी....**

इसलिए अध्यक्ष महोदय, हमने और हमारे विपक्ष के सभी साथियों ने मिलकर यह तय किया कि इस देवभूमि के लिए आज की तारीख़ में कानून व्यवस्था चिंता का विषय बन गई है। सरकार इस विषय को लेकर क्यों गम्भीर नहीं हो रही है? जब से यह सरकार बनी है, प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। पालमपुर के बस स्टेंड में एक युवती को बहुत बूरी तरह से घायल किया गया,उस पर दराट से कई वार किए गए। हिमाचल प्रदेश में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोर्ट के परिसर में भी गोलियां चल पड़ीं। पंजाब और दूसरे प्रदेशों से किराये पर गुंडे ले कर वहां गोलियां चलीं। गोलियां चलने की अगर बात आती है तो मैं बहुत अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि हम इस बात का बार-बार ज़िक्र करते रहे कि पूर्व में रहे एक विधायक का बेटा भी उसमें शामिल है और वे सत्ता के संरक्षण में लम्बे समय से यह काम करते रहे। इस तरह की अनेकों घटनाएं हुई हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह बहुत ही गम्भीर विषय है और बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ में जिस तरह से चिट्टा माफ़िया, कॉंट्रेक्ट माफ़िया, स्क्रेप माफ़िया, खनन माफ़िया है और अब तो हिमाचल प्रदेश में वन माफ़िया भी सक्रिय हो गया है। अतः इन सारे विषयों पर हमें इस सदन में बहुत ही गम्भीरता से चर्चा करनी चाहिए। वर्तमान सरकार की इस विषय में कोई गम्भीरता नहीं है। लगभग 25 अधिकारी पुलिस हैड क्वार्टर शिमला में बिना पोस्ट के लीव रिज़र्व पर बैठाए गए हैं। सारी पुलिस को इस प्रकार से काम में लगा दिया गया है। सी.पी.एस. की सुरक्षा के लिए पायलट, पायलट के साथ-साथ बाकी गाड़ियां और टैक्सियां हायर की हुई हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है। कौन सा खतरा हो गया हमारे विधायकों को, सी.पी.एस. को कि सारी पुलिस इस काम में लगा दी है? इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि इन सारे विषयों पर चर्चा करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष जी, हत्याओं और बलात्कार की घटनाओं और खासकर पिछले कल की जो ताजा घटना हुई है, उसकी गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आज हमने नियम-67 के अंतर्गत चर्चा के लिए आपसे निवेदन किया है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस विषय की गम्भीरता को समझते हुए तुरंत सदन की सारी कार्यवाही स्थगित करके हमें चर्चा करने का अवसर प्रदान किया जाए।

**27-08-2024/1155/केएस/एजी/1**

**संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) :** अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के विधायकों ने जो यहां पर नियम-67 के तहत नोटिस दिया है, माननीय सदस्य सर्वश्री सुखराम चौधरी, सतपाल सिंह सत्ती और पवन काजल जी ने नियम-67 के तहत लॉ एण्ड ऑर्डर पर चर्चा का नोटिस दिया है, यह बात ठीक है कि लॉ एण्ड ऑर्डर एक महत्वपूर्ण विषय है और विपक्ष के नेता श्री जय राम ठाकुर जी ने जो इशूज़ रखे और ये जो इंसीडेंट्स कोट कर रहे हैं वे लॉ एण्ड ऑर्डर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं मगर अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने पहले ही नियम-130 के तहत आपको एक नोटिस दिया है। सर्वश्री त्रिलोक जम्वाल, राकेश जम्वाल, सुख राम चौधरी, बलबीर सिंह वर्मा जी ने ऑलरेडी नियम-130 का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय, आज जो हिमाचल प्रदेश में आपदा आई और उससे जो भारी नुकसान हुआ, उस पर चर्चा के लिए आपने श्री जय राम जी का नोटिस चर्चा के लिए रखा है और जिस तरह से बहुत सारे विधायकों ने कहा कि 70 से अधिक लोग मरे, लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है, आज सदन में जो इशूज़ आपने लिस्ट किए उस पर चर्चा हो और इनका जो नियम-130 का नोटिस है उस पर कल परसों या कभी भी चर्चा हो सकती है। क्योंकि यह सदन अभी 10 दिन चलना है और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार मॉनसून का सैशन 10 दिन का रखा गया है। हमारे पास बहुत लम्बा समय है। चाहे लॉ एण्ड ऑर्डर हो या अन्य इशूज़ हों, उन पर विस्तृत रूप से सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। एजेंडे में जो इशूज़ हैं उनके मुताबिक आप चले और नियम- 130 का हमें कोई एतराज़ नहीं है। नियम-130 के तहत लॉ एण्ड ऑर्डर पर चर्चा हो, मुख्य मंत्री जी उसका जवाब देंगे। बद्दी की घटना का जो आप ज़िक्र कर रहे हैं, वह बहुत ही दुखद घटना है। बद्दी में जो परसों चिट्टे की घटना हुई,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

**27.08.2024/1200/av/as/1**

**संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) :** क्रमागत

उसमें मेरी जानकारी के मुताबिक तीन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और कुछेक को आइडेंटिफाई करके पुलिस उस संदर्भ में कार्रवाई भी कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, आप इस विषय की नियम-130 के अंतर्गत चर्चा लगाएं। आप जब भी उचित समझें, इस विषय की चर्चा लगाएं और सरकार इस बारे में जवाब देगी।

**अध्यक्ष :** माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम जी, आप बोलिए।

**श्री जय राम ठाकुर :** अध्यक्ष महोदय, अलग-अलग नोटिसिज आए हैं। इस विषय के संदर्भ में नियम-130 के अंतर्गत भी नोटिसिज आए हैं लेकिन सरकार को विषय की गंभीरता को देखना चाहिए। आज अगर आप इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब सरकार गंभीर नहीं हैं। आप रूटीन की चर्चा के अंतर्गत दूसरे विषयों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम यह कह रहे हैं कि प्रदेश में वर्तमान में जो हालात बने हुए हैं तो उस हिसाब से इसको प्राथमिकता देकर इस बारे में तुरंत चर्चा करने की आवश्यकता है। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आज की सारी कार्यवाही को स्थगित करके इस बारे में चर्चा की जाए। इसके अतिरिक्त प्रदेश में जो भारी बरसात के कारण नुकसान हुआ है, उस बारे में बाद में चर्चा होती रहेगी।

27.08.2024/1200/av/as/2

**अध्यक्ष :** माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप बोलिए।

**संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) :** अध्यक्ष महोदय, नियम-67 के अंतर्गत बहुत ही इमरजेंसी केसिज की चर्चा की जाती है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जिन केसिज को कोट कर रहे हैं ये घटनाएं तो हो चुकी हैं और उनके संदर्भ में पुलिस ने समय-समय पर कार्रवाई भी की हैं। मुझे नहीं लगता है कि आपने जो मुद्दा उठाया है वह इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी नियम-67 के अंतर्गत चर्चा की जाए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह महत्वपूर्ण नहीं है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है परंतु इतना भी नहीं है कि सदन की सारी-की-सारी कार्यवाही को स्थगित करके इसकी नियम-67 के अंतर्गत चर्चा की जाए। इन्होंने इस मुद्दे को सिर्फ

इसलिए उठाया है क्योंकि इनको सदन से बाहर जाने का बहाना चाहिए ताकि यह मुद्दा कल अखबार में आ जाए कि विपक्ष ने सरकार को कानून व व्यवस्था की स्थिति पर घेरा। मुझे नहीं लगता ....(व्यवधान) वर्ष 2017 से 2022 तक जब आपकी सरकार थी तो क्या उस वक्त मर्डर, रेप या किडनैपिंग के केसिज नहीं होते थे? अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि जब भी आपके पास समय होगा, आप इस विषय की नियम-130 के अंतर्गत चर्चा लाएं और सरकार जवाब देने को तैयार है। पुलिस ने वैसे तो हर केसिज में अपनी कार्रवाई की है।

**अध्यक्ष :** माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी, आप बोलिए।

**श्री रणधीर शर्मा :** अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही दुःखद बात है कि सरकार को प्रदेश में वर्तमान कानून-व्यवस्था की स्थिति गंभीर नहीं लग रही है। डी0सी0/एस0पी0 के ऑफिस से 200 मीटर दूर कोर्ट परिसर में दिन-दिहाड़े गोलियां चलती हैं, लोग घायल होते हैं और उस स्थिति को सरकार गंभीर नहीं समझ रही है। ...(व्यवधान) हम सत्र में ही तो चर्चा चाह रहे हैं। मैं माननीय सदस्य श्री राकेश कालिया जी का भी धन्यवाद करता हूं कि ये इस स्थिति को समझ रहे हैं क्योंकि ये भी हमारे बीच में से गए हैं, इसलिए समझ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आप कोई दिन समाचार पत्रों को उठाकर देखिए। अखबारों में एक या दो नहीं बल्कि 5-5, 6-6 खबरें कानून-व्यवस्था के संदर्भ में रोज़ाना छपती हैं। यहां चाहे बद्दी या ज्वाली की बात की जाए या फिर बिलासपुर में तो जो हुआ वह सबने देखा है। उसमें तो पंजाब से शूटर लाए गए। हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि पंजाब से शूटर



लाए गए और लाने वाले भी कौन थे? वे भी सरकार के कर्णधार पूर्व विधायक के बेटे और उसके बावजूद भी आप बोल रहे हैं कि यह मामला गंभीर नहीं है। हालात इस प्रकार के बन गए हैं कि स्कूल में पढ़ने वाली 11 बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है।

टी सी द्वारा जारी

**27.08.2024/1205/टी0सी0वी0/ए0एस0-1**

**श्री रणधीर शर्मा ... जारी**

शिमला में सरेआम मर्डर होते जा रहे हैं, पुलिस चौकी के अंदर लोग पुलिस कर्मियों को पीट रहे हैं। अगर इस सरकार की सारी घटनाओं को पढ़े तो पूरा दिन लगेगा। ये मेरे पास पूरा दस्तावेज है (कागजात दिखते हुए)। परंतु उसके बावजूद भी सरकार यह समझे कि यह विषय गंभीर नहीं है तो यह बहुत दुःखद पहलू है और इसका कारण यह है कि सरकार कानून-व्यवस्था को गंभीरता से नहीं ले रही है। इसी कारण से ये बड़े-बड़े अपराध हो रहे हैं, दिन-दिहाड़े गोलियां चल रही है और चोरियों के मामले बढ़े हैं। पिछले साल आपराधिक मामलों में तीन गुणा बढ़ोतरी हुई है। उसके बावजूद भी चर्चा नहीं हो रही है तो यह दुःखद विषय है। हम चाहते हैं कि पहले इस पर चर्चा हो। हम आपदा पर चर्चा के खिलाफ नहीं है, वह हमारा ही नोटिस है। परंतु उससे पहले कानून-व्यवस्था पर चर्चा हो जाए तो उसमें क्या दिक्कत है? इसलिए हमारा आग्रह है कि नियम-67 के तहत इस विषय पर तुरंत चर्चा की जाए बाकी सारी कार्रवाही उसके बाद शुरू की जाए।

**मुख्य मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने नियमों को हवाला देकर अपनी बात रखी है। प्रदेश में इस समय आपदा के कारण सबसे विकट परिस्थिति है। नियमों में यह प्रावधान है कि जब कोई अपात परिस्थिति आ जाए तो सारे कामकाज छोड़कर नियम-67 के तहत चर्चा करें। ये उन घटनाओं को लेकर कानून-व्यवस्था पर चर्चा करना चाह रहे हैं जिन घटनाओं में हमारी सरकार ने चाहे वह किसी का भी बेटा था, छह घंटे के अंदर जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। दूसरी बात जो किसी कानून की उल्लंघना करता है, चाहे वह किसी भी प्रकार के छोटे अपराध से लेकर बड़े अपराध में संलिप्त हैं, हमारी सरकार के कार्यकाल में जो भी आपराधिक घटनाएं हुई हैं, उन सब पर सख्त-से-सख्त कार्रवाई की गई, यही हमारी सरकार की विशेषता है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि

यह नशे के कारण हुआ है जिसको पूर्व मुख्य मंत्री, श्री जय राम ठाकुर जी लाए हैं। आप चर्चा किस पर कर रहे हैं, नियम-67 किस पर ला रहे हैं? जो नशे के व्यापारी हैं और नशे के धंधे में लगे

**27.08.2024/1205/टी0सी0वी0/ए0एस0-2**

हुए हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि सरकार नशे के धंधे में लगे हुए लोगों पर चर्चा करें। मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे जो भी चर्चा हो लेकिन वह किसी नियम के तहत होनी चाहिए? पंजाब के आदमी का मर्डर हुआ जो गांजा का व्यापार करता था। वहां दो नशे का व्यापार करने वालों के बीच में झगड़ा हुआ। वह पेमेंट लेने के लिए बद्दी आया और उनमें पेमेंट को लेकर कहासुनी हुई। पुलिस ने तुरंत उन पर कार्रवाई की और उसको अरेस्ट किया। दूसरे आदमी को जिसे चोट लगी थी उसको पी0जी0आई पहुंचाया। मेरा मानना यह है कि सरकार को इस विषय पर भी चर्चा करने की जरूरत है यानी लॉ एण्ड आर्डर पर चर्चा होनी चाहिए लेकिन चर्चा करने के लिए कुछ नियम तो होने चाहिए। अगर हम नशे का धंधा करने वाले व्यापारी के बारे में चर्चा करने हेतु स्थगन प्रस्ताव लाएंगे तो यह सदन की अवमानना है और इस मान्य सदन के लिए शर्मनाक बात होगी। आप इस चर्चा को लाइये, नियम के साथ लाइये, हमारी सरकार ने दस दिन दिए हैं और इन दस दिनों में हम इस पर सार्थक जवाब देंगे।

**अध्यक्ष श्री आर0के0एस0 ... जारी**

27.08.2024/1210/RKS/DC-1

...(व्यवधान)...

**अध्यक्ष :** श्री जय राम ठाकुर जी कृपया बैठ जाइए। Let me quote. मुझे कॉट करने दीजिए। ...(व्यवधान)... कृपया बैठ जाइए।...( Interruption)Please maintain order in the House. नियम-67 में स्पीकर की ही कंसेंट जाती है और आज सुबह 9:32 बजे

माननीय श्री जयराम ठाकुर जी, श्री बिक्रम सिंह, श्री जनक राज,सर्वश्री सुखराम चौधरी, सतपाल सिंह सत्ती, पवन कुमार काजल, रणधीर शर्मा, बलबीर सिंह वर्मा और श्री सुरेंद्र शौरी जी से नियम-67 के अंतर्गत एडजोर्नमेंट मोशन प्राप्त हुई जोकी नालागढ़, बिलासपुर, कांगड़ा, चम्बा और शिमला आदि जिलों में घटी आपराधिक घटनाओं व प्रदेश में निरंतर बिगड़ती कानून व्यवस्था से संबंधित है। जिस घटना का जिक्र अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने किया वह घटना स्पेसिफिक है। लेकिन जो विषय है उसमें इन सारी घटनाओं का जिक्र माननीय सदस्यों ने किया है। इससे पहले भी जो हमारे पास विभिन्न नियमों के तहत नोटिस आए हैं हम उनमें चर्चाएं टेक अप कर रहे हैं। आज भी नियम-62 व नियम-63 के तहत चर्चा लगी हुई हैं। सर्वश्री त्रिलोक जम्वाल, बलबीर सिंह वर्मा, सुखराम चौधरी और श्री राकेश जम्वाल जी ने भी प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के ऊपर चर्चा मांगी है। विधान सभा सचिवालय ने इस चर्चा को लिस्ट किया है और कल या परसों तक हम दोबारा से इस चर्चा को पुनः लिस्ट करेंगे। यह जो स्थगन प्रस्ताव है मैं इसको पढ़ रहा हूं- Rule 67 says 'Subject to the provisions of these rules, a motion for an adjournment of the business of the House for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance may be made with the consent of the Speaker'. यह ठीक है कि जो कल की घटना है वह दुःखद है। जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा कि पुलिस ने इस घटना के ऊपर तत्परता से कार्रवाई करते हुए कड़ा एक्शन लिया है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनसे विधान सभा सचिवालय और आप परिचित हैं। जिस घटना में एफ.आई.आर. हुई है उसका जिक्र में यहां नहीं करना चाह रहा हूं । आज इस मानसून सत्र का पहला दिन है और हमने आज की इस कार्यवाही में बहुत से गंभीर विषय लाए हैं। मुझे नियम- 67 को इन्वोक करने का कोई मतलब नहीं लगता। इसलिए जो नियम- 67 में आपकी डिस्कशन आई है उसको मैं रिजेक्ट कर रहा हूं। मैं इस डिस्कशन को नियम-130 में लिस्ट कर रहा हूं।

**(विपक्ष के सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)**

27.08.2024/1210/RKS/DC-2

अब प्रश्नकाल समाप्त हो चुका है।

**(भाजपा विधायक दल के सभी सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए।)**

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

**संसदीय कार्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे पहले चर्चा की थी कि

**श्री बी.एस.द्वारा ... जारी**

27.08.2024/1215/बी.एस./.डी.सी.-1

**उद्योग मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री) जारी...**

आदरणीय कंगना जी जो मण्डी से सांसद हैं उनका विवादित बयान है उस पर सदन चर्चा करना चाहता है। आप विडंबना देखिए कि भाजपा का विधायक दल कानून-व्यवस्था की बात कर रहा है। आज विधान सभा के बाहर महिला कांग्रेस एक भाजपा विधायक के द्वारा जो टीका-टिप्पणी की गई है इसमें मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि ये हमारे साथी हैं। उस बारे में महिला कांग्रेस बाहर प्रदर्शन कर रही है। चिट्टे के इश्यू में दो पर्टियों में झगड़ा हो गया परंतु ये एक पार्टी का समर्थन कर रहे है, इनका उनसे क्या संबंध है? आज इनके पास बोलने के लिए कोई भी इश्यू नहीं है। मैं दूसरे इश्यू के बारे में कहना चाहता हूं जिस बारे में मैंने जिक्र किया था कि हमारी जो सांसद हैं, कुमारी कंगना जी उन्होंने हिन्दुस्तान के किसानों और बागवानों के प्रति एक विवादित ब्यान दिया है। उन्होंने कहा कि सभी ने देखा है कि किसान आंदोलन में क्या हुआ? प्रदर्शन के नाम पर हिंसा फैलाई गई रेप हो रहे थे, लोगों को मार कर लटकाया जा रहा था। किसानों से जुड़े तीन कानून वापिस ले लेने के बाद भी प्रदर्शन चलता रहा। अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा निंदनीय बयान है। मैं इस सदन में इस मुद्दे को इसलिए रख रहा हूं क्योंकि वे हिमाचल प्रदेश से चुनी हुई प्रतिनिधि हैं। चुनी हुई प्रतिनिधि को किसी भी तबके के प्रति, विशेष कर किसानों और बागवानों के खिलाफ ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। सांसद ने किसानों के ऊपर जो आरोप लगाया है यह पूरे हिन्दुस्तान के किसानों का अपमान है। यह सदन इसका खंडन और भर्त्सना करता है। आज भाजपा के विधायक बाहर चले गए हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि इनकी इस बारे

में क्या राय है? जबकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस बात का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के नीतिगत विषय पर बोलने के लिए कंगना रहनौत को न तो अनुमति है और न ही बयान देने के लिए अधिकृत है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने इस बात से पल्ला झाढ़ दिया है। कुमारी कंगना रहनौत इस तरह के विवादित बयान देने के लिए पहले से ही मशहूर है और वह जो बयान देती है वह केवल विवाद क्रिएट करने और मीडिया में चर्चा करने के लिए ही दिए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, देश के किसानों को हत्यारा और बलात्कारी बोला जाए, यह बड़ा दुःखद है। सांसद ने यह भी कहा है कि अमेरिका और चीन देश में अस्थिरता फैला रहे हैं। यानी मोदी सरकार इतनी कमजोर है कि विदेशी तकतें साजिश रच रही हैं?

27.08.2024/1215/बी.एस./.डी.सी.-2

इस बारे में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। मैं चाहता हूं कि सदन में एक प्रस्ताव पास होना चाहिए कि जो बयान दिए जा रहे हैं उनका यहां पर खंडन होना चाहिए। क्या भारीय जनता पार्टी के विधायक कंगना जी के बयान से सहमत हैं, या इससे ये भी पल्ला झाड़ना चाहते हैं? मैं चाहूंगा कि सदन इस पर चर्चा करें। जो हमारे अन्न दाता और बागवान भाई हैं उनके बारे में ऐसे बयान देना दुःख है। हमारे प्रदेश की न ऐसी संस्कृति है और न ही यहां पर इस तरह के लोग हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि सदन इस पर चर्चा करे और ऐसे बयानों का घोर खंडन करे।

**अध्यक्ष :** उप-मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

**उप-मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बड़ी विचित्र परिस्थिति पैदा हो गई है। आज सदन का पहला ही दिन है और प्रतिपक्ष जो प्रस्ताव ले करके आया है, मैं समझता हूं कि इस तरफ बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी पूर्व में मुख्य मंत्री भी रहे हैं। दो गैंग्ज आपस में लड़ रही हैं और गैंग्ज के लिए ये चाहते हैं कि सदन उनका संरक्षण करे। इससे बड़ा दिवालियापन शायद किसी भी राजनीतिक दल का नहीं होगा।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

**27.08.2024/1220/डी0टी0/एच0के0-1**

**उप मुख्य मंत्री जारी...**

आप ये तो देखें कि आज के दिन कानून व्यवस्था पर आपको प्रस्ताव लाना ही नहीं चाहिए था। आज स्थिति क्या है? जैसे मेरे साथी माननीय मंत्री जी ने भी कहा। मंडी लोक सभा से सांसद सुश्री कंगना जी ने जो कहा वह भी कानून-व्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला है। विधान सभा के बाहर क्या हो रहा है वह भी कानून-व्यवस्था से जुड़ा मसला है।

दूसरा, गैंगवार में नेता प्रतिपक्ष प्रस्ताव लेकर आ जाएं, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि इस विधायक दल को हो क्या गया है? आप नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव लेकर आ गए। आपके दल में कोई तालमेल ही नहीं है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को ये मालूम ही नहीं है कि उनके साथी विधायक क्या प्रस्ताव लेकर आ गए हैं। विधायक कह रहे हैं कि नियम-130 के तहत चर्चा की जाए ओर नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि नियम-67 के अंतर्गत चर्चा की जाए। आपस में बैठकर पहले चर्चा कर लो की ये प्रस्ताव किस नियम के अंतर्गत उठाया जाना था। अगर आप नियम-130 के अंतर्गत चर्चा नहीं करना चाहते थे तो उस नियम के अंतर्गत इस प्रस्ताव को नहीं लाना चाहिए था। विधान सभा तो नियमानुसार चलेगी। क्योंकि विधान सभा के अपने नियम है। कानून-व्यवस्था उस समय खराब होती थी जब कसौली में गोलियां चलती थी और डयूटी में गए अफसर की हत्या हो जाती थी। लेकिन आजकल जितने भी मामले हुए हैं ये आइसोलेशन की घटनाएं हैं और ऐसी जो घटनाएं हुईं हैं उसमें हमारी पुलिस ने प्रोमप्टली एक्ट किया है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस विधायकों की संख्या फिर से 40 हो गई, इसके कारण इनके पेट में दर्द है। मानसून सत्र के पहले ही दिन इन्होंने जो किया उससे शायद ये खुद भी संतुष्ट नहीं हैं लेकिन सदन से उठकर बाहर चले गए। ऐसे हालात पहले किसी भी विधायक दल के नहीं थे। इसलिए इनको मंथन करना चाहिए और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। ये प्रदेश को चलाना बड़ी जिम्मेदारी का काम है जो भी लोग चुनकर इस सदन में आए हैं उनकी प्रदेश के प्रति जिम्मेदारी है। इसलिए ये जो विपक्ष ने किया है मैं समझता हूं कि ये बहुत निंदनीय काम है जो मानसून सत्र के पहले ही दिन इन्होंने किया है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय जो आपके द्वारा इसपर रुलिंग दी गई है, मैं उस रुलिंग को अपने विधाायक दल की ओर से एप्रिसिएट करता हूं क्योंकि यही बनता था कि गैंगवारज के बार में नेता प्रतिपक्ष प्रस्ताव

लेकर आए, गुंडों के बारे में प्रस्ताव लेकर आए, हिमाचल की विधान सभा जब से बनी है ऐसा कभी नहीं हुआ होगा।

**27.08.2024/1220/डी0टी0/एच0के0-2**

**अध्यक्षः** माननीय मुख्य मंत्री जी आप भी कुछ कहना चाहते हैं?

**मुख्य मंत्रीः** अध्यक्ष महोदय, माननीय उपमुख्य मंत्री व माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने सही कहा क्योंकि एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई उसका संबंध हरियाणा की किसी गैंग से था और दूसरे वो जो नशे के व्यापारी थे। ये जो भी दो-तीन घटनाएं हुई यह नशे से जुड़ी हुई है। जब विपक्ष के हमारे साथी चर्चा लाए, चर्चा इस सदन में लानी भी चाहिए, पर ये बात कि सभी काम छोड़ कर उस प्रस्ताव पर चर्चा करो, जो लोग नशा व्यापार में सम्मिलित हैं, उनकी मृत्यु पर चर्चा करो, ये तो ठीक बात नहीं। । ऐसा पहली बार इस सदन में देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि जब हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य बहिर्गमन कर रहे थे तो इनके मुंह से नारे नहीं निकल रहे थे। हम सभी जानते हैं कि ये सदन उच्च परंपराओं और गरिमा से चलता है। हम कानून-व्यवस्था पर भी चर्चा को तैयार हैं आप जिस नियम के अंतर्गत इस पर चर्चा लाए उस नियम का तो सही हवाला दिया जाता। प्रदेश में आपदा आई हुई है अगर उस पर नियम-67 के अंतर्गत भी चर्चा लाते तो हमारी सरकार उसे स्वीकार करती। अब गुंडों पर चर्चा इस विधान सभा के माननीय सदन में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से होगी, मैं भी पिछले 20 वर्षों से इस सदन का सदस्य हूं, लेकिन पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है। ऐसा तब होता है जब विपक्ष के विधायक दल पर किसी का नियन्त्रण न रहे और जो विधायक पहले आकर अपनी बात बोले उसके आधार पर आगे काम किया जाता है। क्या दो दिन आपको पता नहीं था कि बद्दी में घटना हुई थी? नियम-130 के अंतर्गत जो आप आपदा पर प्रस्ताव दे रहे थे, क्या उसमें नहीं दे सकते थे। आप नियम-130 के अंतर्गत इसको लाते हम उसको स्वीकार करते। आप कानून-व्यवस्था पर चर्चा लायेंगे, आप सभी मुद्दों पर चर्चा लाएं हम हर मुद्दे पर विपक्ष को जवाब देने को तैयार हैं।

**श्री एन0जी0 द्वारा ... जारी**

**27-08-2024/1225/एच.के.-एन.जी/1**

**मुख्य मंत्री.....जारी**

यदि विपक्ष के माननीय सदस्य जनता से जुड़े मुद्दों पर कोई प्रस्ताव लाते हैं तो हमारी सरकार उसे स्वीकार करेगी। यदि विपक्ष के लोग भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों पर कोई प्रस्ताव लाते हैं तो हमारी सरकार उसे भी स्वीकार करेगी। लेकिन ये सभी मुद्दे नियमों के अनुसार लाए जाएं और उन विषयों पर हमारी सरकार पूरा विचार-विमर्श करके उसका उत्तर विपक्ष के माननीय सदस्यों को देगी।

अध्यक्ष महोदय, ये लोग जनता से जुड़े मुद्दों पर कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आएंगे। समेज में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई उस पर ये कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आए। अनेक सड़कें टूट गईं, पानी की योजनाएं बह गईं, पिछले वर्ष की आपदा में 505 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और यह हमारी ही सरकार है जिसने 48 घण्टे व एक वर्ष के भीतर सभी सड़कों को चलने लायक बनाया तथा सभी पीने के पानी की योजनाओं को दुरूस्त किया। बागवानों का सेब फंस गया था और उसके लिए हमारी सरकार ने युद्ध स्तर पर काम किया जिसके फलस्वरूप बागवानों का एक-एक सेब मंडियों तक पहुंच पाया। मेरा मानना है कि इन विषयों पर चर्चा लानी चाहिए थी लेकिन ये लोग इन पर चर्चा लाना नहीं चाहते।

अध्यक्ष महोदय, इन लोगों को चर्चा इस विषय पर लानी चाहिए थी कि आपदा के बाद हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष जो 9300 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था उसकी भरपाई केन्द्र सरकार द्वारा क्यों नहीं की गई। लेकिन इस विषय पर चर्चा के लिए विपक्ष के लोग तैयार नहीं है। आपदा के दौरान भी केन्द्र सरकार से प्रदेश को कोई पैसा नहीं मिला। इन विषयों पर इन्हें नियम-130 के तहत प्रस्ताव लेकर आना चाहिए। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने भी कहा है कि इस प्रकार से विपक्ष का वॉक्आऊट करके जाना यही

दर्शाता है कि ये अपने आप को सुर्खियों में रखना चाहते हैं। हम इनके इस प्रकार के व्यवहार की कड़ी निंदा करते हैं। धन्यवाद।

**27-08-2024/1225 एच.के.एन.जी/2**

**अध्यक्ष :** माननीय राजस्व मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

**राजस्व मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, वैसे तो आपने नियम-67 के तहत विपक्ष के माननीय सदस्यों को लगभग 20 मिनट का समय दे ही दिया है। श्री जय राम ठाकुर जी के पास जितने तथ्य थे वे उन्हें बोल कर थक गए और अपने स्थान पर बैठ गए। उनके बाद अन्य माननीय सदस्यों ने भी बोल दिया। इस प्रकार से आपने इन्हें चर्चा करने के लिए पूरा समय दे दिया है। वास्तव में तो इन्हें नियम-67 की आड़ में बाहर जाने का रास्ता चाहिए था। आज की कार्यसूची में नियम-130 के अंतर्गत श्री जय राम ठाकुर जी का एक विषय लगा हुआ है और उसमें उन्हें बाहर जाने का मौका नहीं मिलना था क्योंकि उस विषय पर हमारी सरकार की ओर से पिछले तथा इस वर्ष भी बेहतरीन काम किया गया है। केवल लाइम लाइट में आने के लिए आज ये लोग बाहर चले गए। श्री जय राम ठाकुर जी ने कानून व्यवस्था को लेकर जो विषय यहां पर रखा है, वह घटना भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन एक घटना से क्या पूरे हिमाचल प्रदेश की कानून व्यवस्था समाप्त हो गई? माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने माननीय सांसद सुश्री कंगना रणावत के संदर्भ में कहा है और उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दे दी जिससे लॉ एण्ड ऑर्डर बिगड़ने का पूरा चांस है। मेरा मानना है कि उस पर चर्चा होनी चाहिए। एक माननीय सांसद जोकि हिमाचल प्रदेश से निर्वाचित हुई हो और वे किसान आंदोलन के दौरान 700 किसानों, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, के विरूद्ध कहें कि वे लोग तो रेप कर रहे थे, वे लोग मर्डर कर रहे थे, इतनी घटिया व निर्लज बात एक माननीय सांसद के मुख से सामने आना लॉ एण्ड ऑर्डर का विषय है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनके (सांसद) ऊपर एक मुकदमा दायर

किया जाए क्योंकि उनका बयान हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाला है। यहां पर तो लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और इस प्रकार से तो पूरा लॉ एण्ड ऑर्डर बिगड़ सकता है।

**27-08-2024/1225/एच.के.-एन.जी/3**

अध्यक्ष महोदय, अब श्री जय राम ठाकुर जी बहुत परेशान हैं। इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, धनबल व दल-बदल की पूरी ताकत लगा दी थी और हमें कह रहे थे कि 50 लोग वहां पर बैठे हुए हैं, सी.पी.एस. के आगे-पीछे पुलिस लगी हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि इनके नेताओं के आगे-पीछे तो सी.आर.पी.एफ. की पुरी बारात लगी हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि श्री जय राम ठाकुर जी करें तो राम लीला और हम करें तो रास लीला, यह तो कोई बात नहीं बनी। धन्यवाद।

**(विपक्ष के माननीय सदस्य सभामण्डप में पुनः वापिस आए।)**

**अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, श्री कुलदीप सिंह राठौर जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री कुलदीप सिंह राठौर.....श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

**27-08-2024/1230/केएस/वाईके/1**

**श्री कुलदीप सिंह राठौर :** आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे आदरणीय मंत्री जी जो यहां पर निंदा प्रस्ताव ले कर आए हैं।

**अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, अब उस पर रूलिंग हो गई है। आप दूसरे इशूज़ पर बोलें।

**श्री कुलदीप सिंह राठौर** : अध्यक्ष जी, मुझे इजाज़त दें। मुझे उसमें थोड़ा सा बोलना है। क्योंकि यह किसानों और बागवानों से जुड़ा मुद्दा है।

**अध्यक्ष** : ठीक है, आप उस पर बोल सकते हैं।

**श्री कुलदीप सिंह राठौर** : मैं कंगना पर ही बोल रहा हूं। देखिए जो बयान हमारी माननीय सांसद सुश्री कंगना रणौत जी ने दिया है, उससे पूरा किसान और बागवान वर्ग नाराज है। वैसे तो उनको हमेशा से ऊट-पटांग बोलने की आदत है। लेकिन अब वे सांसद हैं और सबसे बड़ी बात कि वह हमारे पूर्व मुख्य मंत्री ठाकुर जय राम ठाकुर जी के क्षेत्र से आती हैं। ज़ाहिर है इनका चुनाव क्षेत्र था, इन्होंने उनको जीताने में बहुत ज़ोर लगाया होगा और वे जीत कर भी आईं लेकिन उनकी आवाज पर ये नियंत्रण नहीं रख पाए। उन्होंने जो कहा, किसानों के बारे में उन्होंने कहा कि जो किसान आंदोलन कर रहे थे वे बलात्कारी, ...(व्यवधान) मुझे कम्पलीट करने दें। उन्होंने किसानों के बारे में कहा कि जो किसान हैं वे बलात्कारी हैं और विदेशी ताकतों के एजेंट हैं, उस पर हमें बहुत आपत्ति है। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, पूरा एक साल तीन सौ अट्ठत्तर दिन आंदोलन चला। 700 किसान शहीद हुए। ...(व्यवधान) आपको तकलीफ क्यों हो रही है? यह गलत बात है। इसका मतलब तो यह है कि जो बयान उन्होंने दिया, आपकी उसमें सहमति है। ... (व्यवधान) नहीं, यह गलत बात है। मुझे कम्पलीट करने दें। इसका मतलब यही है कि जो उन्होंने कहा है, उसमें आपकी सहमति है। ... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दिया जाए।

**अध्यक्ष** : आप बोलें। मेरा विपक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया शोर न करें। मैंने इन्हें बोलने की अनुमति दी है। आप बैठ जाएं। आपको भी समय दिया जाएगा। यह कंगना का स्टेटमैंट है। इनको बोलने दें। ...(व्यवधान)

**27-08-2024/1230/केएस/वाईके/2**

**श्री कुलदीप सिंह राठौर :** अध्यक्ष महोदय, जो 700 किसान शहीद हुए, उनके परिवारों की ये कोई सुध नहीं लेते। ...(व्यवधान)

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य आपस में नोंक-झोंक करने लगे)

**श्री कुलदीप सिंह राठौर :** देखिए तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। इनको तकलीफ हो रही है क्योंकि इनकी सहमति कंगना रणौत जी के बयान के साथ है। अध्यक्ष महोदय, क्या ये किसान और बागवान हैं?

**अध्यक्ष :** कृपया बैठ जाए। मैं आपको समय दूंगा। ...(व्यवधान) Nothing will go on record. ...(Interruption)

**श्री कुलदीप सिंह राठौ**र : मुझे हैरानी है कि हमारे विपक्ष के साथी किसान और बागवानों की पृष्ठभूमि से आते हैं। इनको क्या आपत्ति है? ... (व्यवधान)

**Speaker :** No interruption please, only the statement being given by the Hon'ble Member Shri Kuldeep Singh Rathore will go on record. ...(Interruption) Please take your seats. ...(Interruption)

**श्री कुलदीप सिंह राठौर :** अध्यक्ष जी, विपक्ष के साथियों का आचरण आज पूरा प्रदेश देख रहा है।

(पक्ष और विपक्ष के सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो कर नारेबाजी करने लगे)

श्रीमी अ0व0 द्वारा जारी---

**27.08.2024/1235/av/yk/1**

**Speaker :** Please take your seats. ...(Interruption). माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी और श्री विनोद कुमार जी, बैठ जाइए। ...(व्यवधान) मुझे बोलने दो। हमारी यहां से सांसद कंगना रणौत ने किसानों के प्रति जो स्टेटमेंट दिया है वह सभी न्यूज पेपर्स में

रिपोर्टिड है और उसको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भी कंडेम किया है। यहां पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसका रेफ्रैंस दिया है। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी, मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। मुझे मेरी बात खत्म करने दो। उनकी स्टेटमेंट को केंद्र का नेतृत्व भी कंडेम करता है और किसानों के विरुद्ध उनके इस बयान को यह हाउस भी कंडेम करता है, यही एक इश्यू है।

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, विपक्ष ने जब वॉकआउट किया तो माननीय संदसीय कार्य मंत्री ने एक ऑफिशियल रेजोल्यूशन लाया। हमें क्या पता था कि ये लोग दस मिनट के अंदर ही अपनी गलती सुधार कर वापिस आ जाएंगे। हमने तो इस रेजोल्यूशन पर चर्चा करनी थी। अभी इस पर माननीय सदस्य श्री कुलदीप सिंह राठौर जी बोल रहे थे तो इसको रेजोल्यूशन माना जाए।

**संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) :** अध्यक्ष महोदय, बात केवल इतनी-सी है कि this is a Resolution moved by the Congress Legislative Party. It has to be put for the Vote. यहां पर माननीय नेता प्रतिपक्ष जी नहीं थे और मैंने यह प्रस्ताव किया है कि माननीय सांसद कंगना रणौत जी ने जो किसानों के प्रति स्टेटमेंट दी है, वह निंदनीय है।

**अध्यक्ष :** मेरे पास वह लिखित नहीं आया है।

**संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) :** अध्यक्ष महोदय, वह निंदनीय है और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की सरकार ने भी उससे पल्ला झाड़ा है। पार्टी के नीतिगत विषय पर बोलने के लिए न तो कंगना रणौत जी को अनुमति है और न ही वह बयान देने के लिए अधिकृत है। इससे केंद्र नेतृत्व ने भी पल्ला झाड़ दिया है। कंगना रणौत हिमाचल प्रदेश से सांसद है। मैंने प्रस्ताव मूव किया है क्योंकि यह बयान किसान व बागवान विरोधी है क्योंकि किसानों-बागवानों को रेपिस्ट कहना गलत है। इस बयान से किसानों-बागवानों की भावनाएं आघात हुई हैं। इसलिए यह सदन कंगना रणौत के उस बयान का खण्डन करता है। Hon'ble Speaker, Sir, please put this Resolution for voting. Let us see what

is the stand of Bharatiya Janata Party? …(Interruption) They should clarify their stand.

**अध्यक्ष :** मैंने पहले ही रूलिंग दे दी है और आप सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ ही हैं। उन्होंने जब इस स्टेटमेंट का खण्डन कर दिया है तो विपक्ष का भी खण्डन माना जाता है।

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी, बोलिए।

**टी सी द्वारा जारी**

**27.08.2024/1240/टी0सी0वी0/ए0जी0-1**

**श्री जय राम ठाकुर :** अध्यक्ष महोदय, आपने बड़ा स्पष्ट कर दिया है लेकिन जो व्यक्ति अपना पक्ष इस माननीय सदन में नहीं रख पाए, यह इस माननीय सदन की परम्परा रही है कि उनका नाम लेकर कोई चर्चा नहीं करेंगे और आप भी उस पर चर्चा करने की इजाजत नहीं देते हैं। परंतु उसके बावजूद भी उन पर चर्चा करने की कोशिश की गई। इस बात को लेकर हमारी पार्टी ने अपनी पार्टी की सांसद के संदर्भ में स्पष्ट कर दिया है। यह उनका निजी मत हो सकता है लेकिन यह पार्टी का मत नहीं है। जब हमारी पार्टी के नेतृत्व ने इसको स्पष्ट कर दिया है तो इसको इस सदन में लाने का कोई औचित्य नहीं है और न ही इसको राजनीतिक दृष्टि से उछालने की आवश्यकता है।

**27.08.2024/1240/टी0सी0वी0/ए0जी0-2**

## साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

**अध्यक्ष :** अब माननीय मुख्य मंत्री,सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाएंगे।

**मुख्य मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं जोकि इस प्रकार है :-

मंगलवार, 27 अगस्त, 2024 : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

(1) शोकोद्गार

(2) शासकीय/विधायी कार्य

बुधवार, 28 अगस्त, 2024 : शासकीय/विधायी कार्य

वीरवार, 29 अगस्त, 2024 : (1) शासकीय/विधायी कार्य

(2) गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस

शुक्रवार, 30 अगस्त, 2024 : शासकीय/विधायी कार्य

शनिवार, 31 अगस्त, 2024 : बैठक नहीं होगी ।

रविवार, 1 सितम्बर, 2024 : अवकाश

**अध्यक्ष** : अब सचिव, विधान सभा सदन द्वारा पारित उन विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे जिन पर माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

**सचिव, विधान सभा** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जिन्हें माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैं :

1. हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 (2024 का अधिनियम संख्यांक 2);

**27.08.2024/1240/टी0सी0वी0/ए0जी0-3**

2. हिमाचल प्रदेश जल-विद्युत उत्पादन पर जल उपकर (संशोधन) विधेयक, 2023 (2024 का अधिनियम संख्यांक 3);

3. हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2023 (2024 का अधिनियम संख्यांक 4);
4. हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2024 (2024 का अधिनियम संख्यांक 5); और
5. हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 (2024 का अधिनियम संख्यांक 6)।

**27.08.2024/1240/टी0सी0वी0/ए0जी0-4**

## नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

**अध्यक्ष :** अब नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सर्वप्रथम माननीय सदस्य श्री चन्द्र शेखर जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय लोक निर्माण मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे। यदि माननीय सदस्य चाहे तो अध्यक्षपीठ की अनुमति से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। You should be very brief and concise about the subject.

**श्री चन्द्र शेखर (धर्मपुर) :** अध्यक्ष महोदय, यह विषय महज मेरे विधान सभा क्षेत्र का विषय नहीं है, यह हमीरपुर की टौणी देवी से लेकर मण्डी के तल्याड़ा तक के नेशनल हाईवे -70 से संबंधित विषय है। इसके बारे में पिछले एक साल से लेकर कई माननीय सदस्य अपना पक्ष रख चुके हैं। मैंने भी कई बार इसके बारे में अपना पक्ष रखा है लेकिन इस बार बरसात के बाद जो हालात बने हैं उससे परिस्थितियां बहुत खराब हुई हैं। इस रोड सड़क का निर्माण परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है जिसे हम नेशनल हाइवे-70 कहते हैं। इसकी क्वालिटी और पैरामीटर को लेकर जो जन-समस्याएं उभरी हैं उनको लेकर मेरी और स्थानीय लोगों की बहुत-सी आपत्तियां और सवाल हैं। यह रोड लगभग 60 प्रतिशत मेरे क्षेत्र से होकर निकलता है। इसलिए इसमें मेरा कंसर्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। अध्यक्ष महोदय, इस रोड का निर्माण भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2019-20 में गावर कंपनी के द्वारा शुरू करवाया गया था। इससे जनता को लग रहा था कि इससे बहुत फायदा

होगा लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसी तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण योजनाएं 92 और 73 करोड़ रुपये की हैं। जिससे बसंतपुर, पपरोग, रकोब, बकाटा, बरछवाड़, दारपा, परसादा, टिहरा, कोट, गिरोह, चौंतरा, संधोल, सजाव पीपलू और डरवाड़ लगभग 16 पंचायतों के लिए पानी आपूर्ति को लेकर लगभग पौने 200 करोड़ रुपये की योजनाएं हैं। इसके लिए कंपनियों के साथ लगातार पत्राचार किया गया

**श्री आर0के0एस0 ... जारी**

27.08.2024/1245/RKS/AG-1

श्री चंद्र शेखर... जारी

लेकिन इन्होंने जो राष्ट्रीय स्तर पर इसको रिजेक्ट कर दिया उससे इन योजनाओं का कार्य 20 प्रतिशत पर ही खड़ा हो गया। जो योजनाएं मार्च, 2024 तक कंप्लीट होनी थी अब वे योजनाएं वर्ष 2025-26 तक कंप्लीट होंगी। इससे हमारी जनता को काफी असुविधा होगी। इन योजनाओं के लिए जो हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से पैसा खर्च किया जाएगा उसकी लागत भी आगे जाकर बढ़ जाएगी। लेकिन इस समय उस पैसे का आकलन करना मुश्किल है। इसके अलावा सरकाघाट शहर में जो इन कंपनियों द्वारा सीवरेज का काम करना था उसमें भी इन्होंने पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ दिया है। सरकाघाट शहर में बिजली विभाग का एस.डी.ओ. व एक्सिअन ऑफिस भी खतरे में आ चुका है। कम्युनिटी के तौर पर इनका प्रसारण राष्ट्रीय चैनलों में भी दिखाया गया। वहां पर एक पुलिस जवान का घर भी पूरी तरह से खत्म हो गया है। इस रोड में इन्होंने अनसाइंटिफिक तरीके से काम किया है। अवाहदेवी से पाड़छू तक का काम पैकेज एक में आता है। पैकेज तीन का कार्य मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से शुरू होकर माननीय श्री अनिल शर्मा जी के निर्वाचन क्षेत्र, मण्डी सदर में पूरा होता है। संबंधित उपायुक्त व एस.डी.एम. ने इन कंपनी वालों को कई बार बुलाया लेकिन ये कंपनी वाले अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं समझते। माननीय मंत्री जी हमारे बीच में विराजमान हैं, इन्होंने भी इस विषय में अपने स्तर पर दो बार मीटिंग्स कर ली हैं। लेकिन ये न तो मंत्री, न विधायक और न ही जिलाधीश की बात को समझते हैं। इस वक्त आम जनता पूरी तरह से त्रस्त हैं।

109 किलोमीटर के इस रोड को गावर कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। मैं सरकार से चाहता हूं कि सरकार इस पर संज्ञान लें। वहां पर कई प्रकार की समस्याएं हैं। इन्होंने जो वर्टिकल कटिंग की है उसमें लगभग 24 एफ.आई.आर. हुई हैं। मैं भी इस एफ.आई.आर. में शामिल हूं। लोगों ने इस विषय पर 24 एफ.आई.आर. करवाई लेकिन इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये अपने निम्न स्तर के अधिकारियों को पूछताछ के लिए भेजते हैं जिनके पास इस क्षेत्र की जनता को समझाने के लिए कुछ विशेष नहीं होता है। अध्यक्ष जी, सरकाघाट स्कूल का भवन भी इस वक्त खतरे में है। मेरी रखोह पंचायत के तीन गांव पूरी तरह से खतरे में है। अगर इन लोगों ने इस पर कार्य नहीं किया तो इसका खामियाजा मेरे क्षेत्र की जनता को भरना पड़ेगा। मैंने माननीय उच्च न्यायालय को भी अपनी तरफ से एक चिट्ठी लिखी है। मैंने माननीय सड़क परिवहन मंत्री, भारत सरकार को जनवरी में एक पत्र लिखा था। मैंने उस पत्र के माध्यम से अपनी जनता का पक्ष रखा लेकिन भारत

27.08.2024/1245/RKS/AG-2

सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अध्यक्ष जी, यह बहुत लंबा विषय है लेकिन मैं इसको बहुत शॉर्ट में कह रहा हूं। मुझे मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जलापूर्ति व सिंचाई जल योजनाओं को मुकमल करने का बहुत बड़ा प्रैशर है। मुझे अपने क्षेत्र की सीवरेज की समस्याओं के बारे में आने वाले दिनों में बड़ी चुनौतियां आएंगी। इन्होंने जो मुआवजे दिए हैं उनमें जनता को तो पैसा मिल गया लेकिन जो इन्होंने आधे-अधूरे मकान तोड़े हैं वे सरकाघाट शहर के अंदर खंडहर की तरह लगते हैं। जिस तरह यूक्रेन के अंदर स्थितियां दिखती हैं वही स्थितियां आज सरकाघाट शहर के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप कभी इन मकानों का जायजा लेंगे तो आपको लगेगा कि इन मकानों को किसने अनसाइंटिफिक तरीके से तोड़ा है। लोग न तो उन मकानों में रह पा रहे हैं और न ही छोड़ पा रहे हैं। ये सभी स्थितियां इस कंपनी के द्वारा खड़ी की गई हैं। वहां पर 90 डिग्री पर कटिंग हुई है। उस सड़क के 30 मीटर ऊपर लोगों के मकान है। लोग उन मकानों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि 70 मीटर की रिटेनिंग वॉल लगाना इनके प्रोविजन में होगा। इस वक्त वहां की परिस्थितियां विकराल हो चुकी हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी चुनाव के वक्त इन सब बातों से अवगत

करवाया था कि वहां पर ये परिस्थितियां बनी हुई हैं। इन कंपनी वालों ने पिछली सरकार में प्रभावशाली मंत्री की बेटी के घर को बचाने के लिए इस रोड को डाइवर्ट कर दिया था। उनके परिवार को तो सुरक्षा दे दी गई लेकिन इसमें लगभग 40 पंचायतें ऐसी हैं जिनमें अनसाइंटिफिक तरीके से कटिंग हुई हैं और इससे इन पंचायतों के लोग बड़ी खौफ से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। इस रोड को ग्रीन हाइवे कहा गया है। इनके ऊपर जो अन्य सामाजिक दायित्व थे उनका निर्वाह करना तो दूर की बात है लेकिन उन्होंने मुख्य समस्याओं को भी हल नहीं किया। उन्होंने इन 3 सालों के भीतर वहां पर एक पेड़ भी नहीं लगाया। आज वहां पर इस प्रकार की परिस्थितियां हैं।

**श्री बी.एस.द्वारा ... जारी**

27.08.2024/1250/बी.एस./.ए.एस.-1

**श्री चंद्र शेखर जारी...**

एक पेड़ भी वहां पर दो-तीन सालों में नहीं लगाया गया है। सुन्दर नगर के पास बाई-पास रोड भी खतरे पर है। इसके अलावा किरतपुर फोर लेन के पास जो पुल था उसमें भी खराबी आ चुकी है। कुल्लू और मण्डी के बीच में जो पण्डोह के पास लोक अपनी यात्रा बड़े जोखिम के साथ कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार का कोई टकराव न बने। लेकिन हमारे प्रदेश की जनता का पक्ष मजबूती के साथ रखा जाना चाहिए। क्योंकि जैसे ही ये कंपनियां अपना काम करती हैं हिमाचल प्रदेश सरकार का लोक निर्माण विभाग इसमें से गायब करवा दिया जाता है। उनका हस्तक्षेप शून्य पर चला जाता है। मैं चाहता हूं कि निर्धारित, निश्चित और प्रभावशाली हस्ताक्षेप निरंतरता के साथ रहना चाहिए तथा हमारा प्रशासन अमला इसमें कोई प्रभावशाली एजेंसी लगाए ताकि रोजमर्रा के लोगों के मसले हैं और जो सरोकार है उन्हे नजरदांज न करके विज्ञानिक तौर-तरीके से जैसा कहा जाता है कि अमेरिका के तौर पर हम रोड तैयार करेंगे परंतु मुझे नहीं लगता, इससे बढ़िया काम तो हमारा लोक निर्माण विभाग हिमाचल प्रदेश में अपने तौर पर करता

है जैसे हमारी सरकार ने कहा कि हमारा सरकाघाट रोड पिछले 15 सालों से हमारी अपनी सरकार द्वारा बनाया गया। मुख्य मंत्री जी अभी जब दिल्ली गए तो उन्होंने भी वहां पर कहा कि यह राष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है यदि यह राष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है तो इन रोड्ज को राष्ट्रीय राम मार्ग डिक्लेयर करना चाहिए। परंतु प्रदेश स्तर पर जो केन्द्रीय एजेंसियों का हस्तक्षेप है, नार्थ के नाम पर उनसे आप हमारी जनता को कुचल रहे हो। पैसा कहां जा रहा है? हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन जो अनसाइंटिफिक तरीके से जो बिना खैर-ख्वाह लिए हुए अमानवीय तौर-तरीकों से काम हो रहा है। मैं सदन के समक्ष मुख्य मंत्री जी और उप-मुख्य मंत्री जी भी यहां पर बैठे हुए हैं जिनके विभाग में जो 200 करोड़ रुपये की योजना है तथा लोक निर्माण मंत्री जी भी यहां पर बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि इस पर सरकार कड़ा संज्ञान लें और मेरी जनता जो हमीरपुर जिला से ले करके मण्डी जिला तक त्रस्त हैं उनके बारे में आप आवश्यक कदम उठाएंगे। आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत आभार एवं शुक्रिया।

**अध्यक्ष :** अब इस चर्चा का माननीय लोक निर्माण मंत्री जी उत्तर देंगे।

27.08.2024/1250/बी.एस./.ए.एस.-2

**Public Works Department Minister :** Hon'ble Speaker, Sir, this is a very paradoxical situation whereas the Government and the State PWD has to reply on behalf of the Government of India and MoRTH, whereas it is our prerogative to raise questions on the issues which the Hon'ble Member, Shri Chander Shekharji has raised here pertaining to the maintenance of NH-70 which connects Mandi to Hamirpur and which is under construction for a long period of time.

In the previous House also this issue was discussed in length and I had given a detailed reply on behalf of MoRTH. Today, again I have risen to state the issues at hand which have been supplied to me by the concerned department.

But I want to bring it to the knowledge of the august House that this is a very important issue.

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

27.08.2024/1255/AS/DT-1

**Continuted by Public Works Minister.....**

The State Government, particularly the Public Works Department and our Hon'ble Chief Minister is concerned about way the work on this National Highway is being done by the MoRTH and contractors who have been awarded this work.

Recently, we had the opportunity to visit New Delhi where a meeting was organized by the Hon'ble Road Surface and Transport Minister, Shri Nitin Gadkariji. Hon'ble Chief Minister, Shri Sukhvinder Singh Sukhuji primarily rose this issue and I also seconded this issue. The sub-standard work being done in this particular segment was brought to the knowledge of the Hon'ble Union Minister and the Hon'ble Union Minister, on record, reprimanded the officials of MoRTH and concerned contractors for shoddy work that was undertaken. As far as the State Government is concerned, the matter which is brought by the Hon'ble Member, I have personally held meeting with the Regional Officers of MoRTH in my office as well as I have, on number of occasions, visited the area in this various packages i.e. from Hamirpur to Karnol, Karnol to Khalawan and Khalawan to Mandi. Since, I have been authorized to answer this question on behalf of MoRTH, I would like to bring on record the facts and the answer that had been given to MoRTH, which is as under:

The work of चRehabilitation and Up gradation to 2-lane configuration of Hamirpur- Mandi Section (Km. 141.000 to Km. 250.592) of NH-70 in the State of H.P. under Green National Highway Corridor Project (GNHCP) with the loan assistant of World Bank on EPC mode is being executed by the MoRTH under their Project Implementation Unit, Hamirpur and being

27.08.2024/1245/AS/DT-2

carried out in three packages, details of which is as under:-

| Package | Package-1 (Hamirpur to Karnol) | Package-II (Karnol to Kalwahan) | Package-III (Kalwahan to Mandi |
|---|---|---|---|
| **Length of Project** | 40.000 Km (Km. 141.000 to Km. 181.000) | 27.950 Km. (Km. 181.000 to Km. 208.950) | 41.642 Km. (Km. 208.950 to Km. 250.592) |
| **Name of EPC Contractor** | M/S Gawar Construction Ltd. | M/S BRN Infrastructure Pvt. Ltd. | M/S Gawar Construction Ltd. |
| **Awarded Cost** | Rs. 223.27 Crore | Rs. 141.00 Crore | 189.09 Crore |
| **Appointed Date** | 22.06.2022 | 14-11-2023 | 13.10.2022 |
| **Scheduled completion** | 19.12.2024 | 14-05-2026 | 11-04-2025 |
| **Physical Progress (As on 31-07-2024)** | 70.23% | 11.39% | 30.56% |

Regarding the damage to pipelines, all the pipelines have been laid by the concerned department below the existing road. However, all the pipelines are being restored (if damaged) on an urgent basis as soon as intimated in spite of the fact that the limited space is available for widening the existing road.

Further, it is to submit that due to the unprecedented rainfall, loss of human lives and huge destruction, damage and loss to public lives and private

27.08.2024/1245/AS/DT-3

property had occurred throughout the State of Himachal Pradesh during the Monsoon Season of 2023 and most of the roads were damaged/blocked and the State Government has declared it as ***"Natural Calamity Affected Area"*** vide Department of Revenue Order No. REV (DMC) (F) 2-5/2023 dated 18-08-2023. However, in spite of all this, the aforementioned project road was opened to traffic throughout the Monsoon period unlike the other roads.

All the vulnerable households are being protected by the Contractor on priority basis subject to the availability of land. It is to submit that total 55 Nos. of households abutting to the project stretch had become vulnerable because of the last year and ongoing Monsoon, out of which protection work has already been completed at 48 household locations and rest are under progress which will be completed at the earliest as the weather permits and also (the temporary protection work (such as Tarpaulin sheets) at site to avoid further damages have been installed)

Keeping in view the above, the Government is concerned with the issue of Hon'ble Member and the Govt. is sincerely working on it.

Since, I have already stated that this is a matter which needs the attention of the Government of India. We are right now discussing the roles and the issues which the Member of Parliament should be taken up. My Hon'ble Colleagues have recently spoken about the statements which has been uttered by the Member of Parliament from Mandi Parliamentary Constituency. She is speaking on the issues which have no concerned with the State of Himachal Pradesh. These are the issues which should be raised in the Hon'ble Lok Sabha in front of the Hon'ble Minister and Hon'ble Prime Minister, which, I am sorry to say, but have not been brought and taken up by the concerned

27.08.2024/1245/AS/DT-4

Member of Parliament in the Lok Sabha. But since this matter has been discussed in detail here, I assured the Hon'ble Member and all the other Members of this Legislative Assembly from whose Constituency this National Highway passes, that we will hold meetings on a quarterly basis with Members of NHAI and the district administration. The Deputy Commissioner of Hamirpur and District Commissioner of Mandi have been instructed to have a monthly meeting with the contractor and with the agencies concerned so that all the issues that have been racked up by the Hon'ble Member here are duly addressed from time to time. **In times to come, I will again visit the area and whatever needs to be done from my Department or from the State Government, will duly be addressed, I want to assure the Hon'ble Member and also bring it to the knowledge of the Hon'ble House.**

Hon'ble Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak.

**श्री एन0जी0 द्वारा ... जारी**

**27-08-2024/1300/डी.सी.-एन.जी/1**

**लोक निर्माण मंत्री के पश्चात.....**

**अध्यक्ष :** माननीय श्री चंद्र शेखर जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

**श्री चंद्र शेखर :** अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के माध्यम से जो जवाब MoRTH की ओर से आया है, मुझे इस पर आपत्तियां हैं। माननीय उप मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं और हमारे वरिष्ठ नेता माननीय सदस्य श्री अनिल शर्मा जी भी यहां पर बैठे हुए हैं। इनके विधान सभा क्षेत्र से धर्मपुर के लिए और धर्मपुर से इनके विधान सभा क्षेत्र के लिए पिछने ढ़ाई माह से बसें बिलकुल बंद हैं। मेरे क्षेत्र के लोगों को वाया सरकाघाट होकर लगभग 130 किलोमीटर का सफर तय करके मण्डी पहुंचना पड़ रहा है जबकि मण्डी की दूरी केवल 30 किलोमीटर ही है। वहां पर एंबुलैंस नहीं आ पा रही है और यह बात छोटी नहीं है। वहां पर एच.आर.टी.सी. व अन्य बसों का संचालन बिलकुल बंद है। धर्मपुर और मण्डी, दोनों डीपू की बसें बंद हैं इसलिए यह सामान्य बात नहीं है। मैं उप मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा क्योंकि इनके पास जल शक्ति विभाग भी है कि वहां पर हमारी अनेक पानी की योजनाएं भी बंद पड़ी हुई हैं। मेरा आग्रह है कि इन सब विषयों के लिए उच्च स्तर पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। धन्यवाद।

**अध्यक्ष :** माननीय लोक निर्माण मंत्री जी, इनका एक ही इश्यू है कि वहां पर सड़क बंद है जिस कारण एंबुलैंस व बसें नहीं आ सकती और लोगों को वाया सरकाघाट जाना पड़ रहा है। इस परिस्थिति में लोक निर्माण विभाग का क्या रोल रहेगा?

**Public Works Minister:** Sir, we will initiate a Committee under the leadership of concerned Deputy Commissioners of both the districts; which falls under this particular segment**. Also all the concerns regarding the breakages of the IPH pipes will be looked into. The ambulance and the other vehicles that are not being able to cross from that area will also be looked into.** A report regarding

the same will be laid on the Table of the House in the next Vidhan Sabha Session.

**अध्यक्ष :** अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए 02.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

**27-08-2024/1405/केएस/एचके/1**

**(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत 2.05 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई)**

**अध्यक्ष :** अब श्री विपिन सिंह परमार जी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

**श्री विपिन सिंह परमार :** अध्यक्ष महोदय, नियम-62 के अंतर्गत मैं नगरोटा बगवां में ट्रांसपोर्टर से करोड़ों की ठगी मामले के आरोपी को गिरफ्तार न करने से उत्पन्न स्थिति की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह मामला जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवां का है और प्रेम बस सर्विस जिनका लगभग 80 बसों का फ्लीट है और मैं यह कह सकता हूं कि लगभग 800 परिवारों जिनमें ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर आदि हैं, उनका इससे गुज़ारा होता है। उनकी बसें पूरे हिमाचल प्रदेश में जाती हैं। उनके साथ एक बहुत बड़ी ठगी हुई है। लगभग 23 करोड़ रुपये, 18 करोड़ रुपये दो बैंकों से लोन लेने के द्वारा एक बॉम्बे बेस्ड रूट प्रोसैंसिंग कम्पनी के नाम पर तीन लोग जिनमें से आज एक व्यक्ति फरार है, क्यों फरार है, क्या प्रशासन, शासन और पुलिस के हाथ इतने कमज़ोर हैं कि वे उस व्यक्ति को धर्मशाला का जो सैशन कोर्ट है उसमें जमानत रद्द होने के बाद एक्यूज्ड नम्बर 2 और 3 को गिरफ्तार किया जाता है, वह आत्मसमर्पण कर देते हैं और जो एक्यूज्ड नम्बर-1 मिस्टर अनुज है वह अपनी ईमानदारी को सोशल मिडिया पर बताकर यह शो करने का प्रयास कर रहा है कि इस जालसाजी में मैं कहीं नहीं हूं और नगरोटा के पुलिस स्टेशन से 500 मीटर दूरी पर उस अनुज कुमार का घर है। जब जमानत धर्मशाला के जिला कोर्ट ने रद्द कर दी उसके बाद भी वह व्यक्ति नगरोटा और आसपास के शहरों में घूमता रहा। मैं यह भी कहना

चाहता हूं कि कई बार वह बड़े-बड़े नेताओं के फोटोग्राफ भी दिखाता है। जिसने 23 करोड़ रुपया हड़प लिया हो, उसका वजन तो बहुत भारी हो गया होगा परंतु हमारे पास पुलिस का जो तंत्र है, आज तक वह उसको पकड़ नहीं पाया है। मैं अपनी बात को यहां पर इस तरीके से प्रस्तुत करना चाहता हूं कि नगरोटा बगवां में 27.04.2024 को एफ.आई.आर. नम्बर-74, 23 करोड़ रुपये का गबन जो लगभग ब्याज सहित है, क्रिमिनल कंस्पायरेसी के तहत फाइनेंशियल फ्रॉड होता है जिसमें एफ.आई.आर. नगरोटा में दर्ज होती है। इसमें नम्बर-1 अनुज कुमार है जो निवासी नगरोटा है। दूसरा सर्वदमन सिंह सिसोदिया,

**27-08-2024/1405/केएस/एचके/2**

बांद्रा ईस्ट मुम्बई का आधारकार्ड के आधार पर निवासी है। देवेंद्र शर्मा धर्मशाला निवासी है और इस हिसाब-किताब को जो उनकी फर्म में ठीक करने वाला उनका सी.ए. सरलाकर करके है, वह ईस्ट मुम्बई बांद्रा में ही रहता है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

**27.08.2024/1410/av/hk/1**

**श्री विपिन सिंह परमार ---------- जारी**

इसमें जो एफ0आई0आर0 न0 74 दर्ज हुई है वह 420, 120-बी0 417 आई0पी0सी0 में दर्ज हुई है। उसमें एक्यूज नम्बर दो सिसोदिया जोकि मुम्बई में कम्पनी के नाम पर कोई बिजनेस चलाते हैं, इन तीनों लोगों ने धर्मशाला के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज साहब के पास जमानत के लिए अर्जी लगाई। इन तीनों लोगों को जमानत न मिले ऐसा करके उनकी जमानत रद्द कर दी गई। उसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिसमें श्री सिसोदिया और श्री देवेन्द्र कुमार शामिल हैं। वह व्यक्ति जमानत न मिलने के बाद नगरोटा और धर्मशाला में घूमता रहा। उसमें पता नहीं किसका दबाव है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अगर कोई इतना बड़ा राजनीतिक संरक्षण है भी तो चुनावों के दिनों में उस व्यक्ति के नेताओं के साथ कुछ फोटोग्राफ्स होंगे। मैं इसको आधार नहीं मानता परंतु इसमें पुलिस की क्या मजबूरी है, मुझे यह समझ नहीं आ रहा। इसमें बेल के लिए प्रार्थना पत्र

दिनांक 10 जुलाई, 2024 को लगाया जाता है और यह महीना भी लगभग समाप्ति पर है। आज से चार महीने पहले एफ0आई0आर0 हुई और वह भी बहुत मुश्किल से हुई। एफ0आई0आर0 करवाने के लिए प्रेम बस सर्विसिज के ऑनर श्री पवन सोनी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वहां के एस0एच0ओ0 छुट्टी पर चले जाते हैं। मैं जब कुछ बड़े अधिकारियों से बात करता हूं तो उनको लगता है कि ऐसे फोन शायद आते ही रहते होंगे। मैं यहां पर उनके नाम कोट नहीं करना चाहता। परंतु वे उच्चाधिकारी हिमाचल प्रदेश में शांति-अमन स्थापित करने के लिए ही बिठाए गए हैं। हम भी जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। वह आज तक भगौड़ा बना हुआ है। इसमें एक्यूज नम्बर 2 और 3 ने पुलिस और जुडिशियल कस्टडी में यह कहा है कि हमने 18 करोड़ रुपये पवन सोनी से यह कहकर कि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्थाई नहीं है इसलिए इसका पैसा हम फूड प्रोसैसिंग यूनिट में लगाएंगे। उस भले मानस ने अनुज के कहने पर अपनी चल और अचल सम्पत्ति को प्लैज कर दिया। समलोटी के पास अपने पेट्रोल पम्प को भी गिरवी रख दिया। उस अनुज ने पी0एन0बी0 और कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से अपनी गारंटियां दी हैं। उसमें श्री पवन सोनी ने कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया जो कि प्रिंसिपल अमाउंट 7.55 करोड़ रुपये के करीब बनता है। इसके अतिरिक्त

**27.08.2024/1410/av/hk/2**

पी0एन0बी0 से 6.40 करोड़ रुपये की राशि बनती है जोकि कुल मिलकार 13.95 करोड़ रुपये बनते हैं। इसमें अगर ब्याज की बात की जाए तो 5.95 करोड़ रुपये को मिलाकर कुल राशि 22,56,61,151 रुपये बनते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कागज थोड़ी देर बाद ले कर दूंगा। यह हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ी कॉंसपिरेंसी है। यहां पर क्रिप्टो क्रंसी का घोटाला हुआ। उसके अभियुक्त भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। हम कभी-कभार अखबार में खबर पढ़ते हैं कि इसमें हेमराज, सुख देव और अभिषेक की जमानत रद्द हो गई।

**टी सी द्वारा जारी**

**27.08.2024/1415/टी0सी0वी0/वाई0के0-1**

**श्री विपिन सिंह परमार ... जारी**

बड़ी-बड़ी सुर्खियों में उनका नाम लिखा जाता है। लेकिन 20 हजार करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश के लोगों का इस क्रिप्टों करंसी में फंसा है। वे लोग भी विदेशों की सैर करवाते थे। लेकिन उन 80 हजार लोगों के साथ पैसों की लूट हुई। परंतु यह तो एक व्यक्ति और उसके परिवार के साथ लूट हुई है। अब जब ज्यूडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में उनके साथ बातचीत की गई है तो इन दोनों अभियुक्तों ने कहा है कि वे पैसा देने के लिए तैयार है लेकिन इसमें से अधिकतर अमाउंट अनुज कुमार एक्यूज्ड नम्बर-1 के पास है जो पिछले तीन महीने से फरार है। कोई छोटी-सी मछली मगरमच्छ को हाथ नहीं डालती। यदि कोई गरीब है जिसकी कोई पहचान नहीं है जो कानून-व्यवस्था का मान-सम्मान करता है तो ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम कौन कर रहा है? श्री जय राम ठाकुर जी ने यहां ठीक कहा है कि अगर खेत को बाड़ लगाने वाला बाड़ ही खेत को खाना शुरू कर देगा और वे हिमाचल प्रदेश के मुख्यालय एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके हिमाचल प्रदेश की शासन व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को चलाने की कोशिश करेंगे तो इस तरह के अनगिनत मामले हिमाचल प्रदेश की देवभूमि को शर्मसार करेंगे। ऐसी परिस्थितियों में आज उस परिवार को पूरे हिमाचल प्रदेश में जालसाजी के आनलाइन और एक्चुअल फ्रॉड करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सरकार को पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए। आज उस अनुज कुमार को पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है, क्या वह विदेश चला गया है, क्या वह कंद्राओं में छिपा हुआ है या वह किसी बंकर में छिपा हुआ है? मुझे सरकार से भी पूछना है और पुलिस वालों से भी पूछना है कि पहले तो एफ0आई0आर नहीं होती है। यदि एफ0आई0आर0 होती है तो गिरफ्तारियां नहीं होती, गिरफ्तारियां होती हैं तो जमानत के लिए एप्लीकेशन लगती है उसके बाद वह भगौड़ा बन जाता है। यह चित्र हिमाचल प्रदेश में कानून-व्यवस्था का हमें

नजर आ रहा है। इसलिए आपके मार्फ्त मैं निवेदन करना चाहता हूं, (...व्यवधान...) यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मैं दस

**27.08.2024/1415/टी0सी0वी0/वाई0के0-2**

मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि जल्दी-से-जल्दी उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। उन दोनों अभियुक्तों का यह माना है कि जब आप हमें किसी एक जगह पर इकट्ठा करोगे तो हम पुलिस की उपस्थित में क्रॉस एग्जामिनेशन के माध्यम से सारी जानकारी देंगे। लेकिन हमें डर इस बात का भी है कि उसे इसलिए तो नहीं छोड़ा गया है कि जो सारी चल और अचल सम्पत्ति है वह उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहता है। उसके दस्तावेजों को खत्म करना चाहता है और उस प्रॉपर्टी को बेनामी के रूप में सेल करना चाहता है। माननीय उप-मुख्य मंत्री जब अपना उत्तर देंगे तो मैं आपसे भी आश्वासन चाहूंगा क्योंकि वह एक शातिर व्यक्ति है और जो ट्रांजैक्शन होती है, उसके और उसके रिश्तेदारों के नाम पर कोर्ट-कचहरी में जो भी बेनामी सौदे हुए हैं, जहां भी यह प्रॉपर्टी हस्तांतरित होगी उसको वैलिड न माना जाए।

**श्री आर0के0एस0 ... जारी**

27.08.2024/1420/RKS/HK-1

श्री विपिन सिंह परमार... जारी

मैं यहां पर सारी बातें इस रूप में रखना चाहता हूं। 10 अप्रैल को एफ.आई.आर. होती है और उसके कुछ दिनों बाद बेल एप्लीकेशन लगती है। आज 27 अगस्त है और इतने दिनों से वह व्यक्ति भगोड़ा बना हुआ है। उसे किसकी शह है? उसे पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है? पुलिस को और भी बहुत काम है इसलिए मैं लॉ एंड ऑर्डर में अपनी सारी बात रखूंगा। जनता ने फैसला दे दिया कि 6 विधायक उनके द्वारा चुने हुए हैं लेकिन इनकी भी पुलिस थाने बुला कर पूछताछ हो रही है। अरे भाई जनता ने फैसला सुना दिया है।

**अध्यक्ष :** माननीय सदस्य यह विषय इससे संबंधित नहीं है। आप इस विषय को लॉ एंड ऑर्डर में रख सकते हैं।

**श्री विपिन सिंह परमार :** अध्यक्ष महोदय, आपको कानून का ज्ञान है। मैं इस बात को इसलिए आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि कहीं ये एविडेंस को खत्म न कर दें। ये बेनामी प्रॉपर्टी के रूप में अपनी प्रॉपर्टी, चल-अचल संपत्ति को डिस्पोज न कर दें। ये हाई कोर्ट से जमानत न ले लें इसलिए मेरा डिप्टी सी.एम. साहब से निवेदन है कि जब भी ये बेल के लिए हाई कोर्ट में अप्लाई करते हैं तो पुलिस के माध्यम से, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के माध्यम से जो दस्तावेज हैं, जो एविडेंसिज हैं, वे माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएं ताकि उस व्यक्ति को वहां से बेल न मिल पाएं। वह इसी फिराक में है कि मुझे यहां से बेल मिल जाए। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक्यूज्ड नंबर एक को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तीनों अभियुक्तों के बीच में बैठकर क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए। चल-अचल संपत्ति को बेचने की इजाजत न हो और उच्च न्यायालय में अगर जमानत के लिए आवेदन करते हैं तो वह रद्द हों। प्रेम बस के मालिक पवन को लगभग 66 लाख रुपये इन आठ-नौ सालों में मिले हैं जोकि प्रेम बस के नाम खुले अकाउंट में अकाउंट फॉर हैं। इसके अलावा उस व्यक्ति को आज तक एक भी पैसा नहीं मिला है। यानी वह व्यक्ति कर्जदार हो गया। जिसके पास करोड़ों की संपत्ति थी, अनुज जो जालसाज है, बड़ा मोटा-मोटा चश्मा लगा करके, बड़े-बड़े नेताओं के साथ खड़े होकर यह प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है कि मुझे कोई पकड़ नहीं सकता क्योंकि ऐसा होता है तो लगभग 80 बसों की फ्लीट खड़ी हो जाएगी। जिन 800 परिवारों को प्रेम बस के माध्यम से रोजगार मिल रहा है उनके परिवार का पालन- पोषण खत्म हो जाएगा। मैं इसे एक बहुत बड़ा घोटाला कह सकता हूं। या यह कह सकता हूं कि शरीफ व्यक्ति को बातों में उलझाने के बाद उस व्यक्ति से 18 करोड़

27.08.2024/1420/RKS/HK-2

रुपये और इंटरेस्ट के रूप में 5 करोड रुपए खर्च हो गए हैं। उप-मुख्य मंत्री जी आप इस पर सख्त निर्णय लेते हुए पुलिस तंत्र को इस पर कार्रवाई करने के लिए सीधे निर्देश दें। वह व्यक्ति 3 महीनों से बेखबर इलाके में घूम रहा है और उसको पुलिस के लंबे हाथ पकड़ नहीं पा रहे हैं। हमें समझ नहीं आता इसमें क्या मजबूरी है? अध्यक्ष महोदय मैंने ये सारी बातें आपके समक्ष रख दी हैं। एक भयंकर कानून व्यवस्था का मामला यानी एक

एफ.आई.आर. को दर्ज करवाने के लिए नगरोटा में धरना देना पड़े; उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए धर्मशाला में जाकर जनसभा करनी पड़े तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इससे हिमाचल प्रदेश को शर्मसार और धोखाधड़ी करने वालों की हिम्मत बढ़ेगी। लूट-खसूट के मामले बढ़ेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि अब हमें पूछने वाला कोई नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपेक्षा करता हूं कि आप इस पर सही निर्णय लें।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका शुक्रिया।

**श्री बी.एस.द्वारा ... जारी**

27.08.2024/1425/बी.एस./.ए.जी.1

**Speaker:** On behalf of the Hon'ble Chief Minister, the Hon'ble Deputy Chief Minister will reply to the Call Attention Motion. Hon'ble Deputy Chief Minister.

**उप मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, नियम-62 के तहत माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी ने एक मसला उठाया है। आदरणीय परमार जी बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, ये आपकी कुर्सी पर भी सुशोभित रह चुके हैं और सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन एक ठगी के मामले को जिस ढंग से ये प्रस्तुत कर रहे हैं। यह जो मसला उठाया गया है यह शुद्धतौर पर एक बिजनेस डील का मसला है। यह कानून-व्यवस्था का मसला नहीं है। आपने इसे जबरदस्ती कानून-व्यवस्था के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। आपके कहा कि एक वहां पर ट्रांस्पोर्टर है और वह 80 गड़ियों का फ्लीट चलाता है। यह अच्छी बात है कि उनका परिवहन का बिजनेस है। लेकिन वह बिजनेस डायबर्सिफिकेशन कर रहे हैं। बिनेस में उन्होंने दूसरी तरफ पैसा लगाने का फैसला किया है और उन्होंने इन लोगों के साथ डील की है तथा सोच-समझ कर ही डील की होगी। ऐसे तो कोई भी व्यक्ति जो 23 करोड़ रुपये की आप बात कर रहे हैं इतना पैसा जब लगाया होगा तो कुछ-न-कुछ तो आपस की बातचीत होगी। इसलिए मैं सबसे पहले आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यह ठीक है कि उनकी बीजनेस डील बिगड़ गई जिनसे डील की गई वे सही थे या गलत आदमी थे यह भी

डील करने वाले को ही देखना था कि वे कैसे लोग हैं? लेकिन आपका यह कहना कि सरकार ने कुछ नहीं किया सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार संरक्षण दे रही है।

आप कहते हैं कि कुछ लोगों के साथ फोटो ली गई है। अध्यक्ष महोदय, इन फोटोज का तो ऐसा मसला है कि हम सब के साथ कोई भी फोटो खिचवा जाता है, यह तो हमेशा की दिक्कत रही है। आदरणीय जय राम ठाकुर जी मुख्य मंत्री थे तब भी इन्होंने एक मसला उठाया था लेकिन कौन किसके साथ फोटो खिचवा जाए, कब चिट्टे वाला खिचवा जाए, कब शराब वाला खिचवा जाए? इसका पता नहीं लग पाता है। वे आपके पास आ जाएंगे कहेंगे कि एक फोटो लेनी है। यदि आप गाड़ी में भी चल रहे होंगे तो कहेंगे कि आपके साथ सेल्फी लेनी है। हम सब के साथ चौर भी फोटो खिचवा जाते हैं। इस बात का क्या कर सकते हैं? लेकिन बाद में हम ही एक दूसरे के कपड़े उधेड़ने लग जाएं तो यह सही बात नहीं है। यदि आप कहें कि वह मेरे साथ खड़ा है तो कल को वह आपके साथ भी खड़ा हो जाएगा। इसलिए इस मसले को मैं अलग से लेता हूं यह ठीक है कि धोखा-धड़ी हुई है, ठगी

27.08.2024/1425/बी.एस./.ए.जी.2

हुई है। उनके साथ गलत हुआ है। उन्होंने अपना पैसा निकाल करके फूड प्रोसेसिंग में लगाने का प्रयास किया है और वह डील उनकी लटक गई है। मैं सदन को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर क्रिप्टो करंसी का मसला हुआ था तो मौजूदा सरकार में राजनीतिक इच्छा शक्ति थी कि हमने वे मामले दर्ज किए और हमने उसमें गिरफ्तारियां की हैं। आपके समय में भी वह चलता रहा और क्रिप्टो में हम कह दें कि वे लोग मण्डी के थे और हम यह कह दें कि वे लोग आपके नजदीकी थे क्योंकि उस वक्त आपकी सरकार थी। इस तरह के लांछन लगाना मुझे लगता है कि सही नहीं हैं। अगर क्रिप्टो की बात करें तो उन में एक आदमी भाग करके दुबई बैठ गया है। उसने चण्डीगढ़ के आसपास प्रॉपर्टी ले रखी है। हमने पुलिस को निर्देश दिए हैं और कहा है कि उस व्यक्ति की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वे किसी भी ढंग से जब्त होनी चाहिए।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

**27.08.2024/1430/डी0टी0/ए0जी0-1**

**उपमुख्य मंत्री जारी...**

हमनें यहां पर क्रिप्टो करंसी के केसिज चला रखे हैं और पंजाब में उन लोगों की रजिस्ट्रियां हो गईं। पंजाब में तौर-तरीका ही कुछ और तरह का है। उन्होंने वहां उसके सारे प्लॉटज बेच दिए। लेकिन हमारे प्रदेश की पुलिस क्रिप्टों करंसी घोटाले के पीछे छिपे लोगों को पकड़ने में लगी हुई है। हम चाहते हैं कि जो आम लोग हल्के लालच में उनकी ज़द में आ गए उनको नुकसान न हो लेकिन चंद लोग जिन लोगों ने क्रिप्टो करंसी के नाम पर हिमाचलियों को लूटा है, उनपर जो भी एक्शन बनेगा हम वो करेंगे। माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी इस सदन के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आप छायावाद में क्यों बात कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई कांग्रेसी या कोई कांग्रेस का विधायक या कोई तीसरा आदमी इसके पीछे है या इसको संरक्षण दे रहा है, आप उसका नाम लो न। You must have courage to say that कि फ्लां आदमी इसके पीछे है। आप कह रहे हैं कि उसको संरक्षण है, वह गोगल लगाता है, अब पता नहीं कौन-कौन गोगल लगाता है। मैं आपको इसकी वस्तुस्थिति बताना चाहता हूं जो इस प्रकार है कि तीसरे आरोपी अनुज कुमार, पुत्र श्री योगराज, निवासी ग्राम सुतरेहड़, नजदीक शनिदेव मंदिर, डाकखाना व तहसील नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश आयु 58 वर्ष, की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी की बात आप कर रहे हैं कि इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिसके विरूद्ध गिरफ्तासरी वारंट प्राप्त करने के लिए माननीय न्यायालय कांगड़ा से निवेदन किया गया है। जिसमें माननीय न्यायालय कांगड़ा में आज की डेट लगी हुई है। हालांकि आरोपी को पकड़ने के लिए जो प्रयत्न किए हैं उनका विवरण मैं आपको देना चाहता हूं। दिनांक 9.7.2024 को एस0एच0ओ0 कांगड़ा की एक टीम तीन आरोपियों की तलाश में दूसरे राज्यों चंडीगढ़ व महाराष्ट्र के लिए पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार रवाना हुई। जिससे आरोपी सर्वदमन सिंह सिसोदिया, चंडीगढ़ होटल में मौजूद पाया गया परंतु अन्य दोनो आरोपी वहां पर मौजूद नहीं थे। सर्वदमन सिंह सिसोदिया को पूछताछ हेतु नगरोटा-बगवां लाया गया। पूछताछ के दौरान इसने बताया कि तीसरे आरोपी अनुज कुमार के बारे में उसे मालूम नहीं है। आरोपी अनुज कुमार का निजी मोबाइल नम्बर 18.7.2024 से बंद चल रहा है। आरोपी अनुज कुमार ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-1

धर्मशाला में अपनी अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। अदालत के द्वारा अग्रिम जमानत निरस्त करने के ओदश किए गए। जमानत उसको नहीं मिली है। आरोपी के

**27.08.2024/1430/डी0टी0/ए0जी0-2**

निजी मोबाइल के कॉल डिटेल रिपोर्ट भी हासिल की गई है तथा जिसके विश्लेषण करने में पाया है कि दिनांक 18.7.2024 से ये मोबाइल नम्बर बंद है। आरोपी जिस मोबाइल का उपयोग सम्पर्क हेतु कर रहा है उस मोबइल नम्बर का आई0एम0ई0आई0 नम्बरों की जांच डी0सी0आर0बी0 ब्रांच धर्मशाला से की गई जिसमें पाया गया कि आरोपी उस मोबाइल में से किसी भी सिम का प्रयोग नहीं कर रहा। आरोपी अनुज कुमार जिन मोबाइल नम्बरों से बातचीत कर रहा था उनमें से भी कुछ संदिग्ध नम्बरों की सी0डी0आर0 हासिल की गई तथा आरोपी के बेटे के नम्बर की भी सी0डी0आर0 हासिल की गई। नम्बरों की सी0डी0आर0 का विश्लेषण करने में पाया गया कि आरोपी अनुज कुमार किसी से भी मोबाइल पर बात नहीं करता था। उनके सारे मोबाइल चेक किए गए। आरोपी अनुज कुमार के घर में सुचितनामा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 179 के तहत तीन बार सर्व किया जा चुका है। अनुज कुमार के घर की खाना तलाशी अमल में लाई जा चुकि है।

उपरोक्त तथ्यों से सुनिश्चित होता है कि आरोपी फरार है। घर से भागा हुआ है। उसने अपने सारे मोबाइल्ज या अन्य गेजेट बंद रखे हुए हैं।

**श्री एन0जी0 द्वारा ... जारी**

**27-08-2024/1435/ए.एस.-एन.जी/1**

**उप मुख्य मंत्री.....जारी**

सब बंद रखे हैं। अभियोग में दूसरे आरोपी देवेन्दर शर्मा ने अपनी अग्रिम जमानत माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, कागंडा स्थित धर्मशाला में लगाई थी जो आरोपी देवेन्दर को

दिनांक 18.07.2024 को न्यायालय की सुनवाई से पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्वेषण के दौरान चौथे आरोपी पी०एस० सरखलकर, निवासी 4सी जैप एस्टेट, आर आर ठाकुर रोड जोगेश्वरी, तहसील मुंबई, जिला भंडारा, महाराष्ट्र की संलिप्तता भी पाई गई है, जिसकी तलाश मुम्बई में की जानी शेष है, जिसके लिए पुलिस द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

उपरोक्त क्रम में अभियोग संख्या 74/24 दिनांक 27.04.2024, भारतीय दंड संहिता की जेर धारा 420, 120B (आपारिधक षड़यंत्र), 417 के अंतर्गत थाना नगरोटा बगवां में पंजीकृत किया गया है। जिसका आगामी अन्वेषण नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर जारी है।

मैं माननीय सदन व माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आरोपी चाहे पाताल में चला जाए हमारी सरकार उसे अवश्य गिरफ्तार करेगी। उसे किसी भी प्रकार के संरक्षण देने का सवाल ही नहीं है। एक व्यक्ति जिसने लगभग 23 करोड़ रुपये लगाए हैं तो यह उसकी शुद्ध इंकम का सवाल है और सरकार इसके लिए पूरी तरह गम्भीर है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि आप अपने मन में ऐसी कोई बात न रखें कि उसे किसी भी प्रकार का संरक्षण मिलेगा। जो भी संभव होगा और माननीय सदस्य जो चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए तो माननीय सदस्य उसके लिए अपने सुझाव दे दें तथा हमारी पुलिस उस अनुसार भी कार्रवाई करेगी। यदि माननीय सदस्य को लगता है कि इससे हटकर ऐसा होना चाहिए तो हमारी पुलिस उसके अनुसार भी कार्रवाई करेगी। अभी तक दो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और हम तीसरे को भी अवश्य गिरफ्तार करेंगे।

**27-08-2024/1435/ए.एस.-एन.जी/2**

यदि इसमें थोड़ी भी देरी होती है तो जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि उसकी सम्पत्तियों आदि पर नज़र रखी जाए कि कोई उन सम्पत्तियों को बेच न दें तो हम पुलिस व प्रशासन को इसके संदर्भ में निर्देश जारी कर देंगे कि इस पर अमल किया जाए। मैं कहना चाहता हूं कि जो भी पोसिबल होगा उसके अनुसार इस अनुज को पकड़ कर यहां पर लाया जाएगा और ठगी का पूरी तरह से भांडाफोड़ करके हिमाचल प्रदेश के लोगों के समक्ष रखा जाएगा तथा प्रेम बस सर्विस के लोगों को न्याय दिलवाया जाएगा।

**अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, श्री विपिन सिंह परमार जी, क्या आप कुछ स्पष्टिकरण चाहते हैं?

**श्री विपिन सिंह परमार :** अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने विस्तार से उत्तर दिया है। मेरा कहना है कि लोगों को न्याय मिलना चाहिए। इस प्रकरण का जो किंगपिन है और उसने स्वयं गारंटियां दे कर इतने सारे पैसों का जुगाड़ किया है। माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि चाहे वह पाताल में हो, चाहे आसमान में और चाहे वह विदेश में हो, हिमाचल प्रदेश पुलिस उसे पकड़ कर लेकर आएगी। जब ये चारों लोग आमने-सामने बैठेंगे और पुलिस की उपस्थिति में क्रॉस एग्ज़ामिनेशन होगा तो प्रेम बस सर्विस के ऑनर व परिवार के लोगों को न्याय मिलेगा। मुझे लगता है कि जब ये सब आमने-सामने होंगे तब हम सब के सामने पूरा मामला स्पष्ट हो जाएगा कि किसने कितना पैसा लिया और किसके अकाऊंट में कितना पैसा गया तथा यह मामला भी सुलझ जाएगा।

मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस मामले में एफ.आई.आर. दर्ज होने में देरी हुई है। उसके बाद वे लोग माननीय कोर्ट में भी चले गए। माननीय कोर्ट में जाने और एफ.आई.आर. दर्ज होने में जो समय मिला क्या उसमें हम उन लोगों को नहीं उठा सकते थे? जब दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया तब तीसरा आरोपी घूमता रहा तो क्या उसे पकड़ नहीं सकते थे? लोगों के दीमाग में इस प्रकार की सम्भावनाएं पैदा होती हैं। हम सभी लोगों के प्रतिनिधि हैं और आप सरकार हैं तथा हम विपक्ष हैं।

**27-08-2024/1435/ए.एस.-एन.जी/3**

हम अपनी बात को उस तरीके से रख रहे हैं जिस प्रकार से समाज में एप्रीहेंशन बन रही है और यह हमारे व्यवहार के कारण बनती है क्योंकि कईं बार भाषण से ज्यादा व्यवहार बोलता है। उप मुख्य मंत्री जी ने इस माननीय सदन को आश्वस्त किया है और जो बहुत बड़ी ठगी हुई है उसमें आप सरकार व गृह विभाग की ओर से इस मामले को जितना स्पीडअप करने का प्रयास करेंगे उतना इस परिवार को राहत मिलेगी। जो परिवार कर्जदार बन गया है और उनका व्यापार बंद होने की कगार पर है तो उससे उनको राहत मिलेगी। आपने अभी विस्तार से उत्तर दिया है और इस संदर्भ में भी आप अपनी बात रखेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद।

अध्यक्ष .....श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

**27-08-2024/1440/केएस/एचके/1**

**उप-मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि मैं माननीय सदस्य का बहुत सम्मान करता हूं लेकिन मैं परमार साहब को यह कहना चाहता हूं कि आप एफ.आई.आर. में देरी की बात कर रहे हैं, यह मामला वर्ष 2018 से चल रहा है। आपके समय से चल रहा है। 6 साल को आप देरी नहीं मानते। अप्रैल में एफ.आई.आर. दर्ज हुई, ...(व्यवधान) मेरी बात भी सुन लो। वे ये कोशिशें करते रहे,

**श्री विपिन सिंह परमार :** अध्यक्ष महोदय, जब मामला कोर्ट-कचहरी में जाता है तो वह उसी के बाद इनिशियेट होगा।

**उप- मुख्य मंत्री :** नहीं, जिसका पैसा है उसको तो वर्ष 2018 से पता है। अध्यक्ष महोदय, जिसने पैसा लगाया उसने तो वर्ष 2018 में पैसा लगाया। वह पैसा लगाता चला गया। उसने पता नहीं बैंकों से कर्जे लिए या क्या किया लेकिन वह पैसा लगाता चला गया। जब बाद में

उनका विवाद हो गया, वे काफी समय तक कोशिश करते रहे कि मामला सुलझ जाए लेकिन जब नहीं सुलझा तब जा कर अप्रैल में एफ.आई.आर. दर्ज हुई। अभी दो-तीन महीने हुए हैं और मुझे लगता है कि माननीय सदस्य के स्तर पर इतनी उत्तेजना सही नहीं है। यह ठगी का मसला है, इसका अन्वेषण उसी तरीके से होगा। हमारी पुलिस उसको जहां भी होगा, वहां से पकड़ कर लाएगी और अगर आप कहें तो पकड़कर सबसे पहले आपके ही पास लाएगी लेकिन उसको लाएंगे। 5-6 साल जिस चीज़ पर सौदेबाज़ी होती रही, बिजनैस डील होती रही, उसकी अब जा कर 5-6 साल के बाद एफ.आई.आर.दर्ज हुई है। पुलिस अपना काम कर रही है आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। किसी का संरक्षण नहीं होगा और उस अनुज को पकड़ कर इस केस की गुत्थी को सुलझाया जाएगा।

**श्री विपिन सिंह परमार :** अध्यक्ष महोदय, माननीय उप-मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2018 का ज़िक्र किया।

**अध्यक्ष :** उन्होंने कहा कि तब से ट्रांजेक्शन्ज़ हो रहे थे।

**27-08-2024/1440/केएस/एचके/2**

**श्री विपिन सिंह परमा**र : अध्यक्ष महोदय, जब विषय विवादित हो गया, एग्रीमेंट के बाद 66 लाख रुपया उनके अकाउंट में आया भी है। जब एफिडेविट दिए और विवाद हल नहीं हुआ तो वे कोर्ट में गए, पुलिस स्टेशन में गए।

**अध्यक्ष :** परमार जी, ये सारे इशूज़ अभी सब्जैक्ट ऑफ इंवैस्टिगेशन हैं। इंवैस्टिगेशन के लिए उप-मुख्य मंत्री जी ने कह दिया है कि पाताल में भी होगा तो भी हम उसको ढूंड कर लाएंगे। उप-मुख्य मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, इसे तो मानना पड़ेगा।

**27-08-2024/1440/केएस/एचके/3**

## विधायी कार्यः

## सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

**अध्यक्ष :** अब विधायी कार्य होगा और सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण होगा।

दिनांक 27 फरवरी, 2024 को बजट सत्र में पुरःस्थापित विधेयक पर माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री फिर से प्रस्ताव करेंगे कि बाल-विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 4) पर विचार किया जाए।

**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि बाल-विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 4) पर विचार किया जाए।

**अध्यक्ष :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि बाल-विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 4) पर विचार किया जाए।

इस पर सदस्य बोल सकते हैं तथा माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री उसका जवाब देंगे।

तो प्रश्न यह है कि बाल-विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 4) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2,3,4 व 5 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार।

खण्ड 2,3,4व 5 विधेयक का अंग बने।

**27-08-2024/1440/केएस/एचके/4**

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार।

खण्ड 1, संक्षिप नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

**27.08.2024/1445/av/डीसी/1**

**अध्यक्ष :---------- जारी**

अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगे बाल-विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 4) को पारित किया जाए।

**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि बाल-विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 4) को पारित किया जाए।

**अध्यक्ष :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि बाल-विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 4) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि बाल-विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 4) को पारित किया जाए?

**प्रस्ताव स्वीकार**

बाल-विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 4) पारित हुआ।

## <u>नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव</u>

अब नियम-130 के अंतर्गत चर्चा होगी। मैं इसके अंतर्गत माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं क्योंकि इन्होंने ही नियम-130 के अंतर्गत यह विषय लाया है। इसके अलावा माननीय सदस्य श्री चंद्र शेखर, सुश्री अनुराधा राणा, श्री लोकेन्दर कुमार और श्री सुरेन्द्र शौरी की ओर से भी इसी विषय पर चर्चा हेतु सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, इसलिए आप लोग भी चर्चा में भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस विषय पर बोलने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से मेरे पास 18 नाम आ चुके हैं। अतः मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि समय-सीमा के अंदर-अंदर अपनी बात रखें और किसी भी बिन्दु को बार-बार न दोहराएं।

मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि नियम-130 के अंतर्गत अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

27.08.2024/1445/av/**डीसी**/2

**श्री जय राम ठाकुर** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि प्रदेश में भारी बरसात/आपदा के कारण जनमानस, सड़कों, पुलों, घरों, फसलों, सरकारी भवनों, निजी भूमि, पेयजल व सिंचाई योजनाओं को हुए नुकसान बारे यह सदन विचार करे।

**अध्यक्ष** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि प्रदेश में भारी बरसात/आपदा के कारण जनमानस, सड़कों, पुलों, घरों, फसलों, सरकारी भवनों, निजी भूमि, पेयजल व सिंचाई योजनाओं को हुए नुकसान बारे यह सदन विचार करे।

इस पर मतदान नहीं होगा और इसके लिए दो घंटे का समय निश्चित है। लेकिन यदि आप सब चाहेंगे तो इसमें समय बढ़ाया जा सकता है।

मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करूंगा कि वे इस चर्चा को आगे बढ़ाएं।

**श्री जय राम ठाकुर :** अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है और प्राकृतिक आपदाओं का हिमाचल प्रदेश के साथ एक बहुत लम्बे समय से वास्ता रहा है। हम इस बात से सहमत हैं परंतु यदि यह कहा जाए कि यह केवल अभी हो रहा है और पहले कभी नहीं हुआ तो यह कहना भी उचित नहीं रहेगा। परंतु यह कहना जरूर उचित रहेगा कि पिछले कुछ वर्षों से भारी बरसात और बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में नुकसान का दौर लगातार चला आ रहा है। अगर नुकसान का यह दौर इसी प्रकार से चलता रहा तो आने वाले समय में हमारे सामने एक बहुत विकट समस्या उत्पन्न हो जाएगी। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि समय-समय पर यहां पर सरकारों ने बहुत प्रयत्न किए हैं कि नुकसान न हो लेकिन मैं समझता हूं कि वे किए गए प्रयत्न आज की तारीख में काफी नहीं है।

**टी सी द्वारा जारी**

**27.08.2024/1450/टी0सी0वी0/डी0सी0-1**

**श्री जय राम ठाकुर ... जारी**

हम हर साल इस बात को देखते हैं कि बरसात आएगी और नुकसान होगा लेकिन बरसात से पहले उस नुकसान को कम करने के लिए हमें कुछ कदम उठाने चाहिए। परंतु इन सारी चीजों पर हमारा बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रहता है। पिछली बार बरसात का दौरा बहुत लम्बा रहा और औसतन बरसात भी सामान्य बरसात से ज्यादा हुई। उस दौरान मानसून का जो अंतिम दौरा था उसमें ज्यादा दिक्कत आई। पिछली बरसात में हिमाचल प्रदेश में नुकसान इस कदर हुआ कि सारी व्यवस्थाएं अस्त-व्यस्त हो गई। सड़कें टूट गई और गांव से संपर्क टूट गया। हमारा काम्युनिकेशन का सिस्टम कॉलैप्स हो गया और बिजली की आपूर्ति बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई। टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरह से बैठ गई और छोटे से हिमाचल प्रदेश में बरसात के कारण लगभग 500 लोगों की जान गई। इस तरह से 500 लोगों की जान जाना बहुत बड़ा मायने रखता है। सरकार ने स्वयं भी इस बात को माना है

कि जो नुकसान हुआ है वह बहुत ज्यादा हुआ है। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार पिछली बरसात में 2933 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, 12266 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए, 420 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई, 7205 गऊशालाएं क्षतिगस्त हो गईं और 500 के करीब लोगों की जिंदगी चली गईं। इसके अलावा 515 से ज्यादा लोग घायल हुए और 10140 पशुओं की भी दुःखद मृत्यु हुई। इतना ज्यादा नुकसान छोटे से हिमाचल प्रदेश में एक बरसात में हो गया जोकि एक तरह की तबाही है। हिमाचल प्रदेश में बहुत-सारी संस्थाओं ने अपने-अपने माध्यम से जो सहयोग सरकार को कर सकते थे, वह सरकार को किया। जो व्यक्तिगत रूप से मदद कर सकते थे, उन्होंने वह की, पुलिस प्रशासन ने भी काम किया। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश को केन्द्र सरकार की ओर से भी मदद की गई, चाहे रैस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए हेलीकॉप्टर की आवश्यकता थी, एन0डी0आर0एफ0 की टीमें भेजने की बात थी या आर्मी के जवान भेजने की बात थी, वह सब कुछ किया गया और बहुत सारे लोगों की जिंदगी भी बचाई गई। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात से सहमत हूं कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। इस तरह से केन्द्र ने हिमाचल प्रदेश को समय-समय पर मदद करने की कोशिश की। इसमें कोई दोराय नहीं है और यह संभव भी नहीं था कि हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ उसकी

**27.08.2024/1450/टी0सी0वी0/डी0सी0-2**

भरपाई प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार एक साथ भी कर सके। इस नुकसान की भरपाई करने में अभी समय लगेगा लेकिन उसके बावजूद भी केन्द्र ने मदद करने की कोशिश की। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी, गृह मंत्री जी और आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का भी आभारी हूं, केन्द्र सरकार द्वारा आपदा के लिए पहली किस्त के रूप में 181 करोड़ रुपये और दूसरी किस्त के रूप में 183 करोड़ रुपये दिए गए।

आर0के0एस0 द्वारा ... जारी

27.08.2024/1455/RKS/HK-1

श्री जय राम ठाकुर..... जारी

आपदा राहत की तीसरी किस्त के रूप में 190 करोड़ रुपए और चौथी किस्त के रूप में 200 करोड़ रुपये जारी किए गए। 13 दिसंबर, 2023 को एन.डी.आर.एफ. से 633.73 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि हिमाचल प्रदेश को दी गई। इसके अतिरिक्त अभी जो लोकसभा में इस बार का बजट प्रस्तुत हुआ है, मैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पिछली बार का जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से केंद्र की ओर से हिमाचल प्रदेश को मदद दी। यह बात हमारी प्रदेश सरकार पर भी निर्भर करती है कि हम मदद के माध्यम कैसे ढूंढते हैं। हम मदद प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के कोर्डिअल रिलेशन बनाने के प्रयास करते हैं। लेकिन मुझे खेद है कि इस आपदा में हिमाचल प्रदेश में जो राजनीति हो रही है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस बात को उस वक्त भी महसूस कर रहे थे। हमने विपक्ष में रहते हुए भी आपका पूरा सहयोग किया है। मैंने अपनी पार्टी के लोगों से भी आग्रह किया है कि आप संकट की घड़ी में जहां जहां जिस रूप में मदद कर सकते हैं, वहां आप ज्यादा-से-ज्यादा मदद करें। हमारे लोगों ने काफी मदद भी की है। मैं इस बार की आपद की बात करना चाहता हूं। मेरा मानना है कि प्राकृतिक आपदा में हमारा कोई बस नहीं है। प्राकृतिक आपदा अलग-अलग जगह, अलग-अलग रूप में हो जाती है जिसके लिए हम सरकार को दोष नहीं दे सकते। इस बार ऐसी जगह बादल फट गए या ऐसी घटनाएं हो गई जहां कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। मैं व्यक्तिगत रूप से उन सभी स्थानों पर गया जहां प्राकृतिक आपदा हुई। रामपुर का समेज गांव पूरी तहर से इस प्राकृतिक आपदा में बह गया। वहां पर चार-चार मंजिला घर बने हुए थे। उन इमारतों से 36 लोग पानी में बह कर मर गए। उसके बाद हम आनी विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत बागी पुल में गए जहां पर 9 लोग बह गए थे। जिला मण्डी के दरंग विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत जो राजवन गांव पड़ता है वहां 11 लोग पानी में बह कर मर गए। वहां कुछ शव अभी प्राप्त भी नहीं हुए हैं। इस प्राकृतिक आपदा में कुछ घटनाएं मैदानी इलाकों में भी देखने को मिली। ऊना एक मैदानी इलाका है वहां पर भी ऐसी दुर्घटनाओं में 13 लोगों की मृत्यु हुई हैं। हमने वहां पर विजिट किया और मेरा मानना है कि वहां बड़े-बड़े उद्योगों को नुकसान पहुंचा है। ऊना में जो लोग गाड़ी में बैठे थे वे पानी में बह गए और उनमें से एक ही बच्चा बच पाया। उस इलाके में दूसरा आदमी वह बचा है जो किसी दूसरे देश में काम करता था। अगर हम पिछली बार की त्रासदी में पांवटा साहिब की बात करें तो

27.08.2024/1455/RKS/HK-2

उस त्रासदी में भी एक परिवार पूरी तरह पानी में बह गया था। उनके परिवार का एक सदस्य ही बच पाया था। शिमला के समरहिल में शिव बावड़ी के पास जो हादसा हुआ था उसमें कुछ के शव अभी तक बरामद ही नहीं हो पाए हैं। । सरकाघाट के पटड़ीघाट के इलाके में जिंदगी का तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ लेकिन वहां पर बहुत सारे पशु प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए।

**श्री बी.एस.द्वारा ... जारी**

27.08.2024/1500/बी.एस./ एच.के.1

**श्री जय राम ठाकुर जारी...**

उसके साथ हमने देखा कि घर बह गए, वह हमने खुद देखा था। लेकिन गांव में घर जमीन के अंदर धंस गए, वह भी दुःखद नजारा हमने देखा है। इस बात को ले करके यह हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। अध्यक्ष महोदय, उस वक्त हिमाचल प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि हिमाचल प्रदेश में हम एक विशेष पैकेज के माध्यम से इन प्रभावित परिवारों की मदद करेंगे। हमने इस बात का स्वागत किया कि इस आपदा की घड़ी में सरकार मदद के लिए आगे आ रही है। इससे अच्छी और कोई चीज हो भी नहीं सकती थी। उसमें जो पैकेज की बात कही गई कि 4,500 करोड़ रुपये का पैकेज राहत हेतु दिया गया है। इसकी घोषणा मुख्य मंत्री जी ने की कि मैं 4,500 करोड़ रुपये देने की घोषणा करता हूं। उसमें कहा गया कि जो पूरी तरह से घर गिर गया होगा चाहे वह कच्चा है या पक्का है उसके लिए सात लाख रुपये दिया जाएगा। उसके बाद जो आंशिक रूप से डेमेज होगा, चाहे वह कच्चा है या पक्का है, उसे एक लाख रुपया दिया जाएगा। अगर किसी दुकान या ढाबे को नुकसान हुआ है तो एक लाख रुपये उनके लिए भी दिया जाएगा। अगर किसी किरायेदार का नुकसान हुआ है, उसका सामान भी गया होगा तो भी उसे 50 हजार रुपये

दिया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि desilting of agriculture and horticulture land per बीघा का 5,000 रुपये के हिसाब से दिया जाएगा। ये सभी उस पैकेज का हिस्सा हैं। Land loss of agriculture and horticulture land 10,000 रुपये पर बीघा के हिसाब से देने की बात कही गई थी। अगर फसल खराब हुई है तो उसके लिए 2,000 पर बीघा के हिसाब से पैसा देने की बात कही गई थी। उसी तरह से अगर पशु का नुकसान हुआ उसमें अलग से 55,000 रुपये देने की बात कही गई थी। उसमें विशेष तौर पर बकरी, सूअर और भेड़ इत्यादि ऐसे जानवरों के लिए प्रत्येक के लिए 6,000 रुपये देने की बात कही गई थी। इसके अलावा और भी बहुत कुछ कहा गया था। मुख्य मंत्री जी ने यह भी कहा था कि यदि हिमाचल प्रदेश में कहीं ऐसे भी लोग होंगे जिनका घर ही बह गया और उसके साथ-साथ जमीन भी बह गई और उसके पास घर बनाने के लिए जमीन बची ही नहीं तो ऐसी हालत में उन सब को हम तीन-तीन बिस्वा सरकारी जमीन आबंटित करेंगे। इसके अलावा यह भी कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों का घर चला गया और वे मकान को किराए पर लेना चाहते हैं तो उन्हें किराये

27.08.2024/1500/बी.एस./ एच.के.2

के लिए 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, ये सभी उस पैकेज का हिस्सा हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात को ले करके खेद है कि वक्त बीतता गया सरकार अपनी राजनीतिक गतिविधियों में मशगुल हो गई और जिन लोगों के घर चले गए और जमीन चली गई वे इन्तजार करते रहे कि पैकेज का हिस्सा हमें भी मिलेगा क्योंकि हम भी उसके पात्र हैं। परंतु उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए उस पैकेज को प्लान किया गया। कुछ जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, कह तो रहे हैं कि 4,500 करोड़ रुपये का पैकेज दिया। परंतु मैं इस बात को ध्यान में लाना चाहता हूं कि एक कार्यक्रम सरकार ने बिलासपुर में किया जिस कार्यक्रम में 8 करोड़ 97 लाख रुपये दिया गया और यह 25 अक्तूबर, 2023 को किया गया। एक कार्यक्रम आपने शिमला में किया इसमें आपने 22 करोड़ 82 लाख रुपये 26 दिसम्बर, 2023 को प्रदान किए। इसके अलावा सोलन में 20 नवम्बर, 2023 को किया जिसमें 11 करोड़ 31 लाख रुपये दिया गया।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

**27.08.2024/1505/DT/YK-1**

**श्री जय राम ठाकुर जारी....**

इसके अलावा 30 नवम्बर, 2023 को सोलन में एक कार्यक्रम किया गया जिसमें 11.31 करोड़ रुपए आपने वहां दिए। इसी तरह आपने 23 अक्तूबर, 2023 को एक कार्यक्रम मण्डी में भी किया जिसमें आपने लोगों को बुलाकर यह कहा कि हम आपकी मदद करने के लिए यहां आए हैं। एक कार्यक्रम आपने कुल्लू में 21 अक्तूबर, 2023 को किया जिसमें आपने 9.72 करोड़ रुपये की आपदा राहत राशि बांटी। अगर मैं इसका टोटल देखूं तो यह राशि तो बहुत कम है। लोगों का बहुत ज्यादा का नुकसान हुआ है। मैं यह भी कहना चाह रहा हूं कि इस राहत के कार्य में कोई पारदर्शिता नहीं रखी गई। चोर- बाजारी हुई, यह शब्द उचित नहीं है लेकिन ऐसा हुआ है। राशि की बंदर बांट हुई, यह हमारा आदमी है और इसको पहले राहत मिलनी चाहिए इस बात को प्राथमिकता से देखा गया। नुकसान हुआ या नहीं लेकिन हमारे आदमी को राहत मिलनी ही चाहिए। यह हमारा पुराना और पक्का आदमी है, इसको राहत राशि मिलनी ही चाहिए। इस प्रकार की सूचियां बनती गई। अधिकारी हमसे कहते हैं कि ऊपर से कहा गया है कि इस व्यक्ति का केस बनाकर भेजो लेकिन मौके पर जाएं तो वहां कोई नुकसान नहीं पाया जाता। इस तरह से मदद की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, यह दौर बीतता गया लेकिन सरकार लोगों के बीच में यह ढोल पीटती रही की बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं थी लेकिन यह हकीकत है कि आज भी हिमाचल प्रदेश में हजारों घर ऐसे हैं जिनके घर व पशुशालाएं क्षतिग्रसत/ढह गई। लोगों के पशु मर गए, जमीन व बागीचे बर्बाद हो गए लेकिन अभी तक उनको इसकी एवज में एक पैसा भी नहीं मिला। आप दूर की बात छोड़िए मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूं। मेरे पास एक ही पंचायत की कुछ सूचियां उपलब्ध हैं जिनको कोई पैसा नहीं मिला। कसोड़ पंचायत के श्री मेघ सिंह और श्री माया राम के मकान क्षतिग्रस्त हुए लेकिन उन्हें कोई पैसा नहीं मिला। श्री तेलू राम, कसोड़ पंचायत का है लेकिन उसको भी एक पैसा नहीं मिला। चुनानी से श्री टेक चंद जी के मकान

और गौशाला के क्षतिग्रस्त होने पर अभी तक कोई पैसा नहीं मिला। इसके अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका नुकसान तो कुछ नहीं हुआ परंतु उसके बावजूद भी वे

**27.08.2024/1505/DT/YK-2**

पैसे की किस्तें उनके खाते में आ गई। मैं कुछ लोगों को मिला और मैंने उनसे इस विषय पर बात भी की। मेरे कहना का अभिप्राय यह है सारी चीजें ईमानदारी से होनी चाहिए। यहां पर कहा गया कि 7 लाख रुपए दिए गए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि 18000 मकान तो केंद्र सरकार ने दिए हैं। आपने केंद्र सरकार का 1.50 लाख रुपए भी इस पैकेज का हिस्सा बना दिया। जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनमें से अधिकांश लोगों को एक-एक लाख रुपए मुआवजे के रूप में मिले हैं और उसके बाद आगे उन लोगों को कोई पैसा अभी तक नहीं मिला है। इस बार की बरसात में काफी लोगों की जानें गईं हैं। हिमाचल प्रदेश में इस बार औसतन बरसात कम हुई है और नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। इस बरसात में लगभग 70 से ज्यादा लोगों की जिंदगी चली गई। दर्जनों लोगों के घर ढह गए। इस नुकसान का जायजा लेने के लिए कुछ जगह माननीय मुख्य मंत्री और कुछ जगह उप- मुख्य मंत्री जी का जाना हुआ। कुछ जगह मंत्रियों का भी जाना हुआ। आपने पिछली बार कहा था कि आप एक मकान के क्षतिग्रस्त होने पर 7 लाख रुपए मुआवजा देंगे लेकिन अब आप कह रहे हैं कि एक मकान का डेढ़ लाख रुपये दिया जाएगा। त्रासदी तो त्रासदी ही है। पिछली त्रासदी में भी काफी लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए थे और इस त्रासदी में भी काफी लोगों के घर ढह गए हैं। जिनका घर चला गया उनको मुआवजा तो मिलना ही चाहिए।

श्री एन0जी0 द्वारा जी.....

**27-08-2024/1510/वाई.के.-एन.जी/1**

**श्री जय राम ठाकुर.....जारी**

जिनका घर चला गया। पिछली बार आपने कहा कि हम 7 लाख रुपये देंगे और अबकी बार आप घोषणा कर रहे हैं कि 1.50 लाख रुपये देंगे। मैं समझता हूं कि यह अन्याय है और बिलकुल भी उचित नहीं है। पहले से जो रिलीफ मैन्युअल में 1.50 लाख रुपये दिए जाते थे यदि उसी के अनुसार चलता रहता तो आज कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। लेकिन आज प्रश्न इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि इस बरसात में जिनके घर चले गए, जो लोग तबाह हो गए उनके लिए आप केवल 1.50 लाख रुपये देने की बात कह रहे हैं और उन लोगों के लिए आप पैकेज के अनुसार राहत देने की कोई बात नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे लिए सबसे बड़ा दुःख तो इस बात को लेकर है कि इस सरकार की झूठ बोलने की आदत बन गई है। सरकार का मानना है कि झूठ बोलकर वक्त निकालो क्योंकि मानवीय स्वभाव के अनुसार थोड़े वक्त के बाद लोग भूलना शुरू कर देते हैं। इन्होंने झूठ बोल कर ही हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाई है। हिमाचल प्रदेश के आम चुनावों के दौरान झूठे वायदे व गारंटियां दी गईं। ये करेंगे, वो करेंगे, यही सब झूठ बोलते रहे। इन्होंने बोला था कि 18 से 60 वर्ष की सभी महिलाओं के खाते में 1500 रुपये प्रति माह आएंगे। 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी और एक लाख नौकरी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में निकालेंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री देने के वायदे के मुताबिक आप सत्ता में आए थे और हमारे सामने जो मित्र बैठे हैं उन्हें कुछ तो शर्म होनी चाहिए कि 300 यूनिट तो दूर की बात रही जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 125 यूनिट बिजली हिमाचल प्रदेश में फ्री दी थी उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने जो योजनाएं शुरू की थी उन्हें एक-एक करके बंद किया जा रहा है। हिम केयर योजना का बहुत बड़ा हिस्सा बंद कर दिया गया। इनकी सरकार ने कहा कि हिम केयर योजना प्राइवेट सैक्टर में नहीं चलेगी। प्राइवेट सैक्टर में क्यों नहीं होनी चाहिए आज ये प्रश्न पैदा होता है और आपसे ये प्रश्न पूछा भी जाएगा।

**27-08-2024/1510/वाई.के.-एन.जी/2**

हमने इसे प्राइवेट सैक्टर में इसलिए किया था क्योंकि सरकारी अस्पताल में एक अल्ट्रा साउंड के लिए भी 3-3 माह का समय मिलता है क्योंकि वहां पर वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है। इसी प्रकार सी.टी. स्कैन में भी 3-3 माह की तारीख दी जाती है।

**अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, केवल आपदा पर बोलिए।

**श्री जय राम ठाकुर :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपदा पर ही बोल रहा हूं। ये सारी चीजें भी सरकार को याद करवाना जरूरी है क्योंकि झूठ बोलना इस सरकार की आदत बन गई है। सत्तापक्ष वालों की यह आदत है कि पूर्व में जो बातें कही गई हैं उन्हें हम भूल जाएं लेकिन हम उन्हें कैसे भूल जाएं? अध्यक्ष महोदय, हमने पहले भी कहा था कि जो 10 गारंटियां दी गई हैं उन्हें पूरा करने के लिए 10 जन्म लग जाएंगे और अब तो लग रहा है कि 10 जन्म से भी ज्यादा लगेंगे। आपने पिछले वर्ष लोगों से वायदा किया था कि आपदा में नुकसान भरपाई के लिए पैकेज के अनुसार ही धनराशि दी जाएगी। इस वर्ष लोकसभा चुनावों के दौरान जब हम लोगों के बीच में गए तब हमने उन गांवों का दौरा भी किया जहां पर पिछले वर्ष आपदा के दौरान बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। हमने उन गांव के लोगों से पूछा कि क्या आपको 7 लाख रुपये मिल चुके हैं तब लोग खड़े होकर बोलते थे कि एक पैसा भी नहीं मिला है। हमने उनसे पूछा कि जिन लोगों का थोड़ा नुकसान हुआ है उन्हें तो 1 लाख रुपये मिले होंगे तब उन्होंने कहा कि एक लाख रुपये भी नहीं मिले। बहुत सारे लोग तो यह भी बोले कि अभी तक तो पटवारी भी रिपोर्ट बनाने के लिए नहीं आया। लोगों की जमीन, खेत, बगीचे आदि सब चले गए लेकिन अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। यह हकीकत है। आपकी सरकार की झूठ बोलने की आदत बन गई है। मैं इस चर्चा के माध्यम से इन सब बातों को करना नहीं चाहता था लेकिन आपने जो किया है वह बहुत बेतहाशा है। लोगों को गुमराह करना और लोगों को ठगना ही आपकी सरकार का काम है।

**27-08-2024/1510/वाई.के.-एन.जी/3**

अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा पीड़ा का विषय यह है कि सरकार इस आपदा में भी अवसर तलाशती रही। अभी बरसात के दौरान जो नुकसान हुआ उसे देखने के लिए मैं भी कुल्लू गया था। पिछली बार ब्यास नदी ने अपना रुख बदल दिया था और इस बार फिर से अपना रुख बदल दिया। पिछली बार हमने चर्चा के दौरान कहा था कि वहां के मलबे को इस प्रकार से उठाना चाहिए ताकि गांव, सड़क और साथ लगते क्षेत्र को सुरक्षित करके बचाया जा सके। उसका फ्लो प्राकृतिक रहना चाहिए और इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश करें। अध्यक्ष महोदय, उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला हो गया। वहां पर कुछ ठेकेदारों की मशीनें लगाई गई। वे मशीनें वहां से कितना मैटेरियल निकाल कर क्रशर में जा कर पीस गई, उसका कोई भी हिसाब-किताब नहीं है। वैज्ञानिक तरीके से उस मलबे को जिस प्रकार से उठाना चाहिए था

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

**27-08-2024/1515/केएस/एजी/1**

**श्री जय राम ठाकुर जारी**----

उस तरीके से नहीं उठाया बल्कि अपनी सुविधानुसार उठाया। जहां तक उनका ट्राला या जे.सी.बी. जा सकती थी, वहां से उठाया तथा और भी ज्यादा नुकसान कर दिया। इस बार बाढ़ फिर से आई और ब्यास नदी ने पिछले साल की तरह ही रुख़ अपनाया बल्कि इस बार उससे ज्यादा नुकसान हुआ। इन सारी बातों को ले कर जवाब देने वाला कौन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है? मुख्य मंत्री जी आए हैं लेकिन ये जवाब नहीं देते। इधर की बात उधर पहुंचा देते हैं। यह सचमुच चिंता का विषय है।

अध्यक्ष महोदय, यह हकीकत है। ब्यास नदी से करोड़ों रुपयों का मटीरियल उठा लिया गया, उसको कौन ले गया, किसको दिया गया, किसने उससे पैसे कमाए इसका कोई हिसाब नहीं है। आज इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र शौरी का प्रश्न लगा है और उसमें इस बात का ज़िक्र आया है। हमें तो हैरानी हो रही है कि उसको लगाने का मैकेनिज्म

किस प्रकार से तय किया गया? कोई सिस्टम नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, सत्ता के करीब जो लोग थे, उन्होंने मशीनें लगाई। रात को भी मशीने चलती रहीं। पहले तो हमने सोचा कि ये अच्छा ही कर रहे होंगे। ब्यास नदी का जो नैचुरल फ्लो है, उसको ठीक तरीके से मेंटेन करने के लिए काम कर रहे होंगे लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। उन्होंने ब्यास नदी के किनारे का जो ठीक-ठीक माल था,उसको उठाया, ट्रकों और ट्रालों में डाला और जा कर उसको करोड़ों रुपयों में बेच दिया जो कि बहुत बड़ा भ्रटाचार है। मैं आपको ब्यास नदी के बारे में बता रहा हूं जिसके बारे में आज प्रश्न लगा हुआ है। उस प्रश्न का उत्तर भी आया है।

अध्यक्ष महोदय, आखिरकार हमने सीखा क्या? बरसात तो हर साल आएगी। आपदा आती रहेगी। पिछली बरसात के समय कहा गया था कि हम बहुत कुछ करेंगे। नदी के किनारे बसे हुए जो असुरक्षित गांव हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाएंगे। सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की वो बातें आप भूल गए और गांव के गांव बह गए। बंजार विधान सभा क्षेत्र के सैंज इलाके में जा कर देख लो, मैं विधान सभा के अंदर जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, मैं पिछली बार भी माननीय विधायक जी के साथ वहां पर गया था और अब की बार भी गया, अगर हमने वह गांव वहां से समय पर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट नहीं किया तो एक भी घर या दुकान वहां पर बचने वाली नहीं है। क्योंकि अभी



तो एक प्रोजैक्ट का ही पानी वहां आ रहा है। आने वाले समय में जब पार्वती का हमारा दूसरा प्रोजैक्ट बन कर तैयार होगा तो पानी का लैवल क्या होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती।

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह पैदा होता है कि आपदाओं का दौर तो चलता रहा लेकिन हमने इससे सीखा क्या? हर बार बरसात के दौरान हम यहां पर इस प्रकार का प्रस्ताव लाते रहे और सत्ता पक्ष का एक ही गीत आता है, एक ही गाना गाते हैं कि केंद्र सरकार ने कुछ नहीं दिया। अरे, आप भी तो यहां पर सत्ता में हैं। आपकी क्या जिम्मेदारी है? आज मैं इस बात को कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में इस आपदा के तहत जो साढ़े चार हजार करोड़ रुपये की बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने की थी, उसमें मुझे बताएं कि प्रदेश सरकार का कंट्रीब्यूशन

क्या है? पैसा वही है जो केंद्र सरकार ने दिया है। गालियां केंद्र सरकार को दी जा रही है कि कुछ नहीं दिया। 18 हजार के करीब मकान दिए उसके बावजूद आप कहते हैं कि कुछ नहीं किया। मैंने जो अभी राशि बताई, वह पैसा हिमाचल प्रदेश को मदद के रूप में मिला लेकिन उसके बावजूद कहते हैं कि कुछ नहीं दिया। अगर कुछ नहीं दिया तो आप हमें बताएं कि आपने क्या दिया?

**अध्यक्ष :** माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें।

**श्री जय राम ठाकुर :** चारों तरफ तबाही हो गई लेकिन उसके बावजूद भी सत्ता पक्ष वाले लोगों के बीच जाकर एक ही रोना रोते रहे कि कुछ नहीं मिला। अरे, कुछ नहीं मिला तो आपकी जिम्मेवारी क्या है? आपका भी तो कुछ दायित्व है। मुख्य मंत्री जी अभी-अभी इस माननीय सदन में आए हैं, क्या होगा ये जो लोग बच गए हैं, जिनके मकान टूट गए हैं, जिनके लिए आपने पिछले साल घोषणा की है कि

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

27.08.2024/1520/av/एजी/1

**श्री जय राम ठाकुर** ---------- **जारी**

जिस व्यक्ति का मकान चला गया है उसको 7 लाख रुपये दिए जाएंगे। वे लोग इंतजार में बैठे हैं मगर उनको अभी तक एक भी पैसा नहीं मिल पाया है। आपने अगर कहीं पर एक किस्त दी भी है तो दूसरी किस्त देने के लिए आपने मुड़कर नहीं देखा है।

इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछली बरसात में टूटी सड़कें अभी तक रिस्टोर नहीं हो पाई है। हम जिला मण्डी में देखते हैं, वहां पर लगभग 12 पुल बह गए थे परंतु अभी तक कोई एक पैदल पुल भी रिस्टोर नहीं हो पाया है। गांवों में जाओ तो पाओगे कि वहां पिछली बरसात के दौरान टूटी हुई सड़कें अभी भी उसी स्थिति में हैं। कहीं पर मलवा गिरा है तो वह वहीं पर पड़ा है, वहां उसको उठाने वाला कोई नहीं है। हम यहां पर कितनी सड़कों का जिक्र करें, मंत्री जी के पास सारी डिटेल है। ...(घण्टी) अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर विषय है और हम इस बारे में डिटेल में बात करना चाहते हैं। आप

जानते हैं कि कोई भी आपदा एक आपदा ही होती है। पिछली बरसात में जिन लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा था तो आपने प्रति व्यक्ति 7 लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने की बात की थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस आपदा के तहत भी वही 7 लाख रुपये की राशि मिलनी चाहिए क्योंकि डेढ़ लाख रुपये तो केंद्र सरकार की ओर से मिल रहे हैं, आप उसी राशि से अपना काम न चलाए। पिछली बार बहुत ज्यादा बरसात के कारण तबाही हुई थी और इस बार कम वर्षा होने के कारण भी ज्यादा तबाही हुई है। परंतु क्या हम इसी बात का इंतजार करते रहेंगे कि अगली बार की बरसात में भी नुकसान होगा, फिर हम इस सदन के अंदर चर्चा करेंगे। हमें इसके लिए कोई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। प्रदेश में इस प्रकार के असुरक्षित स्थानों, गांवों या घरों के लिए सरकार को कुछ फैसले लेने होंगे। क्या सरकार द्वारा ऐसे असुरक्षित घरों या गांवों का सर्वे करवाकर एक रिपोर्ट तैयार करके उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के प्रयास किए जाएंगे। सरकार ने पिछली बरसात में हुए नुकसान के बाद यह फैसला भी लिया था कि जिनके घर या जमीन चली गई है उसको तीन बिस्वा जमीन दी जाएगी। परंतु उनमें से अभी तक एक भी व्यक्ति को वह जमीन नहीं मिली है। माननीय मुख्य मंत्री जी, आप बस

**27.08.2024/1520/av/एजी/2**

अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। वर्तमान में इस प्रदेश की दशा व दिशा बहुत खराब है। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आपका दो वर्ष का कार्यकाल केवल बातें करके ही पूरा हो रहा है। प्रदेश की जनता सरकार द्वारा की गई घोषणाओं की हकीकत के साथ रहना चाहती है। मेरा मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि प्रदेश में भारी बरसात के कारण जो नुकसान हुआ है उसको गंभीरता से लेते हुए और उसकी ज्यादा-से-ज्यादा भरपाई कैसे की जा सकती है, इस बारे में विचार करके कोई ठोस निर्णय लिए जाने चाहिए। इस त्रासदी के दौरान जिन परिवारों के लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं मैं उनके प्रति भी संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं तथा मेरा दल उनके इस दुःख में शामिल होता है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवारों को जल्दी-से-जल्दी राहत प्रदान की जाए।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**अध्यक्ष :** अभी 03.25 बजे हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने इस प्रस्ताव पर अपने विचार रखने हेतु लगभग 35 मिनट का समय लिया है। अभी लगभग 23 जिनमें से 18 सत्ता पक्ष और 5 भारतीय जनता पार्टी के सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। अभी 05.00 बजने के लिए डेढ़ घंटे का समय शेष रहता है। अतः प्रत्येक सदस्य अपनी-अपनी बात को दस-दस मिनट्स में समाप्त करने की कोशिश करें।

माननीय राजस्व मंत्री जी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं?

राजस्व मंत्री जी टी सी द्वारा जारी

**27.08.2024/1525/टी0सी0वी0/ए0एस0-1**

**राजस्व मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं बाद में ही बोलूंगा परंतु उन्होंने बहुत लम्बा वक्तव्य दिया है और कुछ फैक्ट्स को कॉरैक्ट भी करना है। आपने कहा कि 2000 मकान पूर्ण रूप क्षतिग्रस्त हुई हैं जबकि 22000 मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। दूसरा, मैं नेता प्रतिपक्ष का धन्यवाद करता हूं कि इनकी कुंभकर्णीय निंद्रा बड़ी देर के बाद टूटी है। पिछली बार जब प्रदेश में ऐतिहासिक आपदा घटित हुई तो उस समय इन्होंने स्पेशल सैशन की डिमांड की। जबकि उस समय पक्ष की ओर से एक-एक माननीय सदस्य आपदा प्रबंधन में लगा हुआ था तो उस समय इन्होंने राजनीति करते हुए सैशन की डिमांड की। उस सत्र के दौरान इन्होंने इस बारे में अपनी बात रखी और उसके बाद विंटर सैशन आया उसमें भी इस विषय के बारे में चर्चा की तथा उसके पश्चात् बजट सैशन में भी इस विषय पर चर्चा की गई। लेकिन उस दौरान इन्होंने इस तरह की बात नहीं की और उस दौरान चुप रहे। शायद आपके पास मुद्दों की कमी है। ये कह रहे हैं कि आपदा में लोगों को मकान बनाने के लिए 7-7 लाख रुपये दिए गए। क्या आप नहीं देना चाहते थे? आपको इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए था। यह हिन्दुस्तान की ऐतिहासिक घटना थी। हमने एक नियम बनाया है कि प्लिंथ लेवल तक आने के बाद दूसरी किस्त मिलेगी (...व्यवधान...) अध्यक्ष महोदय, ये बैठ

नहीं सकते, ये सुन नहीं सकते, इनको सुनने की आदत नहीं है। ये हमेशा अपनी ही बात रखते हैं, दूसरों को बोलने नहीं देते हैं। सिर्फ श्री जय राम ठाकुर जी ही बोलेंगे बाकि कोई बोलेगा ही नहीं। एक आप ही है जो बुद्धिमान है (...व्यवधान...)

Hon'ble Speaker, Sir, he should not interfere when someone else is speaking. This is very bad. It is unparliamentary. यह कोई बात होती है। जब ये बोल रहे थे तो मैंने एक भी शब्द नहीं बोला। इन्होंने बड़ी बातें कही, मैंने वे चुपचाप सुन ली और नोट की। यह कोई तरीका है (...व्यवधान...) He is making this Hon'ble House a fish market. फिर खड़े हो गए हैं। सर, इनको समझाओ। इनकी अलग से एक क्लास लगानी पड़ेगी। (...व्यवधान...) आप मुझे रोक क्यों रहे हो। क्या मैंने आपको रोका? मैंने तो आपको करैक्ट किया। (...व्यवधान...) हम 7 लाख रुपये दे रहे हैं, किसने कहा कि हम नहीं दे रहे हैं? सर, अभी डेढ़ लाख की बात हुई है और अभी मानसून चला हुआ है। पहले मानसून को खत्म होने दीजिए, पहले भी

**27.08.2024/1525/टी0सी0वी0/ए0एस0-2**

तो उसी दिन 7 लाख नहीं दे दिया था। Gravity of situation को देखकर माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो यह कहते हैं कि केन्द्र सरकार से यह नहीं कहा, वह नहीं कहा। क्या हम पाकिस्तानी है? क्या हम इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या मोदी जी हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं, क्या श्री जगत प्रकाश नड्डा जी एहसान कर रहे हैं? मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। श्री जय राज ठाकुर जी आप सुन लीजिए। वर्ष 2024-25 के बजट में जोकि जुलाई, 2024 में पेश हुआ, में हिमाचल की तरह प्रभावित राज्य असम, बिहार, उत्तराखण्ड और सिक्किम को केन्द्र सरकार ने विशेष सहायता की बात की है। लेकिन हिमाचल प्रदेश जहां पर श्री जय राम ठाकुर जी केन्द्र सरकार की दुवाएं दे रहे हैं, वहां पर आपकी केन्द्र सरकार कह रही है 'लेकिन हिमाचल प्रदेश जहां पर वर्ष 2023 में बरसात में 12000 ज्यादा का नुकसान हुआ, को multilateral loan की बात कही है जोकि स्पष्ट रूप से भेदभाव है। इसके लिए मोदी जी, नड्डा जी और आपका धन्यवाद। जयहिन्द।

मुख्य मंत्री आर0के0एस0 द्वारा जारी ....

27.08.2024/1530/RKS/एएस-1

**अध्यक्षः** माननीय मुख्य मंत्री जी।

**मुख्य मंत्रीः** अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी ने सही आंकड़े पेश किए हैं। मैं चाहता हूं कि विपक्ष के साथी भी तर्क के साथ अपनी बात रखें। हमारी सरकार ने पूर्णतः क्षतिग्रस्त घरों के लिए 7 लाख रुपये और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए कई जगह तीन लाख रुपये और कई जगह साढ़े तीन लाख रुपये देने का प्रावधान किया है। एस.डी.आर.एफ. और एन.डी.आर.एफ. में 847.73 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वित्त विभाग द्वारा 1831.75 करोड़ रुपये जारी किए गए। योजना विभाग द्वारा 146.97 करोड़ रुपये जारी किए गए। सबसे ज्यादा डंगे मण्डी जिला में लगे क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। ...(व्यवधान)... श्री विनोद कुमार जी जो आपके निर्वाचन क्षेत्र में डंगे लगने हैं हम उन्हें भी लगा देंगे। मुख्य मंत्री आपदा राहत कोष से जो हमने 150 करोड़ रुपये दिए हैं उसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता, सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों और हिमाचल प्रदेश में जितने भी छोटे बच्चे हैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश के सभी विधायकों व नागरिकों ने आपदा राहत कोष में अपना भरपूर योगदान दिया है और इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। भारत सरकार द्वारा दिसम्बर की किस्त के 433.70 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा लगभग 4500 करोड़ रुपये की आपदा राहत राशि जारी की गई है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि हमारी बहुत सी सड़कें और पेयजल योजनाएं अभी तक अवरुद्ध पड़ी हैं। मैं चाहूंगा कि जब नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखें तो आप उन सड़कों के नाम भी बोलें जो अभी तक अवरुद्ध पड़ी हैं।

हमारी सरकार ने सभी गांव की सड़कों को टैंपरेरी रूप से यातायात के लिए बहाल कर दिया है।

**अध्यक्ष :** कृपया व्यवधान न डालें।

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, जब श्री राकेश जम्वाल जी अपना वक्तव्य देंगे तो उस समय ये उन सड़कों के नाम भी गिनाएं। मनाली के एरिया में जहां 75000 पर्यटक फंसे थे हमने

सबसे पहले उन सड़कों को 48 घंटों के भीतर बहाल किया। हमने पानी की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित की हैं। लारजी प्रोजेक्ट में ही कम से कम पिछले वर्ष 600 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। इस प्राजैक्ट से जो आय होनी थी हमने

27.08.2024/1530/RKS/एएस-2

उसको भी इस नुकसान में गिना है। आपदा में हमें केंद्र सरकार की ओर से कोई विशेष राहत नहीं दी गई। केंद्र में किसी भी पार्टी की सरकार हो आपदा के बाद राहत राशि देनी ही पड़ती है।

**श्री बी.एस.द्वारा ... जारी**

27.08.2024/1535/बी.एस./डी.सी.-1

**मुख्य मंत्री जारी...**

आपदा के बाद रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा देना पड़ता है। हमने उनकी मदद के बगैर चाहे स्थाई है या अस्थाई सभी योजनाओं को चला रखा है। मैं फिर से आदरणीय प्रधान मंत्री जी से मिला। मैंने कहा कि पी.डी.ए. ने जिसका एक अंश हमारा टैक्स का है, चाहे जी.एस.टी. का है वह भी उसमें जाता है। कहा कि हमें 93,00 करोड़ रुपये भेजा है उसमें एक भी पैसा नहीं मिला है। अब मेरा मानना है कि मैं फिर से आदरणीय प्रधान मंत्री जी के पास जाऊंगा क्योंकि यह हमारा अधिकार है यह कोई खैरात नहीं है। जब कभी भी आपदा आएगी और केन्द्र में जो भी सरकार होगी उसे वह देना पड़ेगा। हमारी कोशिश है कि हमें यह पैसा मिले। बगैर पैसे के जिसमें केन्द्र सरकार का कोई भी पैसा नहीं है हमने यह सारा कार्य किया है। जब मंत्री जी इसका जवाब देंगे तो ये तथ्यों के साथ पूरा जवाब देंगे। मैं सुन रहा था कि कौन सा पैसा दिया क्या दिया? हमें लास्ट किस्त कंप्लीशन पर मिलेगी। मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आपने सात लाख रुपये दिया इसलिए इस बार भी सात लाख रुपये दीजिए। आप इस बात को स्वीकार भी करते हैं और मांग भी

करते हैं। इसका मतलब है कि हमने सात लाख रुपये दिया है। अभी बारिश चल रही है इसलिए और स्थानों पर नुकसान न हो उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए जो भी हमारी सरकार करेगी वह हम बैठक करके राजस्व मंत्री जी से चर्चा करने के बाद जो भी होगा। क्योंकि ये पहले दिन से चाहे वह समेज में था या बाघी पुल में था चाहे कहीं और था ये व्यक्तिगत तौर पर वहां पर जा करके देख करके आए हैं कि कितना नुकसान हुआ है। जैसे ही बारिश रुकेगी हम देखेंगे।

**श्री जय राम ठाकुर :** मुख्य मंत्री जी, आप मण्डी में तो देखने आए ही नहीं।

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष जी, वहां पर आदरणीय कौल सिंह ठाकुर जी और लोक निर्माण मंत्री जी जा करके आए हैं और सरकार के नुमाइंदे वहां पर पहुंचे हैं। बरसात के बाद हम बैठ करके चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से उजड़े हुए परिवारों को जो जान गवा चुके हैं, केन्द्र सरकार से आशियाना लगा कर और अपनी तरफ से राहत पैकेज देने का विचार करेंगे। यही मैं कहना चाहता हूं।

27.08.2024/1535/बी.एस./डी.सी.-2

**अध्यक्ष :** आदरणीय जय राम ठाकुर जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

**श्री जय राम ठाकुर :** अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि अभी तक इन्होंने कहा कि प्लिंथ बनने के बाद दूसरी किस्त मिलेगी। ऐसे हजारों लोगों ने जिनके घर चले गए थे उन्होंने उधार ले करके कहीं से भी पैसा ले करके जमीन बेच करके घर बना करके तैयार कर दिए और रहना शुरू कर दिया। परंतु अभी तक आप प्लिंथ की बात कर रहे हैं। क्या एक साल तक प्लिंथ ही रहेगी क्या? दूसरी बरसात आ चुकी है कम-से-कम सत्य तो बोलो। आपकी नहीं देने की मंशा है और नहीं दी जा रही है।

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जो मैंने कहा कि आपने सात लाख रुपये प्रति घर के लिए कहा था। आपने बोला है परंतु उसे दिया नहीं है। हम यह कह रहे हैं कि

अब की बार तो आपने बोला भी नहीं है। आपने अबकी बार बोला है कि डेढ़ लाख रुपये देंगे। इसलिए हमने कहा कि इसे बराबर तो करिए यदि पिछली बार सात लाख रुपये कहे हैं तो इस बार भी सात लाख देने की बात कहिए। क्योंकि पिछली बार भी घर गया था और अब की बार भी घर ही गया है। उसे बराबर कर देना चाहिए। आपने जमा करके बताया कि प्लानिंग में इतना दिया उधर से इतना दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि यह वित्त विभाग मेरे पास भी रहा है लेकिन ये सत्य नहीं है। इसमें पता करना पड़ेगा, क्योंकि भरोसा टूट गया है। आप झूठ बोल करके सत्ता में आए और छूट बोल करके सरकार चला रहे हैं। अभी भी जहां भी टांका लगता है वहां आप झूट बोलना छोड़ते नहीं हैं।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

**27.08.2024/1540/डी0टी0/डी0सी0-1**

**श्री जय राम ठाकुर जारी...**

लेकिन अब ये ज्यादा नहीं चलेगा, बस अब हो गया।

**अध्यक्षः** माननीय मुख्य मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हो?

**मुख्य मंत्रीः** अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने जो बात रखी है, जब एक मुख्य मंत्री या राजस्व मंत्री द्वारा घोषणा हो जाती है, उसके बाद वह व्यक्ति उपायुक्त कार्यालय जाकर या अपने डिवीजन के एस0डी0एम0 के पास जाकर अपनी किस्त ले सकता है, क्योंकि पैसा तो उनके पास पड़ा हुआ है। जिन भी व्यक्तियों को मकान की कंप्लीशन के बाद अंतिम किस्त चाहिए, उनको उस किस्त का पैसा संबंधित क्षेत्र के एस0डी0एम0 के पास प्रार्थना पत्र देकर तुरन्त मिल जाएगा।

**अध्यक्षः** जैसा मैने कहा कि अभी लगभग 23 माननीय सदस्य नियम-130 के अंतर्गत इस चर्चा पर अपने विचार रखेंगे। जो मूवरज हैं मैं पहले उन्हें बुला रहा हूं। माननीय सदस्य श्री चंद्र शेखर जी।

**श्री चंद्र शेखरः** अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस प्रस्ताव में बोलने का मौका दिया है जिसमें पूर्व मुख्य मंत्री माननीय श्री जय राम ठाकुर जी ने शुरूवात की है।

अध्यक्ष महोदय, जिस लाइन पर इस डिबेट को ले जाने की कोशिश हो रही है, यह पहली मर्तबा नहीं है। पिछले साल जब आपदा से प्रदेश जूझ रहा था तब से इस राजनीति की

शुरूवात हुई है। माननीय मुख्य मंत्री जी तब पूर्व मुख्य मंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में जहां घुटने से ऊपर कीचड़ जमा था वहां पर चल रहे थे और ये देखकर हैरान थे कि उस क्षेत्र के अंदर लकड़ी के स्लीपर ऊपर से उतरकर आपदा में बदल गए, हमने उस समय भी कहा था और जब आपदा में इस मान्य सदन में चर्चा हो रही थी तब भी कहा था कि इसकी जांच की बात कम-से-कम पूर्व मुख्य मंत्री की ओर से होती तो बेहतर होता। लेकिन उसके ऊपर ये मौन रहते हैं। जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले साल मोर्चा सम्भाला और प्रदेश की समस्त जनता के भीतर एक उत्साह आया कि हमारे प्रदेश का जो इस समय मुख्या है वह ऐसी विषम परिस्थितयों से इस प्रदेश को निकाल कर ले जाने का मादा रखता है और कांग्रेस का पूरा विधायक दल उनके साथ खड़ा हुआ है। उसके बाद साजिशों का दौर इस राज्य में शुरू किया गया और विपक्ष की ओर से जो दूसरी राजनीतिक आपदा प्रदेश के ऊपर लाई गई उसकी सबसे बड़ी परिणीति ये है कि हम फिर 40 हैं और माननीय मुख्य मंत्री,

**27.08.2024/1540/डी0टी0/डी0सी0-2**

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी यहां फिर सदन के नेता के रूप में खड़े हैं। किसी भी प्रकार की आपदा हमारे ऊपर आए हमें भरोसा है कि माननीय मुख्य मंत्री के रूप में एक मजबूत व्यक्तित्व इस समय हमारा नेतृत्व कर रहा है।

दूसरी बात ये है जो राजनीति विपक्ष की ओर से चल रही है। मैं उसपर नहीं जाना चाहता, मैं सोचता था कि ये एक बहुत गम्भीर विषय है, इसलिए मैं भी इसपर प्रस्ताव लाया। जब प्रदेश के किसी भी गांव में भारी बरसात आ जाती है तो वहां क्या मंजर होता है? अभी हमने झाकड़ी में देखा कि एक मां ने किस प्रकार मंदिर में शरण लेकर अपने दो बच्चों की जान बचाई जबकि पूरे-का-पूरा गांव भारी वर्षा के कारण साफ हो गया। जुलाई 25 से लेकर 31 तारीख तक अनेकों स्थानों में ऐसा हुआ है और 31 तारीख को तो ये अपने चरम पर पहुंचा। क्या हमारा सदन किसी और का इंतजार कर रहा है जो इन गम्भीर बातों पर चिंता व्यक्त करे? ये रिपोर्टिंग है कि वहां ये हुआ है, वहां वह हुआ है। ये अख़बारें हमसे बेहतर रिपोर्ट करती हैं। क्या ये सदन इस बात के ऊपर चर्चा करेगा जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने 31 तारीख के बाद वक्तव्य दिया। मैं समझता था कि पूर्व मुख्य मंत्री जी के पास

एक बेहतरीन फोरम था जिसका वह संज्ञान लेते। जो प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने कहा क्या उन्होंने ऐसा कहा? मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जो हिमालय के भीतर घटनाएं घट रही है ये प्रदेश की मात्र तस्वीर नहीं बिगाड़ रही। ये अखिल भारतीय स्तर के ऊपर जो शोध होना चाहिए, जिसमें केंद्र को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए और ये शोध करना चाहिए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे मिनिमाइज करने के लिए क्या हो सकता है?

**श्री एन0जी0 द्वारा ... जारी**

**27-08-2024/1545/एच.के.-एन.जी/1**

**श्री चंद शेखर.....जारी**

वैज्ञानिक तौर-तरीकों को अपना कर इस समय की कार्ययोजना पर क्या यह माननीय सदन चर्चा कर पाएगा? यह बात नेता प्रतिपक्ष भी मानते हैं कि पिछली आपदा के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा क्रांतिकारी फैसले लिए गए और ये सोच भी नहीं सकते थे कि कोई मुख्य मंत्री 80 हज़ार करोड़ रुपयों के कर्ज तले दबे होने के बाद भी 7 लाख रुपये प्रति घर देने की बात कर सके। जिस व्यक्ति का कच्चा घर गिर गया था उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पक्का घर बन पाएगा और यह हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी का ही पुरुशार्थ था। उस दौरान आंशिक रूप से एक लाख रुपये देना भी बहुत बड़ी बात थी। पूर्व मुख्य मंत्री जी ने ठीक कहा कि पहले तो कुल 1.50 लाख रुपये ही मिलते थे। इनके वक्त में भी आपदा आई थी क्या इनकी सरकार 1.50 लाख रुपये से आगे की कोई खिड़की खोल पाई? लेकिन हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा ये हुआ है। आज इस बात को समझने की आवश्यकता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी PDNA के तहत 9000 करोड़ रुपये की मांग माननीय प्रधान मंत्री जी से एक बार नहीं बल्कि दो बार कर चुके हैं। क्या विपक्ष में बैठे नेतागण इस पर अपने विचार रखेंगे? माननीय प्रधान मंत्री जी हिमाचल प्रदेश में दो आपदाओं के बीच में एक बार आए और वह भी केवल वोट मांगने के लिए आए। पिछले वर्ष

प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आई थी जिसमें 500 से ज्यादा लोग मर गए थे। मेरे जिला मण्डी में 48 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। निश्चित तौर पर वहां मगरमच्छ के आंसु तो बहाने ही पड़ने थे। आप तो आए ही नहीं थे और आपने नाम भी नहीं लिया। अभी भी हमने सुना कि आप रामपुर आने वाले थे लेकिन मुहूर्त ही नहीं निकला। हिमाचल प्रदेश तो आपका दूसरा घर है और पिछले दो वर्षों से यहां पर आपके आने का मुहूर्त ही नहीं निकला।

**27-08-2024/1545/एच.के.-एन.जी/2**

अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने मण्डी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान से कहा कि जांच की जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि किस बात की जांच होगी? आपने कहा कि यहां पर बंदरबांट हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी बंदरबांट हुई है। गरीब आदमी को जो 1.50 लाख रुपये मिला वह उसके घर में पहुंच रहा है। इस बात को तो नेता प्रतिपक्ष जी ने भी कह दिया है कि आपने 3 लाख रुपये दे दिए, आपने 50 हज़ार रुपये दे दिए, आपने बकरी, गाय व भैंस का मुआवजा भी दे दिया। क्या आप गरीब आदमी को मिलने वाली राहत की जांच करवाओगे? दिल्ली में बैठी हुई सरकार जब अपने बजट में खुलासा करती है तो हमें कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश को वर्ल्ड बैंक और आई.एम.एफ. के माध्यम से लोन देकर मल्टी लेट्रल असिस्टेंस दी जाएगी। हमारे पड़ोसी राज्य में भी आपदा आई थी और वहां पर तो आप पैकेज दे रहे हैं। आसाम में भी आप पैकेज दे रहे हैं। बिहार को आप 12 हज़ार करोड़ रुपये का पैकेज दे रहे हैं। हमारे लिए तो 1200 करोड़ रुपये का भी नाम तक नहीं लेते हो। आप हमें टोटा-टोटा करके बताते हो कि 180 करोड, 190 करोड़ और 170 करोड़। आपने हिमाचल प्रदेश को कभी ऊपरी हिमाचल और कभी निचला हिमाचल कह कर टोटा-टोटा करके बांटा है। आपने आपदा को लेकर कभी कोई गम्भीरता नहीं दिखाई।

अध्यक्ष महोदय, अभी तक 51 फल्ड्स आ चुके हैं। इस बार लगभग 100 लोगों की दुःखद मृत्यु हुई है। जिला मण्डी से लेकर सिरमौर तक, शिमला के रामपुर में, बागीपुल में

और जिला कुल्लू में भी आपदा से भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा ब्यास का बेसिन एरिया सच में बहुत खतरे में है। इस वर्ष भी लगभग 1500 करोड़ रुपये के नुकसान का आंकलन किया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं इस विषय पर गम्भीर हैं और हर समय मोनिट्रिंग करते हैं। पिछले वर्ष माननीय श्री संजय अवस्थी जी, माननीय राजस्व मंत्री जी और हमारे विधायकों ने जिस प्रकार आपदा के दौरान माननीय मुख्य मंत्री जी के कंधे-से-कंधे मिलाकर काम किया उसी प्रकार इस वर्ष भी हम सभी काम कर रहे हैं।

**27-08-2024/1545/एच.के.-एन.जी/3**

अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष ऐतिहासिक गर्मी हुई है। मैंने जो तथ्य जुटाए हैं उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष 4 से 7 प्रतिशत गर्मी बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश में 500 से 2000 के आसपास नए ग्लेशियर बनना शुरू हो चुके हैं। आज तापमान में अनईवन बाउंस मिलता है जोकि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया। पॉलिटिकल ब्रेन से हट कर इस वक्त में हिमाचल प्रदेश को केन्द्र सरकार की स्ट्रोंग इंटरवेंशन की आवश्यकता है। जो वैज्ञानिक लोग हैं और जो इसे लेकर महकमें बने हैं तथा हिमालयाज़ को लेकर लम्बे-लम्बे शोध कर चुके हैं, आज हिमाचल प्रदेश को उनकी आवश्यकता है। हमारे द्वारा 65 प्रतिशत जंगलों का संरक्षण हुआ है।

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

**27-08-2024/1550/केएस/एचके/1**

**श्री चंद्र शेखर जारी**---

जिसकी एवज़ में आज उत्तरी भारत में जो हम थोड़ी-बहुत ऑक्सिजन देते हैं, हम उसका सबसे बड़ा सोर्स हैं। क्या पलटकर उसका हमें कुछ मिला? माननीय मुख्य मंत्री ग्रीन हिमाचल को बनाने की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वैज्ञानिक तथ्यों पर बोल रहे हैं कि किस तरह का हिमाचल आने वाले समय में बनेगा। आज अगर इसके ऊपर कुछ बातों

को रेखांकित नहीं किया गया तो आने वाले पीढ़ियां हमसे जवाब पूछेंगी और शायद हम जवाब देने की स्थिति में नहीं होंगे। इस साल अध्यक्ष जी, फोरैस्ट डिपार्टमैंट से जो मुझे रिकॉर्ड मिला है, लगभग 2500 फायर जंगलों के अंदर अप्रत्याशित तौर पर हुई है और लगभग 25 हजार हैक्टेयर जमीन इस बार जंगलों की आग में आई है और यह जो हिमाचल जल रहा है, यह अब धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा और जो ग्लोबल वार्मिंग के सिम्पटम हिमालय की bl तराई के अंदर बड़ी तेजी से मिल रहे हैं। जो हमारी पर्यटन इंडस्ट्री है यह भी अहम पर होगी और जो हमारी अर्थव्यवस्था की मूल धारा है वह भी अहम पर होगी। इसके साथ-साथ जो हमारा इतना बड़ा होर्टिकल्चर का सेब राज्य है, यह भी आने वाले समय में इसकी चपेट में आने वाला है। निश्चित तौर पर किसानों की जो इकोनॉमी है, प्रदेश की जो 6 हजार करोड़ रुपये की इकोनॉमी है, इसकी बैक बोन के ऊपर भी अटैक आने वाला है इसलिए यह महज एक राजनीतिक विषय नहीं हो सकता। इसलिए जो मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य है कि केंद्र इसमें गम्भीरता दिखाए, मात्र पी.डी.एन.ए. का सवाल नहीं है, मात्र मकान बनाने का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि आज इस विषय के ऊपर गम्भीरता से पूरा सदन मौन रहने की बजाय, एक-दूसरे के ऊपर आरोप लगाने की बजाय, इस वक्त जो इंटेंस रेनफॉल है, जो बारिश दो महीने में होती थी, अब अचानक 15 और 18 दिन के अंदर पूरी हो रही है। इस बार की वर्षा का यही नमूना हम लोगों को देखने को मिला है। जो एकदम से फ्लैश फ्लड्ज़ आ रहे हैं, चाहे वह हमारे मलाणा में आया या हमें याद है, जब चाइना की तरफ से घटना घटी थी और सतलुज में पारछू नदी से बाढ़ आई थी। उस वक्त प्रदेश की जनता और यहां की सरकारों को यह मालूम ही नहीं था। दो दिन के बाद पता चला कि यह घटना तो चाइना की तरफ से घटी है। यह कोई अवैज्ञानिक तरीके से नहीं हुआ। नैचुरल वे से ये बहुत सी झीलें अपना रास्ता बनाएंगी तो कई शलेच गांव उसमें बह जाएंगे, बहुत कुछ होगा। हम जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में घर

**27-08-2024/1550/केएस/एचके/2**

में,दुकानों में या बाजारों में बैठकर ब्लेम करते हैं लेकिन जल विद्युत परियोजनाएं भी कहीं न कहीं बहुत सी बाढ़ों को कंट्रोल करती हैं और उनके ऊपर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी

चलती है। मात्र छोटे-छोटे बिंदुओं के ऊपर बात करें, बैटर रहेगा कि इसके ऊपर बृहद चर्चा हो। माननीय राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी ने कहा कि 12 हजार लोगों के मकान गए हैं। आप पांच आदमियों का नाम ले कर कौन सी बात हो रही है? मेरे चुनाव क्षेत्र के अंदर भी लगभग 250 मकान गए। 900 लोग इससे हताहत हुए हैं। 3 लोगों की जान गई है। हम भी इसका शिकार हुए हैं। यह पूरे प्रदेश की तस्वीर है। मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता से इस विषय पर बहुत गम्भीरता से बात की उम्मीद कर रहा था जो नहीं हो पाई। मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में जिस तरह से वर्ष 1999 में उड़ीसा के अंदर 10 हजार लोगों की जान चली गई, उड़ीसा के अंदर ऑटोमैटिक मोनिटरिंग सिस्टम को केंद्र सरकार ने पूरी तरह से लागू किया। इस वक्त हमें उड़ीसा से कोई घटना सुनने को नहीं मिलती। उसी तरह से जब वर्ष 2004 में कोस्टल एरिया के अंदर सुनामी आई, अब वह सुनामी आती है लेकिन इतना जबरदस्त वॉर्निंग सिस्टम वहां पर लगा दिया गया है कि वहां पर किसी भी तरह से हताहत होने वाले लोगों की जानकारी हमें न रेडियो और न ही समाचार पत्रों के माध्यम से सुनाई देती है। हमारा प्रदेश अचानक पूरे भारत के अंदर प्रमुख रूप से एक आपदा क्षेत्र के तौर पर दिखना शुरू हुआ है, चिंता का विषय यह है। चिंता का विषय यह नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने साहस दिखाया है। यह नेतृत्व की इस वक्त की पराकाष्ठा है कि यह दिखानी ही पड़ेगा अन्यथा प्रदेश के अंदर जो आम आदमी ,है उसको किसका सहारा है? ऐसे मुख्य मंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना आजीवन बैंक बैलेंस जितना भी इनके बच्चों के नाम का था, सारा का सारा जब बच्चों की गुल्लक टूटी तो उस वक्त माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी अपने बच्चों की गुल्लक तोड़कर सारा का सारा पैसा दिया।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी.....

**27.08.2024/1555/av/वाईके/1**

**श्री चंद्र शेखर क्रमागत**

यह भी एक छोटा-सा उदाहरण माननीय मुख्य मंत्री जी ने व्यक्तिगत तौर पर पेश किया है। मैं कोई लम्बी बात नहीं करना चाहता परंतु प्रदेश के अंदर नेता प्रतिपक्ष सहित भाजपा के सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि हमारे पास प्रदेश में 22 वॉर्निंग सिस्टम हैं। ये वॉर्निंग

सिस्टम प्रत्येक हलके में लगाने की जरूरत है, यहां तक कि कई जगह तो तीन-तीन लगाने की जरूरत है तब जाकर जनता तक इसकी पूरी जानकारी पहुंचेगी। इस समय हमें केंद्र सरकार से लगभग 100 वॉर्निंग सिस्टम चाहिए। हमें इस प्रकार की आपदा से लड़ने के लिए क्विक इक्विपमेंट चाहिए। प्रदेश में सभी फ्लड जोन आइडेंटिफाई हो जाने चाहिए जिसके संदर्भ में हर बार रोना रोया जाता है। मैं अंत में हिमालय को लेकर अपनी बात कहूंगा। हिमालय की भोलेनाथ, मणिमेहश और कैलाश नाथ तक वाइड रेंज है। इसके साथ हमारी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। यहां पर ग्लेशियर के बड़े-बड़े अम्बार लगे हैं। यहां पर इतना सब कुछ हैं परंतु हमें अपनी धार्मिक आस्था को बचाने के साथ-साथ अपनी नदियों को बड़ी या महान नदियां बनाने से रोकना है। ये जितनी हैं उससे ही काम चलाना होगा। हम इस माहौल में राजनीतिक आक्षेप करने की बजाय अपना-अपना दायित्व समझें। केंद्र सरकार को डिफैंड करने वाले लोग याद रखें कि यह प्रदेश उनका भी है। यहां पर फैडरल सिस्टम है और इस संघीय ढांचे पर कोई आंच न आए, हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**27.08.2024/1555/av/वाईके/2**

**अध्यक्ष :** अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र शौरी जी भाग लेंगे।

**श्री सुरेन्द्र शौरी :** अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो प्रदेश में भारी बरसात के कारण हुए नुकसान के संदर्भ में नियम-130 के अंतर्गत विषय लाया है, मैं भी उसके बारे में हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

हर साल ऐसी आपदा आती है। हम यहां सदन के अंदर पूरे प्रदेश और अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं। पिछले साल भी 8 और 9 जुलाई को भारी बरसात के कारण प्रदेश में आपदा आई थी तो उसके संदर्भ में इस सदन के अंदर विस्तृत चर्चा हुई थी। यहां पर सभी विषयों पर गंभीरता से विचार किया गया और सरकार ने जवाब में कहा था कि हम पूरे प्रदेश में राहत कार्यों में तेजी लाएंगे। प्रदेश में जो सिंचाई योजनाएं और सड़कें बर्बाद हो गई हैं उनको जल्दी-से-जल्दी रिस्टोर किया जाएगा और सभी प्रभावितों को

समय रहते मुआवजा प्रदान किया जाएगा। परंतु इस वर्ष फिर से 31 जुलाई की रात को जिला कुल्लू में भारी बरसात के कारण नदी-नालों का जल स्तर बढ़ा और उसके कारण बहुत सारा नुकसान हुआ। मैं यहां पर कुछ चीजों का जिक्र करना चाहूंगा। मुख्य मंत्री जी ने अभी कहा कि ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा, अगर कहीं नुकसान हुआ है तो आपके पास उसकी नाम सहित सूची होनी चाहिए ताकि धरातल स्तर की सच्चाई का पता लगाया जा सके। पिछली बार जब आपदा आई थी तो मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कई सिंचाई व पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई थीं।

टी सी द्वारा जारी

**27.08.2024/1600/टी0सी0वी0/वाई0के01**

**श्री सुरेन्द्र शौरी ... जारी**

और बहुत-सारे ट्रांसफॉर्मर खराब हो गए। इसके अलावा बहुत-सारे पम्प हाउस बह गए। मेरे विधान सभा क्षेत्र की बाढ़ से प्रभावित जल शक्ति विभाग की 11 योजनाओं की सूची है जो पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं। इनमें उठाऊ सिंचाई योजना मशगां पिछली बार बरसात में बह गई थी, आज तक इसमें कोई काम नहीं हुआ और सरकार ने बजट का बहाना लगाया कि इसके लिए कोई बजट नहीं है। इसी तरह से उठाऊ सिंचाई योजना-बकशाहल(देवगढ़ गोही सैंज), उठाऊ सिंचाई योजना-हाट का ट्रांसफॉर्मर बह गया है। उठाऊ सिंचाई योजना-बलगाड, उठाऊ सिंचाई योजना-हुरला का पम्प हाउस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। उठाऊ सिंचाई योजना-भडेउली-पचेहू, उठाऊ सिंचाई योजना-ढेरू रोपा-शराई, उठाऊ सिंचाई योजना-शौल-शलवाड़, उठाऊ सिंचाई योजना-तलाड़ा, उठाऊ सिंचाई योजना-रतवाह-कंढेरी, उठाऊ सिंचाई योजना-कोई-शुधार-उख्लचीन की योजनाओं को भी बरसात के कारण भारी नुकसान हुआ है। इससे बहुत सारी पंचायतें प्रभावित हुईं हैं और यहां पर कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत कुछ किया है। अभी माननीय मुख्य मंत्री कह रहे थे कि हमने 48 घंटे में सड़कें खोल दी लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इस आपदा को आए हुए एक साल से ज्यादा का समय हो गया है। मैं बाईनेम उदाहरण देना चाहता हूं कि मेरी एक सजवाड़ पंचायत है, पिछली साल बरसात में वहां पर एक पुल बह गया था और कुल्लू में

लोक निर्माण विभाग के मैकेनिकल विंग ने 5 पुल उस दौरान दिए थे। उनमें सजवाड़ का पुल भी दिया गया था लेकिन वह पुरी पंचायत भारतीय जनता पार्टी समर्थित हैं इसलिए राजनीतिक भेदभाव के कारण वह पुल आज तक नहीं लगाया गया। पिछले महीने सितम्बर में वहां लोक निर्माण विभाग के मैकेनिकल विंग द्वारा लोहा डाला गया है लेकिन 13 महीने बीतने के बाद भी लोक निर्माण विभाग वहां पर इस पुल का कार्य शुरू नहीं कर पाया है। इस बार की बरसात में वहां पर जो अस्थायी मार्ग बनाया गया था, वह भी बह गया। उस पंचायत में आज तक भी कोई बस नहीं जा रही है। लोग रस्सी का

**27.08.2024/1600/टी0सी0वी0/वाई0के02**

झूला लगा कर, अपनी जान को जोखिम में डाल कर क्रॉस कर रहे हैं। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। मेरी भलाण पंचायत के तरेड़ा व बरैन गांव में पुल बह गया और वहां पर आज भी छोटे-छोटे बच्चे घुटनों तक पानी को क्रॉस कर रहे हैं, वहां पर कभी भी कोई हादसा हो सकता है लेकिन सरकार इस बारे में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है कि वहां पर चलने के लिए कोई पुल बना दें। यदि सरकार वाहनों के लिए अभी पुल नहीं बना सकती है तो 20-25 लाख रुपये खर्च करके चलने योग्य पुल तो बनाया जा सकता है ताकि वहां के लोग सुरक्षित होकर नदी को पार कर सकें लेकिन अध्यक्ष महोदय पिछली बरसात से लेकर अभी तक लगभग 5-7 सड़कें अभी भी बंद पड़ी हुई हैं। एक साल से दोगड़ा और तांदी गांव को बस नहीं जा रही है क्योंकि रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। बिहार मेरी होम पंचायत है। यहां पर कह रहे थे कि राजनीतिक दृष्टिकोण से काम नहीं करना चाहिए। मैं भी कहना चाहता हूं कि जब प्राकृतिक आपदा आती है तो वह किसी क्षेत्र को देखकर नहीं आती है। बिहार सड़क पिछले एक साल से बंद है और स्कूल के बच्चों को पैदल स्कूल तक जाना पड़ रहा है। वहां पर सिर्फ एक डंगा लगना है लेकिन वह इसलिए नहीं लगाया जा रहा है क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी के विधायक की पंचायत है। इस तरह का भेदभाव इस आपदा के दौरान किया जा रहा है। यहां पर कहा गया कि दलगत राजनीति से ऊपर उठाकर काम करना चाहिए लेकिन जैसे यहां पर नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि प्रभावितों में

पैसों की बंदर बांट हुई है। इस सरकार के शासन काल में कई जगह ऐसा देखने को मिला जहां पर प्रभावितों को मुवावजा नहीं दिया गया लेकिन प्रभावी लोगों को जरूर मुवावजा दिया गया। यह हमने पिछले एक साल के अंदर देखा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर 3-4 गांव हैं जो पूरे-के-पूरे धंस गए हैं। हमने इनका जियोग्राफीकल सर्वे करवाया और उसकी रिपोर्ट आई कि यह गांव रहने लायक नहीं है।

**श्री आर0के0एस0 द्वारा ... जारी**

27.08.2024/1135/RKS/HK-1

श्री सुरेन्द्र शौरी... जारी

हमारी सरची पंचायत के बंदल गांव में पिछली बरसात के दौरान 32 घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। हमने वहां पर जियोग्राफिकल सर्वे करवाया और उन्होंने उस गांव को अनसेफ घोषित कर दिया। वहां पर कुछ लोगों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है और वे लोग अपने नाते-रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं। पलदी का सुई पानी गांव, बनोगी पंचायत के धारा देवरी गांव और ऐसे बहुत से गांव हैं जो अनसेफ घोषित किए गए हैं और लोगों को अपने रिश्तेदारों के पास रहना पड़ रहा है। मेरी विधान सभा चुनाव क्षेत्र में जो प्रोजेक्ट लगे हैं, जो एन.एच.पी.सी. के प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजैक्टों की वेयर साइट में जब पानी आ जाता है तो वे अपनी बिजली की उत्पादकता रोक देते हैं। जब पानी में सिल्ट आ जाती है तो वे सारा पानी एक साथ छोड़ देते हैं। इस बार जब हमने इस विषय को अधिकारियों के समक्ष उठाया तो उन्होंने कहा कि जब पीछे से पानी आया तो हमने अपने गेट खोल दिए और 150 क्यूबिक पानी एक साथ बाहर छोड़ा। मैंने उनसे पूछा कि कि अगर पीछे से ज्यादा पानी आता है तो आप एक साथ कितना पानी छोड़ सकते हैं? उन्होंने कहा कि हम मैक्सिमम 300 क्यूबिक पानी एक साथ छोड़ सकते हैं। मैंने कहा कि 150 क्यूबिक पानी छोड़ने पर हमारे सेंज नगर की दुकानों में पानी चला गया। पिछली बार बरसात में सैंज नगर में 35-40 घर क्षतिग्रस्त हो गए थे और इस बार फिर वहां पानी आ गया। पिछली बार जब हमने मीटिंग की थी तो उसके बाद एन.एच.पी.सी. वालों ने 3.73 करोड़ रुपये जल शक्ति विभाग के पास जमा

करवाए थे। लेकिन 3.72 करोड़ रुपये जमा करने के बाद भी सरकार ने न तो कोई टेंडर लगाया और न ही कोई काम किया। एक साल बाद फिर बरसात आई और दोबारा से लोगों की दुकानों में पानी घुस गया। मेरा कहने का मतलब है कि बजट होने के बावजूद भी यह सरकार कैसे काम कर रही है। वहां पर कोई सुरक्षा दीवारें नहीं लगाई गई। अगर ये दीवारें समय पर लग जाती तो सैंज बाजार में पानी नहीं आता। मैंने उनको कहा कि अगर आप 300 क्यूबिक पानी एक साथ छोड़ेंगे तो हमारा पूरा क्षेत्र पानी में बह जाएगा। मैं सैंज के हाइड्रो प्रोजैक्ट एन.एच.पी.सी. स्टेज-॥ और स्टेज-॥। की बात करना चाहता हूं। वहां दो महीने बाद मणिकर्ण घाटी की पार्वती नदी से पानी जुड़ रहा है। अगर वहां और पानी आ जाएगा

27.08.2024/1135/RKS/HK-2

तो हमारा सारा इलाका पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। इसलिए मैं माननीय सदन से मांग करना चाहूंगा कि हमारा जो सैंज का इलाका है उसे डेंजर जोन घोषित किया जाए। यहां पर श्री चंद्र शेखर जी बात कर रहे थे कि कोई अच्छी सी योजना बनाई जाए ताकि हिमाचल प्रदेश सुरक्षित हो सके। मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट लगे हैं, चाहे वह मलाणा-1 हो या मलाणा-11 अगर ये प्रोजैक्ट बरसात में अपना पानी एक साथ छोड़ते हैं तो जल स्तर काफी बढ़ जाएगा इसलिए इस इलाके को डेंजर जोन में घोषित करना चाहिए। वहां पर कोई मकान या डवलपमेंट नहीं होनी चाहिए। आने वाले समय में हमें इस तरह की नीति बनानी पड़ेगी। हमारे नदी-नालों का जल स्तर मैक्सिमम कितने मीटर ऊपर जा सकता है उसके हिसाब से हमें कोई पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि वहां पर कोई डवलपमेंट न की जा सके। अध्यक्ष महोदय, हम आपदा के दौरान समेज गांव भी गए थे। वह गांव भी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसलिए हमें एक नीति बनानी चाहिए कि कोई भी घर नदी के किनारे न बनाए जाएं।

यहां पर 7 लाख रुपये का विषय बार-बार आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आए हुए एक साल हो गया लेकिन आप बताइए कि आपने किस परिवार को 7 लाख रुपए दिये। मुझे एक व्यक्ति का फोन आया कि हमें तहसील में दोबारा फार्म भरने के लिए बुलाया गया

है। आज लोग इतने परेशान है कि उन्हें मुआवजा लेने के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। लोगों को अपनी फसलों का बीमा नहीं मिल रहा है। मेरी विधान सभा क्षेत्र में जो बजौरा और राहसूला का क्षेत्र है वहां पर अनार के बागीचे पूरी तरह तबाह हो गए हैं लेकिन उन लोगों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। ब्यास नदी का सारा स्वरूप बदल गया है लेकिन इसकी चैनेलाइजेशन के लिए सरकार को जो काम करना चाहिए था वह नहीं हो पा रहा है। सरकार ने यह जरूर किया कि

**श्री बी.एस.द्वारा ... जारी**

27.08.2024/1610/बी.एस./ए.जी.-1

**श्री सुरेन्द्र शौरी जारी...**

अपने लोगों के लिए ऑउट ऑफ वे एस.डी.एम. कार्यालय से टेंडर लगवाए गए। पोकलेन ब्यास नदी, किर्थन नदी और सैंज नदी में डाली गई और वहां से सारा पत्थर, रेत और बजरी ऑउट ऑफ वे निकाली गई। आपकी सरकार के मुख्य सचिव को दखल देना पड़ा और पत्र निकाल करके अवैध रूप से वहां पर जो खनन किया जा रहा था उसे रोकना पड़ा। उसका परिणाम यह हुआ कि जे.सी.बी. और एल.एन.टी. ने सारा मलबा वहां पर उखाड़ करके रखा हुआ था। जब बाढ़ आई तो उससे ज्यादा नुकसान वहां पर हुआ। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को सभी काम गंभीरतापूर्वक करने चाहिए। आपको प्राथमिकता के आधार पर देखना चाहिए कि कहां-कहां पर नुकसान हुआ है। परंतु आपकी प्राथमिकता तो ठेकेदार हैं। जो प्रदेश में प्रभावित लोग हैं उनको सही मायने में राहत मिलनी चाहिए। यहां पर मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी जो कुछ कह लें परंतु धरातल में सच्चाई कुछ और है। आपको उस बात पर ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

27.08.2024/1610/बी.एस./ए.जी.-2

**अध्यक्ष :** अब माननीय सदस्य कुमारी अनुराधा राणा जी चर्चा में भाग लेंगी।

**कुमारी अनुराधा राणा :** अध्यक्ष महोदय, मुझे पहली बार इस माननीय सदन में बोलने का मौका मिला रहा है इसलिए सबसे पहले मैं सदन के माध्यम से अपने विधान सभा चुनाव क्षेत्र लहौल-स्पिति के लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगी जिनकी बदौलत मैं इस सदन में हूं और आप सब के सामने अपना वक्तव्य व्यक्त कर पा रही हूं। मैं अपनी जनता का बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हूं। मैं इस गंभीर विषय पर अपने विचार प्रकट करने की कोशिश कर रही हूं और आपने इसके लिए समय दिया आपका धन्यवाद। हम देख रहे हैं कि हमारे से पूर्व हमारे सभी सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार रखे और बहुत वितृत तौर पर कहा। चाहे वह सत्ता पक्ष की बात हो, चाहे विपक्ष के माननीय सदस्यो की बात हो। सभी ने आपदा से प्रभावित प्रदेश के लोगों के बारे में बात की है। यदि मैं अपने विधान सभा चुनाव क्षेत्र लाहौल-स्पिति की बात करूं तो हम यह भी देख रहे हैं, वैसे तो कई वर्षों से हम यह चलन देख रहे हैं कि पूरे हिमालयन क्षेत्रों में बाढ़ रहा है और इन पर काफी ज्यादा इसका प्रभाव बढ़ रहा है। हमने पिछली बार भी पूरे प्रदेश में एक भंयकर त्रासदी देखी है जिससे लोगों की जाने भी गई और घर भी तबाह हुए हैं। इस पर मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं क्योंकि पूरा डाटा आपके पास मौजूद है। इसके अलावा अगर लाहौल-स्पिति की बात की जाए तो इस वर्ष भी हमने वही त्रासदी देखी है। हालांकि इसका प्रभाव पिछले वर्ष के जैसा नहीं है। फिर भी हम देखेते हैं कि आने वाले समय में यह और अधिक बढ़ सकता है। मुझे लगता है कि आज के समय की अगर बात की जाए तो यह सबसे गंभीर विषय है। अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो हम प्रत्यक्ष तौर पर अपने हिमालयन क्षेत्रों में देख सकते हैं। हमारा जो हिमालयन क्षेत्र है यह इतना फ्रजाइल है जिसमें अगर जोन की बात की जाए तो यह चार-पांच जोन में आता है। हमारे पहाड़ों में प्रत्येक वर्ष विकास हो रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें इस पर गंभीरता से सोचना होगा और इस पर एक ठोस नीति बनानी होगी। अगर मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात करूं तो मेरे कुछ ऐसे गांव हैं जो बिल्कुल खत्म

होने की कगार पर हैं। हम उस दिन का इंतजार नहीं कर सकते कि जब ये सब खत्म हो जाएं। जैसे जालमा पंचायत के कुछ ऐसे गांव हैं और ये मुख्य मंत्री जी के ध्यान में हैं और हमारे राजस्व मंत्री जी के ध्यान में भी हैं। उन्होंने स्वयं वहां का दौरा भी किया है। मैं यह

27.08.2024/1610/बी.एस./ए.जी.-3

कहना चाहती हूं कि मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में आपदा के समय पिछले दो वर्षों में बहुत बेहतरीन कार्य हुआ है। ऐसे वक्त में हमारे मुख्य मंत्री स्वयं गांव-गांव लोगों तक जाते हैं और मंत्री जी भी वहां पर जाते हैं। हमारे जो विधायकगण है उनके कार्य करने के तरीके को हम सभी ने देखा है। इस कार्यकाल में बेहतरीन नेतृत्व हमारे मुख्य मंत्री जी का रहा है। अगर में जालमा पंचायत की बात करूं तो वहां हमारे कुछ गांव हैं जैसे दसरत है, ताड़ंग है, और लींडूर हैं इनका अस्तित्व खतरे में है। मयाड़ घाटी का करपट हमारा गावं है, स्पिति का छिछलिंग और सगनम है। यदि मैं इस आपदा की बात करूं तो इस मानसून में हमारे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में 22 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है, ये चाहे विभिन्न विभागों में हुआ है। हमारे स्पिति में एक महिला की मृत्यु हो चुकी है और वह महिला अपने बच्चों को बचाने के दौरान खेतों में काम करते हुए बाढ़ की चपेट में आ गई थी।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

**27.08.2024/1615/डी0टी0/ए0एस0-1**

**कुमारी अनुराधा राणा जारी...**

ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। ऐसी त्रासदी भविष्य में न हो इसके लिए हम कितने तैयार हैं और क्या हमारी नीतियां होनी चाहिए, इस पर हमें विचार करना चाहिए। वैसे छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी लेकिन फिर भी मैं अपनी ओर से कुछ सुझाव देना चाहूंगी। क्योंकि जब हम पुनर्वास की बात करते हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र की भी कई ऐसे गांव हैं जो संकट की स्थिति में हैं जिनको कभी भी पुर्नस्थापन करने की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें लींडूर व करपट आदि गांव हैं। सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूं कि सदन के माध्यम से जो केंद्र की सरकार है उसके लिए भी प्रस्ताव पारित होना चाहिए कि जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इण्डिया के माध्यम से पूरे हिमाचल में जिलावार ऐसी जगहों को चिन्हित किया जाना चाहिए जहां की जमीन किसी भी प्रकार के नए निर्माण या नई मशीनरी के प्रयोग के लिए

उपयुक्त नहीं है। ऐसे स्थानो के लिए भवन निर्माण व परिवहन सुविधा के लिए मुझे लगता है कि वैकल्पिक तरीको पर भी कार्य होना चाहिए। क्योंकि हम कहते तो हैं कि ये प्राकृतिक आपदाएं हैं लेकिन कहीं-न-कहीं हम देखते हैं कि ज्यादातर ये मानव निर्मित ही हैं। आम जनता में इस संबंध में जागरूकता लाने की बहुत आवश्यकता है चाहे वह ग्राम सभा के माध्यम से हो या किसी अन्य माध्यम से और विशेषतौर पर जब हम ट्राइबल क्षेत्र की बात करते हों। ये मेरा सौभाग्य है कि ट्राइबल जिले से मैं दूसरी महिला हूं जो इस सदन में चुन कर आई हूं और ट्राइबल होने में मुझे गर्व है। ट्राइबल होने के नाते कई तरह के कानून और कई तरह के अधिकार संविधान ने हमें दिए हैं जिसके कारण हम ट्राइबल कहे जाते हैं। ग्राम सभा के पास पेसा कानून के अंतर्गत हम ये भी देखते हैं कि जैसे पिछले वर्ष केंद्र सरकार के द्वारा एफ0सी0ए0 अमेंडमेंट कानून लाया गया था जिसके अंतर्गत हमारे जो ट्राइबल राइटस हैं चाहे वे फोरेस्ट राइट एक्ट की बात की जाती चाहे पेसा कानून की बात की जाती है (पंचायत एक्सटेंशन टू शेडयूल्ड एरियाज एक्ट) तो इस कानून को काफी कमजोर बनाने की कोशिश की गई। क्योंकि जहां हम पुनर्वास की बात करते हैं, पुनर्वास कहना काफी आसान होता है कि विस्थापित लोगों को नए स्थानों पर पुर्नस्थापित किया जाए लेकिन अगर मैं अपने जिले की बात करूं तो 80 से 90 प्रतिशत भूमि वहां पर फोरेस्ट लैंड में आती है। पहले भी गीयूं गांव का एक मामला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भेजा गया था लेकिन भेजने के कई सालों बाद एफ0सी0ए0 के कारण यह केस रिजेक्ट हो गया। जब से इस एफ0सी0ए0 में संशोधन हुआ है ये संशोधन ट्राइबल क्षेत्रों के लिए ठीक नहीं है

**27.08.2024/1615/डी0टी0/ए0एस0-2**

क्योंकि एक तरफ जो बड़े-बड़े हाइड्रो प्रोजेक्टस बनते हैं या ऐसी विनाशकारी योजनाएं जिनका पर्यावरण पर सीधेतौर पर प्रभाव पड़ता है और इस प्रभाव के कारण भी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं उसमें तो एफ0सी0ए0 की क्लीरेंस बड़ी आसानी से मिल जाती है। पर जब हम पुनर्वास की बात करते हैं तो वहां एफ0सी0ए0 क्लीरेंस कई सालों तक नहीं मिलता या फिर रिजेक्ट हो जाता है, जैसा की मैंने अभी गीयूं गांव का उदाहरण दिया था। इसलिए मैं समझती हूं कि विशेषकर आपदा से संबंधित मामलों में इस सदन से भी एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए। मेरा निर्वाचन क्षेत्र जो पूरा फारेस्ट लैंड है वहां पर रिलेक्सेशन

दी जानी चाहिए। पुर्नस्थापन आने वाले समय में बहुत जरूरी है अगर मैं अपने क्षेत्र के लींडूर, करपट या छिछलिंग जैसे गांव की बात करूं तो।

ग्लोबल वार्मिंग भी आज के संदर्भ में एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं अगर अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो हमारे यहां जो झीले हैं जो ग्लेशियर से बनती हैं उनके आकार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। ऐसी झीलों का सर्वे करना और स्टडी करना, इसके जो कारण व परिणाम हैं उस पर कार्य होना अत्यन्त आवश्यक है।

हमारा प्रदेश सिस्मिक जोन-4 व 5 में आता है और हमारा फ्रेजाइल इकोलोजिकल सिस्टम है, इसलिए ये बहुत चिंता का विषय है। मेरा मानना है कि नए भवन निर्माण के लिए भुकम्प विरोधी तकनीक के बारे में अधिक-से-अधिक जागरूकता ग्राम सभा के माध्यम से अगर लोगों को दी जाए तो ये बहुत बेहतर होगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ज्यादातर जो भी आपदाएं आ रही हैं वह बाढ़ या नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण या ग्लोफ इंसिडेंट के कारण हो रही हैं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करना चाहती हूं कि नदियों का तटीकरण या नालों का तटीकरण ब्रोडवे में हमारे निर्वाचन क्षेत्र में हो क्योंकि इस वर्ष भी समय पर ये कार्य नहीं होगा तो मुश्किल आयेगी। जैसे ही चन्द्र-भागा नदी का या नालों का जल स्तर कम होता है, तो अगर काम समय में नहीं होता तो आने वाले समय में स्थिति और बिगड़ सकती है और हम उस स्थिति का इंतजार नहीं कर सकते। जब जनता ने हमें मेंडेट दिया है और जो हमारी जवाबदेही व जिम्मेदारी जनता के प्रति है उसे सही साबित करने का दायित्व भी हमारे ऊपर है। महिला होने के नाते मुझे लगता है कि हम तभी अपने आप को सिद्ध कर पायेंगे जब सभी का सहयोग मिलेगा और हम सिद्ध कर पायेंगे कि महिला भी अच्छा नेतृत्व और अच्छा कार्य कर सकती है। एक और चीज जो मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगी की जो हमारे कंक्रीट के जंगल हैं। हमारे पहाड़, हमारी नदियां हैं इन आपदाओं में हमें लगातार संदेश दे रहें हैं। हम प्रकृति के साथ जो



खिलवाड़ कर रहे हैं उसी का नतीजा है कि आज हम इन आपदाओं से जूझ रहे हैं। इसपर सरकार के स्तर पर आम जन को भी जागरूक करने की आवश्यकता है। जब तक आम

लोग इसमें भागीदारी नहीं निभायेंगे तब तक सरकार भी इसमें कुछ नहीं कर पायेगी। जो हमारी पारम्परिक भवन निर्माण की शैली थी, इसे पुर्नजीवित करने की आवश्यकता है।

श्री एन0जी0द्वारा जारी.....

**27-08-2024/1620/ए.एस.-एन.जी/1**

**कुमारी अनुराधा राणा.....जारी**

हमारे कार्य करने के पुराने तरीकों या आर्किटेक्चर्स को पुनर्जीवत करने की अत्यंत आवश्यकता है। मैंने अभी बताया है कि मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र में अभी तक लगभग 22 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। मौसम को देखते हुए यह नुकसान अभी और भी बढ़ सकता है। माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में पिछले वर्ष एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था जिसके तहत 1.50 लाख रुपये की राशि को बढ़ा कर 7.00 लाख रुपये किया गया था। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ज्यादातर नुकसान जमीनों व फसलों का हुआ है। मुझे लगता है कि जमीन के बदले जमीन मिलने का प्रावधान करना बहुत आवश्यक है। जिन लोगों की रोजी रोटी सिर्फ खेती पर निर्भर है उन लोगों की जमीनें चली जाना बहुत दुःखदायी है। मेरे क्षेत्र की जालमा पंचायत, सिस्सू के आसपास व करपट में और स्पिति के शिचलिंग सगनम में लोगों की सैंकड़ों बीघा जमीन का नुकसान हुआ है। मेरा मानना है कि जमीन के बदले जमीन देने का प्रावधान करना अत्यंत आवश्यक है। वह चाहे नौतोड़ के माध्यम से हो या चाहे एफ.आर.ए के माध्यम से हो। हमें एफ.सी.ए. के तहत रिलैक्सेशन देना भी अत्यंत आवश्यक है। यह कानून केन्द्र सरकार के अधीन है और मुझे लगता है कि इसके लिए इस माननीय सदन के माध्यम से एक प्रस्ताव पारित किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं डिज़ास्टर मिटिगेशन फण्ड के बारे में भी कहना चाहूंगी। वर्ष 2005 में आपदा प्रबंधन कानून आया था। हम देख सकते हैं कि आज तक इसकी जो भी कार्य प्रणाली रही है वह पोस्ट डिज़ास्टर में ही रही है। प्री डिज़ास्टर फेज़ के लिए सरकार द्वारा डिज़ास्टर मिटिगेशन का जो कंसेप्ट किया जा रहा है वह बहुत ही सरहानीय है। मेरी गुजारिश है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए भी डिज़ास्टर मिटिगेशन के तहत फल्ड प्रोटैक्शन, लैंड स्लाइड मिटिगेशन या अन्य मदों में अधिक-से-अधिक फण्ड्स का प्रावधान

किया जाए ताकि स्थितियों के उजड़ने से पहले धरातल पर कुछ बेहतर कर पाएं और लोगों के प्रति भी जवाबदेही बन सकें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका व सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करती हूं और मुख्यतः आपका क्योंकि आपने मुझे बोलने का समय दिया, thank you so much.

**27-08-2024/1620/ए.एस.-एन.जी/2**

**Speaker :** Thank you Hon'ble Member, Ms. Anuradha Rana to complete your speech within time prescribed. श्री लोकेन्दर कुमार जी इस प्रस्ताव के मूवर हैं लेकिन वे अभी माननीय सदन में उपस्थित नहीं हैं। इसलिए अब इस चर्चा में माननीय सदस्य, श्री विपिन सिंह परमार जी भाग लेंगे।

**श्री विपिन सिंह परमार (सुलह) :** अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के तहत श्री जय राम ठाकुर जी ने "प्रदेश में भारी बरसात/आपदा के कारण जनमानस, सड़कों, पुलों, घरों, फसलों, सरकारी भवनों, निजी भूमि, पेयजल व सिंचाई योजनाओं को हुए नुकसान बारे यह सदन विचार करे" प्रस्ताव इस माननीय सदन में लाया है और इस प्रस्ताव में मैं भी अपने आपको शामिल करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यदि हम पिछले वर्ष की बात करें तो उसका जिक्र नेता प्रतिपक्ष जी ने बहुत विस्तार से किया है। मुझे लगता है कि पुराने घाव अभी भी हरे हैं क्योंकि वे अभी तक भरे नहीं हैं। दिनांक 31-07-2024 को जो बरसात आई उसने हिमाचल प्रदेश के बागीपुल, समेज जैसे स्थानों के अलावा अन्य जिलों में भी काफी नुकसान किया है। उस बरसात के कारण जान-माल का भारी भरकम नुकसान हुआ है। मैं यह भी कह सकता हूं कि हर वर्ष जो बरसात आ रही है वह आफ़त की बरसात आ रही है। अपनों की तलाश में आसुओं के सैलाब थम नहीं रहे हैं। हिमाचल प्रदेश एक बहुत रमणीक, सुंदर पहाड़ियां, नदियां, नाले, झरने इत्यादि वाला प्रदेश है। हमारे प्रदेश में गत वर्षों में जलवायु परिवर्तन हुआ है। जब पानी व बरसात की जरूरत नहीं होती तब यहां पर बादल फट रहे हैं। हमारे

ध्यान में जो है उसके अनुसार अब इतनी तादात में बादल क्यों फट रहे हैं क्योंकि मानसून बंगाल की खाड़ी से बनता है और फिर पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में चला जाता है। इस बार बंगाल की खाड़ी में से जो मानसून तैयार हुआ वह फिरोजपुर से होते हुए हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पहुंच गया।

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

**27-08-2024/1625/केएस/एएस/1**

**श्री विपिन सिंह परमार जारी**---

पहले जो ये मौसम में नमी होती थी, लगभग चार और पांच हजार की ऊंचाई पर जब मौसम में बदलाव आता था तो उसके परिणामस्वरूप बादल फटते थे। अब जलवायु परिवर्तन हुआ जिसके कारण इसकी ऊंचाई पांच-छः हजार फीट से घटकर तीन और चार हज़ार फीट तक रह गई है। इसके कारण अब जब थोड़ी सी भी बरसात होती है तो फिर सोशल मीडिया, अख़बार और सरकारी तंत्र से हमें पता चलता है कि अमुक स्थान पर बादल फट गया और समेज जैसी जगह पर कभी जो वर्षों पुराना सुंदर गांव था, वहां पर स्कूल होंगे, पेयजल योजनाएं होंगी, खेत-खलिहान होंगे, तीन-चार मंजिला भवन होंगे लेकिन वे आज जमींदोज़ हो गए, वे आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। अपनों के आंसू उन लाशों को देखने के लिए यह कह रहे हैं कि भगवान के वास्ते अब खुदाई बंद कर दो, हम इंतज़ार करेंगे परंतु जो खुदाई में शव और शरीर निकल रहे हैं, अंतिम अंत्येष्टि के समय वे भगवान के आगे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान यह क्या हो गया? मुझे यह लगता है कि कहीं न कहीं इसके लिए हम भी जिम्मेवार हैं। हमने नदी-नालों के मुख को मोड़ दिया, छोटा कर दिया है। थोड़ी सी बरसात होने पर हमारे आंगन में, हमारे घरों में पानी घुस रहा है। फिर प्रशासन, लोक निर्माण विभाग व अन्य विभागों के आगे हम यह फरियाद करते हैं, सरकार के आगे हम अपना पक्ष रखते हैं। मुझे सिर्फ यह कहना है कि प्रशासन भी इस मामले में सचेत हो जाए, सख्त हो जाए नहीं तो यह हमारे समाज को एक आने वाले दिनों में ऐसी भयंकर त्रासदी देगी कि नामो-निशान मिटने की कगार पर हम पहुंच जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में हमें यही देखने को मिल रहा है। अगर मैं गत वर्ष की बात करुं, सरकार ने बहुत

बड़ा पैकेज दिया, घोषणा की कि अगर फसल नष्ट हो जाएगी, आपके घर गिर जाएंगे और वहां पर भेड़-बकरियां अगर मर जाएंगी तो उनको भी पैसा दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने सुलह विधान सभा क्षेत्र के संदर्भ में कहना चाहता हूं , मैं रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं कि बछुवाई में लगभग 9 परिवारों को आज तक जमीन नहीं मिली। इस सम्बन्ध में मैं उच्च-अधिकारियों से भी मिला। उनके पास मकान बनाने के लिए जमीन ही नहीं है। वहां पर एक पलूणा परमार नगर है उनके पास भी जमीन नहीं है। इसी तरह से खड़ोट बल्ला में लोगों के पास अपनी जमीन नहीं है। यहां पर कहा जा रहा है कि फाउंडेशन तक निकल आएगी तो उसके बाद अगली राशि देंगे। जगत सिंह जी, जो लोग कहीं

**27-08-2024/1625/केएस/एएस/2**

पर किराये के मकानों में रह रहे हैं, एक वर्ष पूरा हो गया, आय का कोई साधन नहीं किसानी उनकी बर्बाद हो गई, उनको सरकार की ओर से कुछ नहीं मिल रहा है। आप सर्वेक्षण कीजिए और एस.डी.एम. हीरा बैठतेहैं, एस.डी.एम. पालमपुर बैठते हैं, उनसे जानकारी लीजिए और जमीन का चयन करवाएं। आपने शायद 3 लाख रुपये भेजे हैं, आपने तो कहा था कि हम 7 लाख रुपये देंगे। उन गांव में उनके लिए कनैक्टिड रोड भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अभी यहां पर सत्ता पक्ष वाले मुख्य मंत्री जी की स्तुति में जितनी मर्जी बड़ी-बड़ी बातें करते रहे परंतु इतना ज़रूर कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के परिवारों के पुनर्वास की आप चिंता कीजिए। और तो और ऐसे लोग जो किराये के मकानों में रह रहे हैं, उनको कोई भी किराया सरकार की ओर से प्राप्त नहीं हो रहा है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी...

**27.08.2024/1630/av/डी सी/1**

**श्री विपिन सिंह परमार क्रमागत**

मैंने यहां लगभग एक साल पहले कहा था कि भारी बरसात के कारण धौलाधार, न्युगल और सभी तमाम खड्डों से कूहलें आती हैं। इसमें किरपाल चंद कूहल सबसे बड़ी है जोकि लगभग 32 हजार करनाल जमीन को सैलाब करती है परंतु वह क्षतिग्रस्त हो गई है। उसमें

अब एक बूंद पानी तक नहीं आ रहा है। वहां पर एक मियां फतेहसिंह कूहल, श्रृंगार चंद कूहल, तथूल कूहल है। इसके अतिरिक्त जिया-बटसर से द्रंग-धोरन-घनेटा के लिए 14 किलोमीटर लंबी कूहल है। हमारी निवर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल में उसमें काम करवाया था। मैं उस विषय को किसी और चर्चा में लूंगा परंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। काल खड्ड से हीरा-नोहरा के लिए लगभग 6 हजार करनाल जमीन जो उस खड्ड से कूहल के द्वारा सैलाब होती थी, वहां एक साल बीत जाने के बाद भी क्या प्रशासन ने आपको उसकी रिपोर्ट नहीं भेजी? आप अधिशासी अभियंता, थुरल से रिपोर्ट मंगवाइए। इसके अतिरिक्त खनन ने तो बहुत ही तबाही मचाई हुई है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि उसकी पॉलिसी बनाने वाला कौन है? खड्डों और नदियों में पोकलेन डालकर उनको 6-6 फीट गहरा कर दिया जाए तो मैं तो कहूंगा कि इस बहुत बड़ी त्रासदी का कारण गैर कानूनी खनन ही है। यहां पर जिसने इस प्रकार की गलत खनन पॉलिसी बनाई है मैं उसको भी इस नुकसान हेतु जिम्मेवार मानता हूं क्योंकि इस नुकसान के पीछे गैर कानूनी खनन मुख्य कारण है। इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने 45 हजार करोड़ रुपये की स्कीम बनाई थी जोकि श्री यादविन्द्र गोमा जी के विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कंगेन से चलती है और सुलह के 28 गांवों को पानी देती है। परंतु पिछली बरसात में पर्कुलेशन वैल खत्म हो गए। उनमें सरकार ने थोड़ा-बहुत काम किया होगा परंतु इस बार पूरा-का-पूरा पानी फिर से उन पर्कुलेशन वैल में चला गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस भारी बरसात को हम लोग ही निमंत्रण दे रहे हैं। यहां पर अभी माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र शौरी जी जिस खनन की बात कर रहे थे उसी प्रकार का खनन आज व्यास और न्युगल नदी में भी हो रहा है। वहां पर खनन करके बड़े-बड़े पहाड़ लगा दिए गए हैं। उनको अगर नीचे से ऊपर देखें तो गर्दन उठाकर देखना पड़ता है। मैंने वहां पूछा भी था कि ये पहाड़ किसने लगाए हैं, मैं यहां पर उनका नाम नहीं लेना चाहता परंतु मैं यह बात जरूर कहना चाहता हूं कि शायद इन समस्याओं की जननी हम ही हैं। इसलिए

**27.08.2024/1630/av/डी सी/2**

सरकार इस बारे में सख्त हो जाए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि रॉयल्टी के चक्र में कहीं हम अपने संसाधनों को खत्म न कर दें। रॉयल्टी  कभी किसी ने दिलाई थी और यह भी

एहसास करवाया था कि पानी से भी रॉयल्टी मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा होकर आत्मनिर्भर बने, माननीय श्री शांता कुमार जी ने यह वर्ष 1990 में चमेरा प्रोजैक्ट से शुरू किया था। परंतु रॉयल्टी का मतलब यह भी नहीं है कि गैर कानूनी खनन हो और खनन इस तरीके से हो कि हमारा जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाए। मैं यहां पर एक बात और कहना चाहता हूं कि नाबार्ड का पैसा तो भारत सरकार और एग्रीकल्चर बैंक के माध्यम से मिलता है। विधायकों की प्राथमिकताएं होती हैं, भारी बरसात में नुकसान हुआ है। अब आप कहते हैं कि हमारे अधिशासी अभियंता ने डी0पी0आर0 बनाकर के भेजी है। माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि कृपया करके प्लानिंग डिपार्टमेंट से उन पर मोहर तो लगा दें। हम अपनी उन क्षतिग्रस्त सड़कों की मुरम्मत नाबार्ड के पैसों से करवा सकते हैं। मुझे याद है, श्री जय राम ठाकुर जी के समय में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अंतर्गत जितनी सड़कें बनी थीं, नियम के अनुसार उनकी प्रत्येक 5 वर्षों के बाद रीमैटलिंग होती है। मैं इस सदन के माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि भारी नुकसान के कारण उन सड़कों की क्षतिपूर्ति कैसे हो सकती है? उसके लिए पी0एम0जी0एस0वाई0 के अंतर्गत यह नियम है कि प्रत्येक 5 वर्षों के बाद उनकी मुरम्मत हो सकती है।

**टी सी द्वारा जारी**

**27.08.2024/1635/टी0सी0वी0/एच0के0-1**

**श्री विपिन सिंह परमार ... जारी**

उन सड़कों में गड्ढे बन गए हैं। पैसा भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय का है। आपका तो न हींग लगेगा, न फिटकरी फिर भी ये विभाग सुस्त क्यों बैठे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मेंटेनेस और रिपेयर में बहुत से कागज ऐसे भी तैयार हुए हैं कि कब कितने पैसे शिमला हैडक्वार्टर की एम0सी0 ऑफिस के जाएंगे? जिस मलबे को उठाने के लिए इन पैसों का प्रावधान किया गया था, वह एक साल से नहीं उठा है। पुलियां बंद पड़ी हुई हैं, पहाड़ों का जो मलबा है वह सड़क के किनारे पड़ा हुआ है।

मैंने इसके बारे में प्रश्न भी लगाया है कि वह 2.50 करोड़ रुपया कहां खर्च किया गया। मैं माननीय मुख्य मंत्री और लोक निर्माण मंत्री से भी निवेदन करना चाहता हूं कि प्राकृतिक आपदा में जरूरतमंद को जरूरत के तराजू पर मत तोलिए। पिछले साल जैसे नकद पैसे बांट दिए गए थे उसको रोकिए। इनको उस समय राहत राशि को आधुनिक प्रणाली डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके खातों में डाला जाना चाहिए था परंतु उनके साथ छल हो गया। जिनका मकान गिरा था, जिनकी गऊशालाएं गिरी थीं, जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे, वे आज भी सरकार की ओर से राहत का इंतजार कर रहे हैं लेकिन सरकार की ओर से उनको कोई राहत नहीं दी जा रही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सुन्दर हिमाचल प्रदेश में जब पहले बरसात आती थी और एक पत्थर गिरता था तो हम समझते थे कि एक पत्थर गिरा है लेकिन अब तो पूरे-के-पूरे पहाड़ गिर रहे हैं तथा वे आंसुओं में तबदील हो रहे हैं। इसलिए यदि प्रशासन अपनों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रयास करेगा तो यह भयंकर त्रासदी के रूप में तबदील हो जाएगा क्योंकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। इसलिए गत वर्ष या इस साल जितने भी लोगों का नुकसान हुआ है उनकी क्षतिपूति प्राथमिकता के आधार पर की जाए।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत आभार।

**अध्यक्ष :** अब माननीय सदस्य श्री किशोरी लाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

**27.08.2024/1635/टी0सी0वी0/एच0के0-2**

**श्री किशोरी लाल (मुख्य संसदीय सचिव) :** अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अन्तर्गत आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी, आदरणीय श्री चन्द्र शेखर जी, सुश्री अनुराधा राणा जी, श्री लोकेन्द्र कुमार और आदरणीय सुरेन्द्र शौरी जी ने यहां पर प्रस्ताव पेश किया है कि "प्रदेश में भारी बरसात/आपदा के कारण जनमानस, सड़कों, पुलों, घरों, फसलों, सरकारी भवनों, निजी भूमि, पेयजल व सिंचाई योजनाओं को हुए नुकसान बारे यह सदन

विचार करे।" मैं भी इसकी चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, 25 जुलाई, 2023 की रात को भारी बरसात हुई और प्रदेश के कई जिलों में कई पुल, सड़कें, बिजली की परियोजनाएं और पानी की स्कीमें, लोगों की निजी भूमि, किसानों की फसलें, लोगों के घर बह गए और 500 लोगों की जानें चली गईं। जिन लोगों के घर तबाह हो गए थे वे शिविरों में रहने के लिए मजबूर हुए लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार और यशस्वी मुख्य मंत्री ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में और उप-मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में तथा सरकार के सभी मंत्री/विधायकगण सभी ने आपदा से निपटने के लिए दिन-रात कार्य किया और जिन लोगों के घर बह गए थे उसकी भरपाई के लिए आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी जान को जोखिम में डाल करके कई ऐसे क्षेत्रों का दौरा किया जहां पर जाना संभव नहीं था फिर भी वहां पर पहुंचे और प्रभावित लोगों से मिले और सभी प्रभावित लोगों को उचित सहायता दी गई। यहां हमारे विपक्ष के साथी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। परंतु सरकार की जितनी सराहना की जाए उतनी ही कम है।

श्री आर0के0एस0 द्वारा ... जारी

27.08.2024/1640/RKS/HK-1

श्री किशोरी लाल (मुख्य संसदीय सचिव) जारी

मेरे चुनाव क्षेत्र में जहां-जहां लोगों के घर गिरे थे मैं स्वयं उनका जायजा लेने के लिए गया हूं। लोगों को मौके पर राहत राशि दी गई लेकिन ये कहते हैं लोगों को कोई राहत राशि नहीं मिली। मैं अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में बोल सकता हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में लोगों को मौके पर राहत राशि दी गई और मैं इसका सबूत भी दे सकता हूं। यह कहना गलत है कि लोगों को राहत राशि नहीं मिली। पिछले सरकार के समय में लोगों को एक लाख रुपये मुआवजा मिलता था। लेकिन हमारी सरकार ने 7 लाख रुपए मुआवजा राशि दी है। हमारी सरकार ने लोगों को जमीन देकर उनके पुनर्वास का सारा काम किया है। क्या आपने कभी चर्चा की कि ऐसी बरसात क्यों आ रही है? बार-बार ऐसा क्यों हो रहा है? इस आपदा को रोकने के क्या उपाये हैं? क्या आपने कभी इस आपदा को रोकने के सुझाव दिए? ऐसे

सुझाव किसी ने नहीं दिए हैं। आप बार-बार यही कह रहे हैं कि उसको मुआवजा नहीं मिला, इसको मुआवजा नहीं मिला। आज प्रदेश में चहुमुखी विकास हुआ है। फोर लाइन सड़कें व बड़े-बड़े प्रोजैक्ट बन रहे हैं। प्रदेश में कई तरह के विकास के काम हुए हैं और इन कार्यों को करने के लिए सबसे ज्यादा वृक्ष काटे गए हैं। प्रदेश में जितने वृक्ष कटे हैं उतने लगाए नहीं गए। पर्यावरण में जो बदलाव आया है उसका मुख्य कारण वृक्षों का कटान ही है। आज समय में वर्षा, गर्मी व सर्दी नहीं होती है। वातावरण बदलने के कारण ऐसी बरसात बार-बार आ रही है। हालांकि कई जिलों में इतनी बरसात अभी नहीं आई है। अभी पौंग बांध पूरी तरह पानी से भरा नहीं है। मंडी, कुल्लू, शिमला और मनाली में इस बरसात से काफी नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई के लिए सरकार गंभीर है और समय आने पर सरकार लोगों के जान-माल की भरपाई करेगी। जो लोग बेखौफ होकर नदी-नाले के किनारे घर बनाते हैं उनके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। मैं पिछले दिनों पालमपुर गया था। बैजनाथ और पालमपुर के बीच लोगों ने नालों के किनारे बहुत बड़ी-बड़ी इमारते खड़ी की हैं। सरकार को इसे रोकना होगा क्योंकि वहां पर भी ऐसी भयंकर बाढ़ कभी भी आ सकती है। लोग बेखौफ होकर नदी-नालों के किनारे मकान बना रहे हैं। वे अपनी मौत को स्वयं न्यौता दे रहे हैं। प्रदेश सरकार ने आपदा से प्रभावित लोगों की भरपाई की है। इस बरसात में जो नुकसान हुआ है सरकार उसके प्रति भी गंभीर है। सरकार इन लोगों की भी मदद करेगी। पिछली बरसात में बैजनाथ चुनाव क्षेत्र की कई सड़कें अवरुद्ध हुई थी। मुझे भी 15 किलोमीटर पैदल चलकर छोटे भंगाल के पलाचक क्षेत्र तक जाने का मौका

27.08.2024/1640/RKS/HK-2

मिला। क्योंकि बड़ा भंगाल क्षेत्र में सड़क सुविधा नहीं है। वहां पर राशन नहीं पहुंचता था। वहां जो लोग रहते थे उन्हें उस आपदा के दौरान रोटी के लाले पड़े थे। मैं पैदल चलकर पलाचक पहुंचा हूं और वहां जाकर स्थिति का जायजा लिया तथा उन लोगों को खच्चर मार्ग से राशन पहुंचाया ताकि वे लोग भूखे पेट ना सोएं। हमने पिछली सरकार के समय में

ऐसी व्यवस्था की है। मेरे चुनाव क्षेत्र के बिनवा दरिया के साथ लगती जो छोटी-छोटी खड्डे हैं उनमें ऊफान आने के कारण कई लोगों की फसलों को नुकसान हुआ है। हमारी कई सड़कें और पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं लेकिन हमारे अधिकारियों ने समय रहते उन सड़कों को चालू किया है। अब हमारी कोई भी सड़क बंद नहीं है। हमने पानी की स्कीमें भी चालू करवा दी हैं। हमारा जितना भी नुकसान हुआ है हम उसकी भरपाई कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार अच्छा काम कर रही है और मेरा आग्रह है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन्हें उचित समय पर सहायता राशि मिले ताकि जो लोग बेघर हुए हैं, जिनकी जानें गई हैं उनको आर्थिक सहायत देकर मदद की जा सके। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय बाबा बैजनाथ।

**अध्यक्षः** अब माननीय सदस्य श्री पूर्ण चन्द ठाकुर जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

**श्री बी.एस.द्वारा ... जारी**

27.08.2024/1645/बी.एस./वाई.के.1

**अध्यक्ष :** अब माननीय सदस्य श्री पूर्ण चन्द ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे।

**श्री पूर्ण चन्द ठाकुरः** अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम-130 के अन्तर्गत चर्चा में भाग लेने के लिए समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं अपने चुनाव क्षेत्र दरंग की बात करना चाहता हूं। दरंग चुनाव क्षेत्र देवी-देवताओं का क्षेत्र है। 31 जुलाई, 2024 सात के 11.30 बजे का वाकया है, भारी आपदा आई त्रसदी हुई, बादल फटा। मैं चुहार घाटी की ग्राम पंचायत धमचयान की बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं। ग्राम पंचायत धमचयान के गांव राजवन और तेलंग की यह घटना है। उस दिन 11.30 बजे लोग अपने घरों में सोए हुए थे। अचानक बादल फटा और राजवन गांव के चार परिवार तबाह हो गए जिसमें 10 लोगों की जानें चली गई हैं। जिनमें से नौ लोगों के शव बरामद हो चुके हैं परंतु एक व्यक्ति हरदेव जी का शव बरामद नहीं हो सका है। इसके अलावा तेरंग गांव को भारी बारिश के कारण खतरा हो चुका है। ऊपर तेरंग गांव है और नीचे राजवन गांव है। मुझे तो लगता है अगर उस गांव की सुरक्षा के लिए अगर काम नहीं किया गया तो वह गांव किसी भी दिन

बह सकता है। इन दोनों गांव में लगभग 10 बीघा मलकियत जमीन को नुकसान हुआ है और सरकारी जमीन को भी भारी नुकसान हुआ है। जब वहां पर नुकसान हुआ तो सरकार का फर्ज बनता था कि वहां मंत्री जी दूसरे दिन पहुंचे। बड़े अफसोस की बात है कि 14 दिन इस वाकया को हुए हो चुके थे परंतु 14 दिनों तक कोई भी सरकार का आदमी वहां पर नहीं आया। क्योंकि वहां पर सड़क चलने के काबिल नहीं रही थी। मैं वहां का स्थाई निवासी होने के नाते और वहां का विधायक होने के नाते दूसरे दिन वहां पर पहुंचा और मुझ से पीड़ित लोगों की जो मदद हो सकती थी वह मदद हमने की। उसके बाद वहां पर हमारे नेता प्रतिपक्ष जी और मैं एक साथ गए और लोगों के लिए हमने राहत सामग्री बांटी। जो भी परिवार प्रभावित हुए थे हर परिवार के लिए एक-एक क्वींटन राशन, बर्तन की किट और उन्हें कमल प्रदान किए। जो भी उनकी रोजमर्रा की जरूरते थीं उन्हें हमने पूरा किया। मगर हमें अफसोस इस बात का है कि 14 दिन के बाद सरकार के हमारे जो मंत्री जी और वहां के पिछले हमारे नेता हैं उन्हें 14 दिन के बाद उन लोगों की याद आई और वे वहां पर गए और लोगों के आसूं पोंछे और वापिस आ गए और मौके पर किसी की कोई सहायता नहीं की और एक बात अवश्य कही कि जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनको हम चार-चार लाख रुपये दे रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है और न ही

27.08.2024/1645/बी.एस./वाई.के.2

यह पैसा कोई जेब से दे रहा है। वहां पर भी राजनीतिक रोटियां सेंकी गईं। उसी रात हमारी तरसवाण पंचायत में भी 11.30-12.00 बजे भारी त्रासदी हुई। वहां पर घरमेड़ से ले करके तरसवाण गांव, दरगड़ गांव और नारंग गांव हैं। आज हमारे तरसवाण गांव तक गाड़ी जा रही है परंतु बाकी के तीन गांव आज भी गाड़ी से वंचित हैं। वहां पर इतना नुकसान हो चुका है कि लोगों की 100 बीघा जमीन बरबाद हो चुकी है। उस 100 बीघा जमीन के ऊपर लोगों की नगदी फसल होती थी। वहां के लोगों की रोजी-रोटी उसी से चलती थी। गोभी, मटर और राजमाह का भारी नुकसान हुआ है। मगर बड़े अफसोस की बात है कि सरकार का आज तक कोई भी आदमी उस क्षेत्र में नहीं गया।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

**27.08.2024/1650/डी0टी0/वाई0के0-1**

श्री पूर्ण चंद ठाकुर जारी...

मेरा फर्ज़ व कर्तव्य बनता था, हम वहां गए और हमने लकड़ी की सीढ़ी बिछाकर खड्ड को क्रॉस किया और लोगों के बीच में जाकर उनके सुख-दुःख में शामिल हुए। वहां पर हमसे जो हो सकता था उसको करने की कोशिश की। आज मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि समालग से लेकर मठी बज़गान तक पैदल चलने के लिए सात ब्रिज स्थापित थे, मगर वे सभी के सभी ब्रिज क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। मगर वहां पर अभी तक एक पैसे का काम भी नहीं हुआ है। लगभग एक महीना होने जा रहा है अभी तक वहां पर कोई काम सरकार व विभाग की तरफ से नहीं हुआ है। यह कैसा पक्षपात है? इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि वहां पर पक्षपात किया जा रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी का विधायक नहीं है तो भाजपा का विधायक भी तो जनता द्वारा चुना हुआ विधायक है। अगर इस पक्षपात से आप लोग मजबूत होते हैं तो आप और पक्षपात कीजिए। मैं यह कहना चाहूंगा जो हमारी सात पुलियां थी उन पुलियों के टूटने से लोगों को आने-जाने की बहुत मुश्किल हो रही है। वहां पर स्कूली बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए 6 किलोमीटर थल्टूखोड़ जाते हैं और पुजी के टूटने से उनको भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार के पास ऐसी कैसी कंगाली पड़ी है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो रास्तें बर्बाद हुए हैं, उनकी मरम्मत हम मनरेगा के अंतर्गत करके लोगों को आने-जाने की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। उस सड़क से गांव तक जाने में भारी खतरा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में थल्टूखोड़ से लिंक करके आप उस सड़क को समालग तक पहुंचा सकते हैं। हमारे लोक निर्माण मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह जी से पिछली बार वहां की जनता मिली थी। मंत्री जी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि आपकी सड़क को बनाया जाएगा। मैं तो जरूर कहूंगा कि मंत्री महोदय जी आपका मेरा निर्वाचन क्षेत्र और जिला मंडी कर्म भूमि रहा है और मुझे आशा है कि आप उस सड़क के लिए पैसे का जरूर प्रावधान करेंगे ताकि वहां के लोगों को आने-जाने की सुविधा बहाल हो सके। इसी सिलसिले में, मैं 7 अगस्त, 2023 की एक बात करना चाहूंगा। पिछली बार दिनांक 7 अगस्त, 2023 को बहुत बड़ी त्रासदी आई थी। हमारी औट पंचायत, गांव थलोट और गांव नागरानी आज भी खतरे से परे नहीं है। हमारी रहैला पंचायत का गांव शायरी आज भी खतरे से परे नहीं है। मगर आज तक एक

**27.08.2024/1650/डी0टी0/वाई0के0-2**

साल बीत जाने के बाद वहां पर कोई भी एक पैसे का काम नहीं हुआ। वहां पर कोई सुरक्षा दीवार नहीं लगी। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि लोगों की हिफाज़त के लिए आप वहां पर सुरक्षा दीवार लगाएं। आप वहां पर साइंटिस्ट को भेजें ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह जगह क्यों बैठ रही है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसमें सरकार का भी कोई कसूर नहीं है यह तो देवी-देवताओं और भगवान का प्रकोप ही लग रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि वहां पर सुरक्षा के लिए सुरक्षा दीवार लगाई जाए, जो भी सरकार से संभव हो सकता है वह किया जाए। आज सड़कों की बात यहां पर पहले आई, यहां जैसे जवाब दिया गया कि हमने 48 घंटों के अंदर सभी सड़कों को खोल दिया। मगर मैं आपको आज भी कहना चाहूंगा कि थल्टूखोड़ से मढ़ की सड़क 5 किलोमीटर है, वह सड़क आज भी बंद पड़ी हुई है। धरमेढ़ से गढ़ गांव की सड़क आज भी बंद पड़ी हुई है। बथेरी-खलबूट 9 किलोमीटर की सड़क भी बंद पड़ी हुई है। कटौला-बागी-पराशर सड़क भी आज बंद पड़ी हुई है क्योंकि बागी से आगे वह सड़क नहीं जा रही है।

**श्री एन0जी0 द्वारा जारी ...**

**27-08-2024/1655/ए.जी.-एन.जी/1**

**श्री पूर्ण चन्द ठाकुर.....जारी**

इसी प्रकार अठौण और मुथल की सड़क भी बंद पड़ी हुई है। मैं वर्ष 2023 की बात भी करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, बाग्गी बिलुकल क्षतिग्रस्त हो चुकी है। वहां पर हमारे पूर्व मंत्री भी गए, जो पूर्व में सांसद थीं वे भी गई और हमारे माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री विक्रमादित्य जी भी गए। इन्होंने लोगों को आश्वासन दिया था कि

इस पुल का काम एक माह में शुरू करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज तक वहां की डी.पी.आर. भी नहीं बनी है। हम तो माननीय मंत्री जी को कह ही सकते हैं लेकिन काम तो आप ही को करना है क्योंकि आप सरकार में बैठे हुए हैं। मेरा आग्रह है कि आप पक्षपात न कीजिए और वहां पर कोई काम नहीं हुआ है। इसी प्रकार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, घ्राण का भी बहुत नुकसान हुआ है। वहां पर भी आज तक एक ईंट नहीं लगी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, देउरी में तो माननीय मुख्य मंत्री श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी स्वयं गए थे। वहां पर बहुत नुकसान हुआ और उसका पूरा भवन बह गया था। मुख्य मंत्री जी ने उस समय स्कूल के भवन व ग्राऊंड को समतल करने के लिए 25 लाख रुपये दिए थे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दरंग विधान सभा के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए, उसमें विधायक व जन प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाए और देखा जाए कि जो 25 लाख रुपये दिए गए थे उससे कितना काम हुआ है। मुझे तो लगता है कि वहां पर 5 लाख रुपये का भी काम नहीं हुआ है। देउरी में जो स्कूल बन रहा है वह आज भी डेंजर जोन में है। प्रदेश सरकार ने उसके लिए 2 करोड़ रुपये मंजूर किए हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रदेश सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि उस ...(घण्टी)... स्कूल के भवन को किसी सुरक्षित स्थान पर बनाया जाए ताकि न सरकार का नुकसान हो और जनता को भी बेहतर सुविधा मिल सके।

**27-08-2024/1655/ए.जी.-एन.जी/2**

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, कथोग भी क्षतिग्रस्त हुई है और वहां पर भी आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है। मिडल स्कूल, थट्टा, व मासड़, प्राइमरी स्कूल, बाग्गी व देउरी, पटवार वृत भवन बाग्गी व घ्राण, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, घ्राण का बहुत नुकसान हुआ है और इसके अलावा गत 2 वर्षों में मेरे विधान

सभा क्षेत्र में बाढ़ के कारण 18 लोगों की जानें भी गई हैं। इसके लिए सरकार की ओर से जो बनता था वह सरकार ने किया भी है। ...(व्यवधान) मैंने तो आपका हर वक्त धन्यवाद किया है। आप काम करेंगे तो इस माननीय सदन में भी आपका धन्यवाद करेंगे। ...(लम्बी घण्टी)... इसी प्रकार मैं कहना चाहता हूं कि ब्यास नदी पर बने पण्डोह पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण बदार क्षेत्र की 6 पंचायतों की लगभग 12000 आबादी को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। वहां पर भी माननीय लोक निर्माण मंत्री जी गए थे और उसकी लगभग 18 करोड़ रुपये की डी.पी.आर. भी बनी हुई है लेकिन आज तक उस पर एक लाल पैसे का भी काम नहीं हुआ है। ...(लम्बी घण्टी)... इसी प्रकार ब्यास नदी पर बना औट पुल जोकि दरंग विधान सभा क्षेत्र को बंजार विधान सभा से जोड़ता है, वह बिलकुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। वहां पर भी कोई एक लाल पैसे का काम नहीं हुआ है। ब्यास नदी पर बना घ्राण का पुल भी किसी खतरे से कम नहीं है। यदि इस बार भी पिछले वर्ष की तरह बरसात आई तो घ्राण का पुल भी बह जाएगा। इसी प्रकार शेगली से कमांद तक बाग्गी खड्ड पर बने 7 फुट ब्रिज भी बाढ़ की चपेट में आने से बह गए थे और आज तक उनमें से एक भी फुट ब्रिज नहीं बना है। ब्यास नदी पर बना स्प्रेई पुल हमारी मेहणी पंचायत को जोड़ता है और उसे पार करना ...(लम्बी घण्टी)... आम जनता के लिए मुश्किल हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि मेरे क्षेत्र में जो भी नुकसान हुआ है सरकार उसकी भरपाई पूरी ईमानदारी से करे। यहां पर पक्षपात की बात कही गई तो मैं बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के साथ बहुत पक्षपात हुआ है। मैं आपको नाम अभी भी बता सकता हूं और लिख कर भी दूंगा। ...(लम्बी घण्टी)...

**अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कृप्या समाप्त करें।

**27-08-2024/1655/ए.जी.-एन.जी/3**

**श्री पूर्ण चंद ठाकुर** : अध्यक्ष महोदय, ऐसे आदमी को पैसा मिला है जो कांग्रेस पार्टी का पंचायत प्रधान है और उन्होंने मकान को गिरा कर पैसा लिया है। इसीलिए मैंने कहा है कि

मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए और वहां के लोगों की स्टेटमेंट ली जाए।...(लम्बी घण्टी)...

अध्यक्ष...श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

**27-08-2024/1700/केएस/एजी/1**

**अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, कृपया बैठिए। समय हो गया। Nothing is going on record. मैं समय ही नहीं दे रहा हूं। अब यह विषय कल चर्चा में लाया जाएगा। अब इस माननीय सदन की बैठक 28 अगस्त, 2024 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

**शिमला-171004** **यशपाल शर्मा**
**दिनांकः 27 अगस्त, 2024** **सचिव ।**